Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9] पंचम् विधान सभा के नवम् सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या 2

मंगलवार

29 जुलाई, 1975

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास अध्यक्ष, पदासीन)

समिति का प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 1975-76 का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन!

श्री शोभाराम (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 1975-76 समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

1 विधायी कार्य

2 राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975

3 विचारार्थ प्रस्ताव

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मोशन मूव्ड! कोई बोलना चाहेंगे इस पर!

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975, जो विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो विधेयक लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो स्थिति है आपात स्थिति उसको देखते हुए इस प्रकार का विधेयक लाना बहुत ही आवश्यक था। इन यूनिवर्सिटीज में राजस्थान, जोधपुर, उदयपुर जिस प्रकार के इलेक्शन होते थे और सिण्डीकेट के मेम्बर्स में ऐसे तत्व भी आ गये थे जिससे कि इस सिण्डीकेट का संचालन करना, यूनिवर्सिटी का संचालन करना प्रदेश के हित में नहीं था और न वह विद्यार्थियों के हित में था। तो इसलिए इस प्रकार का विधेयक लाकर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने हमारे प्रांत की सेवा की है, क्योंकि जब तक विद्यार्थियों को अनुशासन में लाया नहीं जा सकता तब तक कोई प्रांत प्रगति नहीं कर सकता, कोई माकूल व्यवस्था की शिक्षा हो नहीं सकती। इसमें वाइस चांसलर को अधिकार, जो प्रशासनिक और नियंत्रण के अधिकार दिये गये हैं, डिसीप्लीन के, कंट्रोल के अधिकार दिये गये हैं वह बहुत ही व्यापक हैं। इस लिए मेरा यह निवेदन है कि जो वाइस

(2)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चांसलर नियुक्त किया जाय उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बहुत ही सक्षम होनी चाहिए, अगर वह एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी सक्षम नहीं है तो जो अधिकार दिये गये हैं उनका दुरुपयोग हो सकता है। तो पहला मेरा यह कहना है कि इन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का सलेक्शन किया जाय उसमें बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, वह प्रगतिशील विचारों के हों, वह समाजवादी विचारों के हों, और वह अनुशासन रखने की शक्ति रखते हों, उस शक्ति में सक्षम हों तब जाकर यूनिवर्सिटी का कार्य सुचारु रूप से चल सकता है।

इलेक्शन की जो पावर थी, सिण्डीकेट में जिस प्रकार से इलेक्शन होते थे, इसमें टीचर्स के जो मेम्बर होते थे, सीनेट द्वारा इलेक्शन करा कर सिण्डीकेट में आ सकते थे, और भी मेम्बर आ सकते थे। तो इस वक्त में इलेक्शन के सिस्टम को समाप्त करके नामिनेशन का प्राविजन किया गया है, वह उचित है, परन्तु हमें यह देखना है कि आपात स्थिति में हमने इलेक्शन का प्राविजन डिलीट किया है, परन्तु डेमाक्रेसी में इलेक्शन का प्रासेस रहेगा, इसलिए हमें इस इलेक्शन के प्रोसेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए और तैयार रहने के लिए विद्यार्थियों के अन्दर यह भावना, देशभक्ति की भावना, अनुशासन की भावना उत्पन्न करनी होगी और उनमें जो आर.एस.एस. की प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति है और भावना है वह हमें निकालनी होगी। उसके लिए मैं तो यह सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक खेलकूद कम्पलसरी नहीं हों, कालेजेज में, स्कूल्स में भी जब तक खेलकूद नेसेसरी नहीं हो, एन.सी.सी. की एक्टिविटी हो, स्काउटिंग में भाग लें और जो भी एन्टरटेनमेंट के प्रोग्राम हैं जिनसे वह समय का सदुपयोग कर सके। अगर उनके समय का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे और उनकी एन्टरटेनमेंट की एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, खेलकूद, फुटबाल, वालीबाल इत्यादि की व्यवस्था हमने नहीं की तो उनकी एक्टिविटी का मिसयूज किया जायेगा, पालिटिशियन भी इसका मिसयूज करेंगे और जो टीचर और लेक्चरार हैं उनमें भी ऐसे तत्व हैं जो आर.एस.एस. की प्रवृत्ति के हैं वह टीचर लेक्चरार हैं वे इन विद्यार्थियों के माइण्ड का पायजन्स करते हैं। यह तत्व अभी घुसे हुए हैं। गवर्नमेंट को इस प्रकार के जो लेक्चरार हैं, टीचर हैं, उनकी गतिविधियां क्या रही हैं, अभी क्या गतिविधियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके टीचर और लेक्चरार जो आर.एस.एस. एक्टिविटी में भाग लेते हैं, उनके विरुद्ध गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाना चाहिए क्योंकि यह टीचर लेक्चरार अनरली इन स्टूडेंट्स के माइण्ड को पाइजन करते हैं, इन्हें आर.एस.एस. की प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त करते हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में भी गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। जब तक अध्यापन के स्तर, और पाठ्यक्रमों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक विद्यार्थियों के स्तर, पढ़ाई के स्तर, उनके अनुशासन में वृद्धि नहीं हो सकेगी। इसलिए इसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 21 सूत्रीय कार्यक्रम रखा है और विद्यार्थियों के भी कार्यक्रम है, उन विद्यार्थियों के कार्यक्रम में विशेष तौर से यह है, उनको जो बुक्स हैं, कापीज हैं उनकी रेट्स बहुत हाई

Page No 3

(3)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

हैं, उनको कम करके गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर्स, सोसाइटी स्थापना करके उनको अनाज, शक्कर और आवश्यक वस्तुएं बहुत ही आसान तरीके से सुलभ हों—इसको भी व्यवस्था करनी चाहिए और इसके लिए कांग्रेस को सक्रिय भाग लेना चाहिए, इन कन्ज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर की स्थापना करने के लिए कांग्रेस को आगे आना चाहिए, यूथ कांग्रेस को आगे आना चाहिए और यूथ कांग्रेस को पूरी शक्ति के साथ में इन कन्ज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर्स की स्थापना करके यह आवश्यक वस्तुएं सुलभ करने में पूर्ण तौर से सहयोग देना चाहिए। इन कालेजेज और इन यूनिवर्सिटी में जो एजूकेशन है, उसको जब तक शिक्षक व्यवसायिक आधार पर नहीं परिणित करेंगे तब तक हर समय प्राबलम रहेगी अनएम्प्लायमेंट की और इसके लिए राज्य सरकारों को चाहिए कि वे शनैः शनैः शिक्षा को व्यवसाय के आधार पर परिणित करें ताकि जो कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी और हायर सैकेन्ड्री के विद्यार्थी जब जीवन में प्रवेश करें तब वे अंधकार में न हों और अपने जीवनोपार्जन की व्यवस्था कर सकें तो इसके लिए भी पूरी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। इस आपात स्थिति में हमें यह प्रयास करना है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में लाना है व उनके चरित्र का निर्माण करना है और इसके लिए हमें पूरी शक्ति और ताकत लगाने की आवश्यकता है तो जो यूनिवर्सिटीज एक्ट के बारे में जो संशोधन प्रस्तुत किया है, सिंडीकेट सदस्यों के बारे में, इस संबंध में मैं चाहता हूं कि जो कुछ स्पीकर के पावर्स थे विधान सभा के सदस्यों को नामीनेट करने के, उन पावर्स को भी डिलीट किया गया है। मैं चाहता हूं कि अगर स्पीकर विधान सभा के दो सदस्यों को नामीनेट करता है तो वे अनुभवी होंगे। तो यदि वे सिंडीकेट के सदस्य हों और मंत्री महोदय इनको इन्कलूड करें तो उचित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, उनका समर्थन करता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दो शब्द इस बिल पर, जो प्रस्तावित किया गया है, कहना चाहूंगा। आपातकालीन के नाम पर जहां तक इस बिल का प्रश्न है, मैंने इस के आब्जेक्ट्स को पढ़ा है :

"With a view to ensuring effective administrative control of and generating proper academic atmosphere in the university, it is expedient to amend the University of Rajasthan Act, 1946 to reconstitute the Syndicate of the University and to invest the Vice Chancellor with powers over discipline and other matters.

As the next academic session is soon going to start, the Act was amended by the University of Rajasthan (Amendment) Ordinance, 1975. The Bill seeks to replace this Ordinance by an Act of the State Legislature."

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मैंने समझा कि आपात कालीन स्थिति का आर्डिनेन्स के अन्दर शायद कहीं पर उल्लेख होगा लेकिन बिल को जहां तक मैं देख सका हूं, कोई उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूं आपातकालीन स्थिति और विश्वविद्यालय के सिन्डीकेट को भंग करना, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने विधान सभा के अन्दर ही सिंडीकेट के गठन के बारे में बराबर गंभीर विचार करके तय किया था कि इसमें विद्यार्थियों को रिप्रेजन्टेशन मिले, विधान सभा के माननीय सदस्यों को माननीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाए। इसमें डिफरेंट एफीलिएटेड कालेजिज के प्रिंसीपल्स का चुनाव द्वारा प्रतिनिधित्व हो और काम्प्रीहेंसिव रिप्रेजन्टेटिव करैक्टर, स्टूडेन्ट्स इन्वाल्वमेंट, टीचर्स इन्वाल्वमेंट, विधायकों का इन्वाल्वमेंट, सब प्रकार से होकर जो हमने शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने का हमेशा से कहते आए हैं, उसको साकार रूप दे सकें, इस भावना को लेकर हमने सिंडीकेट के गठन के बारे में प्रावधान रखे थे मुझे दुःख है कि एक कलम के नोक से हमारी सरकार ने उस सारी सिंडीकेट को भंग कर दिया। मैं नहीं समझ सका कि आज भी विधान सभा के माननीय सदस्य जो माननीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते थे, यदि सिंडीकेट में जाकर अपने विचार रखते तो किस प्रकार से सिंडीकेट के कार्य में व्यवधान पैदा होता था। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री इसका पिनपाइंटेड उत्तर दें।

मैं यह भी नहीं समझ सका कि यह प्रणाली लगातार चलती रही। पिछले दो वर्षों तक और एकाएक इस सत्र के प्रारम्भ होने से पहले उन विधायकों को वहां से हटा दिया जाए, सिन्डीकेट का डिजोल्यूशन करके, उसके पीछे क्या कारण है? हमें नहीं भूलना चाहिए कि विद्यार्थियों के रिप्रेजेन्टेशन के बारे में विश्वविद्यालय के लम्बे समय तक आन्दोलन चले हैं, हड़तालें हुई हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों की यूनियन्स द्वारा मांग हुई है कान्सटीट्यूशनल डेमोक्रेटिव मैथड्स द्वारा शिक्षा मंत्री व मुख्य मंत्री से डेप्यूटेशन्स मिले हैं और केवल राजस्थान में ही नहीं, देश के अन्य स्थानों पर वहां के पैटर्न को लेकर जहां यह सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया था कि विद्यार्थियों का सिन्डीकेट में रिप्रेजेन्टेशन हो, हम चाहते हैं कि श्रमिकों का मैनेजमेंट में हो, हम चाहते हैं कि पीपुल्स इन्वालवमेंट सारे डेमोक्रेटिक संस्थाओं में हों, और ऐसी हालत में विद्यार्थियों को हम सिन्डीकेट से हटाने का सोचें तो यह विद्यार्थियों पर आत्मघात, अप्रजातांत्रिक कुठाराघात करने वाला होगा। भविष्य में जो शिक्षा के लिए उचित वातावरण बन रहा था विश्वविद्यालयों के अन्दर, उसको रोकने के लिए, घड़ी की सुइयों को हटाने वाला प्रतिगामी संशोधन बिल होगा और वह भी आपातकालीन स्थिति के नाम पर रखा जाए तो यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है। मेरा निवेदन है कि इसके अन्दर जो भी आपने विधायकों का, विद्यार्थियों का, प्रिन्सीपल्स आफ कालेजिज का रिप्रेजन्टेशन, प्रोफेसर्स का रिप्रेजेन्टेशन समाप्त किया है उस पर पुनः विचार करें। जिस रूप में आपने सिंडीकेट का गठन किया है वह वन मैन शो है। उसका कहना कि वह सिंडीकेट है, रिप्रेजेन्टेटिव करैक्टर है यह अपने आप को धोखा देना होगा, शब्द जाल होगा, आडम्बर होगा, विद्यार्थियों के साथ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

धोखा होगा, अध्यापकों के साथ धोखा होगा, शिक्षा पद्धति के साथ धोखा होगा, प्रजातांत्रिक प्रणाली के साथ धोखा होगा और अपने साथ में भी धोखा होगा। फिर कहना चाहिए कि चांसलर, वाइस–चांसलर, शिक्षा मंत्री या गवर्नमेंट या तीनों मिलकर किसी प्रकार सिंडीकेट का निर्माण कर देंगे क्योंकि कान्सटीट्यूशन में हमने रखा है कि वाइस–चांसलर सदस्य होगा और उनके द्वारा दो डीन्स आफ फैकिल्टी या प्रिन्सीपल्स आफ एफिलीयेटेड कालेजिज के होंगे और वाइस चांसलर द्वारा नामीनेटेड दो प्रोफेसर्स होंगे और चांसेलर द्वारा नामीनेटेड एजूकेशनिस्ट्स होंगे, डाइरेक्टर आफ कालेज और राज्य सरकार का नामिनी होगा। इसके अतिरिक्त वाइस चांसलर की अवधि तीन साल की होगी। इसका अर्थ होगा कि वाइस चांसलर को ही सारे नामीनेशन्स के अधिकार हैं और चांसलर दो एजूकेशनिस्ट्स को नामीनेट कर सकता है तो मैं समझता हूं सब प्रकार से जो कुछ हमने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की, सिंडीकेट कान्सटीट्यूशन के बारे में, स्टूडेन्ट इन्वालवमेंट, सबको हम समाप्त कर रहे हैं और इस कारण से मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश हुआ उसका मैं समर्थन करता हूं। जिस तरह से शासन के मारफत सदन के माननीय सदस्यों का नामीनेशन होता था शायद उनमें से कुछ साथी इसके सदस्य नहीं रहे तो उनको थोड़ी नाराजगी पैदा भी हो सकती है और सही स्थिति यह है कि जब देश में स्वतंत्रता के नाम पर जितना अधिक दुरुपयोग शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, चाहे मिडिल स्कूल, चाहे हायर सेकेन्डरी स्कूल, चाहे विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों में जो छात्रों की संस्थायें थी जिनको छात्र यूनियन या विद्यार्थी परिषद् कुछ भी कहिए, उनमें इतना पैसा खर्च होता था जिस तरह से विधान सभा के चुनाव में। यह सारा पैसा खर्च करने के लिए राजनैतिक दल उनके पीछे थे और सरकार ने बड़ी उदारता से छात्रों का प्रतिनिधित्व किया था परंतु जब यह देखा गया कि राजनैतिक दल छात्रों से अपनी बात बुलवाते हैं और अव्यवस्था फैलाते हैं और सही मायने में बच्चों को जो विश्वविद्यालयों में भेजते हैं उनकी शिक्षा न होने देते थे, तो इस तरह के लोगों को रोका जाना चाहिए और अगर नहीं रोका गया तो हालत बहुत खराब हो जायेगा आज मैं समझता हूं कि ऐसी हालत हो गयी है कि स्कूलों में, कालेजों और विश्वविद्यालयों में ऐसी हालत हो गयी है कि वहां पर न तो शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं और छात्रों की यह हालत हो गयी और वह ऐसे उदंड हो गये कि वह पढ़ते ही नहीं थे। छात्र लोग स्कूलों में, कालेजों में, विश्वविद्यालयों में, ऐसी परिस्थिति पैदा करने लग गये कि उन्हें बिना पढ़े लिखे ही सर्टिफिकेट दे दो। विश्वविद्यालयों में इन्होंने एक तरह का टेरर मचा दिया था। इसलिये अध्यक्ष महोदय इस प्रवृति को रोका जाना अनिवार्य हो गया था। अध्यक्ष महोदय, इसी लिये विश्वविद्यालयों में सिन्डीकेटों में संशोधन किया गया है जिससे कि कालेजों में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा मिल सकेगी। वरना तो सिन्डीकेट में जन प्रतिनिधियों में कुछ ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व मिल गया कि उन्होंने विश्व-

(श्री दीपंकर)

विद्यालयों का काम सुचारू रूप से चलने में रोड़े अटकाने शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, शिक्षण संस्थाओं में आज आर. एस. एस. के लोग इस तरह से घुस गये हैं कि उन्होंने लड़कों में राष्ट्रीयता के नाम पर साम्प्रदायिकता फैलाना शुरू कर दिया। आज कई शिक्षण संस्थाओं में, चाहे आप स्कूलें ले लें, चाहे आप कालेजों को ले लें चाहे विश्वविद्यालय को ले लें, इसमें आर. एस. एस. और जनसंघ का काफी जोर है। इनके द्वारा कई शिक्षण संस्थायें चलायी जाती है वहां पर बड़े ही अच्छे तरीके से लड़कों को हिन्दु माईन्डेड बनाया जाता है उनमें साम्प्रदायिकता की भावनायें फैलायी जाती है और कहा यह जाता है कि लड़कों में राष्ट्रीयता की भावनायें फैलायी जा रही है। तो क्या राष्ट्र भक्ति का ठेका इन आर. एस. एस. वालों ने ही ले रखा है क्या दूसरी कौमें इस राष्ट्र में नहीं है। क्या उन्हें अपने देश के लिये प्रेम नहीं है। इन शिक्षण संस्थाओं से देश को खतरा पैदा हो गया। इसलिये राज्य सरकार ने ऐसी शिक्षण संस्थाओं को अपने हाथ में लेकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिये शिक्षा मन्त्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं अपनी तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। यह कदम उठा कर शिक्षा मन्त्रीजी ने शिक्षण संस्थाओं में साम्प्रदायिकता की प्रवृति जो आर. एस. एस. और जनसंघ वाले फैला रहे थे उन्हें रोका है आज कई कालेजों में और शिक्षण संस्थाओं में व युनिवरसिटीज में आर. एस. एस. के लोग घुस गये है। सिन्डीकेट में कुछ तो इलेक्ट होकर आर. एस. एस. वाले व कुछ अध्यक्ष महोदय द्वारा जनप्रतिनिधियों को मनोनीत कर देने से यह लोग वहां जाकर यूनिवरसिटीज के कामों में रोड़े लगाते हैं और अनुचित दवाब डालते हैं जो उचित निर्णय यूनिवर्सिटी में लेने चाहिये उन्हें भी लेने नहीं देते। इसका बहुत ही गलत असर पड़ता था एक ऐसा वातावरण शिक्षण संस्थाओं में हो गया कि ऐसा लगता था कि जैसे वह शिक्षण संस्थायें ही नहीं हों। इसलिये यह जो संशोधन शिक्षा मंत्री जी लाये हैं यह उचित है। यह हमारे देश में प्रजातन्त्र को बचाने के लिये एक बहुत अच्छा कदम है। नहीं तो आप गांवों में और शहरों में कई जगहों पर शिक्षण संस्थाओं में साम्प्रदायिकता का जहर बच्चों में मास्टरों द्वारा फैलाया जा रहा है और उससे बच्चों का दिमाग खराब कर दिया आज इसी साम्प्रदायिकता की भावना के कारण हमारे देश को आजाद हुए 27 साल हो गये लेकिन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं पनप सकी। लोग धर्म के नाम पर भगवा कपड़े पहन कर बच्चों में साम्प्रदायिकता की भावना फैला रहे थे जिन्हें रोका जाना अनिवार्य था। अध्यक्ष महोदय हमारे यहां पर जो सिनेमा में राष्ट्रीय गीत होता था उसे भी इस प्रकार के लोगों ने जाकर बन्द करवा दिया क्योंकि लोगों ने इसका जाकर विरोध किया। इसलिये सिन्डीकेट में जो संशोधन किया जा रहा है वह उचित है। नहीं तो यह लोग सिन्डीकेट के अन्दर घुस कर और सिन्डीकेट के बाहर दोनों जगह व्यवधान पैदा करते उन्हें रोका जाना चाहिये।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर)। अध्यक्ष महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन के अन्दर और सदन के बाहर, इस

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

तरह से हिन्दु और मुसलमान और दूसरी कोमों की बात करना मैं समझती हूं कि यह इन लोगों को शोभा नहीं देती है।

श्री अध्यक्ष : इसमें व्यवस्था को क्या बात है। यह तो आपके सबक की बात है इसमें व्यवस्था को तो कोई बात नहीं है।

श्री दीपंकर : यह तो नेक सलाह मैं लोढ़ा साहब को देना चाहता हूं। क्योंकि उनके द्वारा ऐसी संस्थाओं का संचालन किया जाता रहा है वह भविष्य में ऐसा नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : आपने इनकी नेक सलाह मानी, उसका शुक्रिया अदा करें।

श्री दीपंकर : मेरी तो आस्था साम्प्रदायिकता में नहीं है। मैं तो लोढ़ा साहब को कह रहा हूं। इसलिये अन्त में अध्यक्ष महोदय मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें इस बिल का विरोध नहीं होना चाहिये।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल के बारे में बोलना चाहूंगी।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय शिक्षा मंत्री जी ने कल सदन में तीन बिल रखे थे। पहला राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975, दूसरा जोधपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975, तीसरा उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 में इन तीनों बिलों को सदन में लाने के लिये शिक्षा मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करती हूं। क्योंकि विश्वविद्यालय का अभिप्राय: ज्ञान और साधना का स्थल है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी विश्वविद्यालय की हालत ऐसी हो गयी कि विश्वविद्यालय ज्ञान और साधना का स्थल न रह कर वहां पर ऐसे तत्व आ गये थे कि जो विश्वविद्यालय के काम में अड़ंगे लगाते थे। मान्यवर मैं कहना चाहती हूं कि सिन्डीकेट के अन्दर ऐसे तत्व रोड़े अटकाते थे। सिन्डीकेट के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रशासन में यदि किसी प्रकार का कोई अच्छा कार्य करना चाहता या कोई अच्छा सुधार करना होता तो इस प्रकार के लोग बहुत अधिक अड़ंगे लगाते थे। वहां पर विघ्न डालते थे। ऐसी स्थिति वहां बन गयी थी कि न तो शिक्षक ही पढ़ाना चाहते हैं और न ही सही मायने में विद्यार्थी ही पढ़ना चाहते हैं। वहां पर पढ़ाई की एक तरह से भावना ही मिट गयी थी। ऐसा वातावरण बन गया था कि कभी भी कोई अप्रिय घटना वहां पर घट सकती थी। यहां तक कि वाइस चान्सलर तक के साथ अप्रिय घटना घटी थी। मान्यवर, वाइस चान्सलर और शिक्षकों के बीच में भी कई बार झगड़े हो गये जो हमारे सामने यहां सदन में भी आये हैं। इसलिये जो इस प्रकार का भयावह वातावरण विश्वविद्यालयों में बन गया था वह इस बिल के माध्यम से सुधरेगा ऐसी आशा है और सिन्डीकेट में सुधार आयेगा। कई लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स सिन्डीकेट का इलेक्शन जीतने में ही अपनी सारी शक्ति लगाते थे और मान्यवर एक तरह से जो पेशेवर राजनीतिज्ञ हो गये थे उनकी अब समाप्ति हो जायेगी। इस

(श्रीमती निर्मला कुमारी)
प्रकार छात्र नेता भी पढ़ाई लिखाई नहीं करके सारा दिन जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार सिन्डीकेट में पहुँचने की कोशिश करते और सिन्डीकेट में पहुंच भी जाते। इस प्रकार जो विश्वविद्यालय का उद्देश्य ज्ञान और साधना का केन्द्र था वह ज्ञान और साधना का केन्द्र न होकर केवल विध्वंसात्मक कार्यवाही करने के अड्डे बन कर ही रह गये।

अध्यक्ष महोदय, यदि पांच छः वर्ष पूर्व हम विश्वविद्यालय की कल्पना करते तो हमारे सामने एक चित्र आता था कि विश्वविद्यालय केवल एक सरस्वती के मन्दिर की तरह लगते जहां पर केवल सरस्वती की आराधना में विद्यार्थी तथा शिक्षक लगे हुए हैं। जहां पर पहले पठन पाठन होता था पर आज विश्वविद्यालय का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक चित्र आता है एक ऐसे स्थल का। जहां पठन पाठन का न होकर अब केवल तोड़ फोड की कार्यवाही होती है। इसका परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालयों के वाइस चान्सलर भी कुछ नहीं कर सकते। उनकी हरकतों को देख कर हमें बड़ा दुःख होता है। मान्यवर एक बार का उदाहरण मैं विश्वविद्यालयों के बारे में देना चाहती हूं। मान्यवर मैं एक बार राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय में किसी काम से गयी। वहां पर मैंने देखा कि प्रशासनिक कार्यालय के बाहर लोहे की सलाखों का शटर लगा हुआ था। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से अन्दर जाना चाहे तो पहले उसे चिट भेजनी पड़ती है और जब अन्दर से परमीशन मिल जाती है तो आपको अन्दर जाने देते हैं। लोहे का शटर खुलता है और जब आप अन्दर चले आते हैं तो वापिस शटर को बन्द कर दिया जाता है ऐसा मालूम होता है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति जेल के अन्दर जाता है और शटर बन्द हो जाते हैं उसी तरह वहां भी ऐसा होता है। आपको ऐसा मालूम होता है कि आप एक तरह से जेल में घुसे हैं।

इन सभी बातों से ऐसा आभास होता है मान्यवर कि जैसे विश्वविद्यालय अब ज्ञान साधना का केन्द्र न होकर सिर्फ विध्वंसात्मक कार्यवाही करने के अड्डे और राजनैतिक अखाड़े ही रह गये है। जहां पठन पाठन का कार्य नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। इसको कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन मान्यवर प्रश्न यह उठता है कि ऐसा वातावरण क्यों बना। ऐसी प्रवृत्ति वहां क्यों पैदा हुई। यह आज से पांच छः साल पहले तो ऐसा वातावरण नहीं था। अध्यक्ष महोदय अगर हम सोचें तो पता लगेगा कि आज विश्व विद्यालयों में राजनीति घुस गयी है। मान्यवर वहां पर एक भौंडी प्रवृत्ति घुस गयी है जिनका काम सिर्फ विश्व विद्यालयों में तोड़फोड़ कराना ही है। अध्यक्ष महोदय आप जयप्रकाशनारायण का ही उदाहरण ले लीजिये। आज जयप्रकाशनारायण के साथ कितने व्यक्ति हो सकते हैं जो कि उनके साथ लग सकते हैं। आज लोगों के पास समय नहीं। ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जो कि जयप्रकाशनारायणजी के साथ लगे। उनके साथ जुलूस में आये। लेकिन आज अपने राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिये ऐसे लोग छात्रों को गलत रास्ते पर चलने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। उनकी

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, किशोरावस्था में सुझाव ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, उस क्षमता का दुरुपयोग किया गया है। सिन्डीकेट के चुनावों का जो तरीका था उससे विश्वविद्यालय का प्रशासन पूरी तरह से बिगड़ गया था। कोई भी टीचर, कोई विद्वान् विश्वविद्यालय में आना पसन्द नहीं करता था। के. एन. राज जो एक प्रसिद्ध समाज शास्त्री और शिक्षा शास्त्री हैं, वे दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ नहीं कर सके। वी. वी. जोन को भी छोड़ कर जाना पड़ा। प्रो. मलहोत्रा की प्रतिभा का उपयोग नहीं किया। आज वे दिल्ली विश्वविद्यालय में वाइस चान्सलर के पद पर हैं। उनको राजस्थान विश्वविद्यालय में काम नहीं करने दिया और उनको आगे बढ़ने के लिये अवसर नहीं दिया। वे स्थल जो कि आज शिक्षितों और विद्वानों से भरे हुए होने चाहिये थे, उनमें आज शून्यता आ गयी है और विद्वान् लोग उनसे दूर हटते गये हैं।

मान्यवर, जैसाकि सर्व विदित है कि विश्व विद्यालयों में एक शान्त वातावरण होना चाहिये। लेकिन तनावपूर्ण है। शिक्षक और वाइस चान्सलर तक असुरक्षित रहें जहां, वहां यह कैसे कल्पना की जा सकती है कि विद्यार्थी ज्ञान साधना में लग सकेंगे। यह कैसे उम्मीद की जा सकती है? इस प्रकार असुरक्षित अनुभव करते हुए विद्यार्थियों के भविष्य को नहीं बना सकते। उनमें सुधार आना अत्यन्त आवश्यक है।

विश्व विद्यालयों की राजनीति से केवल विश्व विद्यालयों को ही हानि नहीं हुई बल्कि सामान्य जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया। किसी विश्वविद्यालय में हड़ताल हो विद्यार्थियों का समूह जब बाजार में आता है लोग दुकानें बन्द कर देते हैं। उनके मन में एक भयावह दृष्टिकोण हो जाता है कि विद्यार्थी आ रहे हैं, दुकानें बन्द नहीं करेंगे तो तोड़ फोड़ होगी और उससे नुकसान होगा। और भी उदाहरण देती हूं। विश्वविद्यालय के प्रांगण तक अशान्ति से अछूते नहीं रहे। सब जगह अशान्त वातावरण हो गया। राज्य परिवहन निगम की कितनी ही बसों को विद्यार्थियों के द्वारा जलाया गया। शिक्षा के दावेदार जिस पर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन सारा का सारा वातावरण एक प्रकार से विकृत होता जा रहा है, इस प्रवृत्ति को दूर करने लिये यह बिल पेश किया गया, मैं सोचती हूं कि यह बहुत ही उपयुक्त है।

मान्यवर, राष्ट्र की युवा शक्ति की तुलना अणु शक्ति और परमाणु शक्ति से की जा सकती है। जिस प्रकार परमाणु शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों और बुरे कार्यों में हो सकता है। वह युवाशक्ति जो राष्ट्र निर्माण में लगायी जानी चाहिये वह कुछ लोगों के राजनैतिक स्वार्थ की वजह से विध्वन्सात्मक कार्यों में लगायी गयी है। क्या हम युवा शक्ति को इसी प्रकार से चलने देंगे या इसमें विशेष प्रकार का परिवर्तन लाना चाहेंगे?

मैं एक बात और कहना चाहती थी कि विश्वविद्यालयों में क्या मापदण्ड है परीक्षाओं का? भौंडी राजनीति के कारण परीक्षाओं में नकल करना, पुनः परीक्षाएं होना, इस प्रकार की जो स्थिति थी उसके लिए भी यह जरूरी था कि कोई व्यवस्था की जाती।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

मैं शिक्षा मंत्रीजी को याद दिलाना चाहती हूं कि पिछले सत्र में जब बिल आया था तो मैंने सुझाव दिया था कि सिंडीकेट में विद्यार्थी आते हैं उनको चुनाव के आधार पर नहीं, विशेष गुणों के आधार पर, विभिन्न संकायों में अच्छे नंबर प्राप्त किये हैं, तो उनको मनोनीत किया जाना चाहिये। शिक्षा मंत्रीजी ने मेरे सुझाव की उपेक्षा करते हुए जो बात कही थी वह आपसे छिपी हुई नहीं है। खैर। शिक्षा मंत्रीजी ने देर से सही पर अब अनुभव तो किया है कि ज्ञान के स्थलों में निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं, बहु-ज्ञान के आधार पर निर्णय होना चाहिए। यहां क्वान्टिटी के आधार पर नहीं क्वालिटी के आधार पर निर्णय होने चाहिये। इसी आधार पर यह अध्यादेश लाया गया है जो एक सराहनीय कदम है।

मान्यवर, इसके साथ ही एक बात और भी कहना चाहती हूं। आज अखबार में पढ़ा कि विश्वविद्यालयों में, तथा महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव नहीं होंगे। खैर, चुनाव नहीं होंगे तो ठीक है। परन्तु, मान्यवर, यह बात सोच लेनी चाहिये कि हर व्यक्ति में आत्म प्रदर्शन की या सेल्फ एक्जीबिट करने की प्रवृत्ति होती है और उसको सही दिशा मिलनी चाहिये। हर व्यक्ति में यह प्रवृत्ति होती है और खास तौर से किशोरावस्थाओं में छात्र छात्राओं में यह प्रवृत्ति अधिक होती है और छात्र संघों की दृष्टि से इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करते थे। चुनाव नहीं कराने की बात ठीक है पर मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि, छात्रसंघ समाप्त नहीं होने चाहिये। छात्र संघों में विद्यार्थियों को मनोनीत किया जा सकता है। क्लास के रिप्रेजेन्टेटिव्ज वे बन सकते हैं जिनके सर्वाधिक अंक हैं उनको बनाया जा सकता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में जो रुचि लेते हैं उनको सांस्कृतिक सचिव के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो वाद-विवाद में पार्टिसिपेट करते हैं और सर्वाधिक उपयुक्त हैं उनको स्पीकर बनाया जा सकता है। छात्र संघ तो अवश्य होने चाहियें। चाहे मनोनयन के आधार पर या चाहे चुनाव के आधार पर क्योंकि मानव प्रवृत्ति और मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखना होगा।

मान्यवर, इसके साथ साथ इस संशोधन से यह भी स्पष्ट आभास मिलता है कि उसी वाइस चान्सलर को सफलता मिलेगी जो कि निष्पक्ष है और ज्ञान पोषक है और जो निष्पक्ष रूप से सोचता हो पर यह बात ध्यान देने की है कि सर्वगुण सम्पन्न व्यक्ति तो मिलना मुश्किल है। वाइस चान्सलर यदि मनमानी करने लग जाय तो क्या होगा? सफल प्रजातन्त्र के लिए व्यवस्थापिका कार्य पालिका और न्याय पालिका पृथक पृथक मानी है। इस प्रकार उस पर भी चैक और बैलेन्स की आवश्यकता है। यदि विश्वविद्यालय पर चैक नहीं रहेगा तो आटोनोमी के नाम पर क्या होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। मैं सुझाव देना चाहती हूं। जो व्यक्ति चान्सलर के द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है, वह सोच समझ कर ही मनोनीत किया जाना चाहिये ताकि विश्वविद्यालय में वाइस-चान्सलर या आटोनोमी के नाम पर जो

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

मनमानी होती है उस पर चैक लगाया जा सके। मुझे आशा है कि ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करेंगे जो कि निष्पक्ष होकर काम करेगा और इसकी कमी पाटने का काम करेगा।

मान्यवर, इस प्रकार मुझे आशा है कि इस बिल के माध्यम से हमारी युवाशक्ति, हमारे शिक्षा संस्थानों को राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगा सकेंगे। और विश्वविद्यालयों का जो चित्र विकृत दिखाई देता है, इन चित्रों में नई एक्जीक्यूटिव के माध्यम से संवारा जा सकेगा, सुन्दर आकार दिया जा सकेगा। और अन्त में मैं यह कहूंगी कि इस ज्ञान के साधन को, इस ज्ञान के केन्द्र को मुझे आशा है ऐसा बनाया जा सकेगा जिससे देश की भावी पीढ़ी को आवश्यकता के अनुरूप ढाला जा सकेगा। बस इतना ही कह कर मैं अपना कथन समाप्त करती हूं।

श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है उसका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इमरजेन्सी की वजह से यह बिल पेश किया है तो मैं समझता हूं यह बिल बहुत पहले पेश हो जाता तो आज का छात्र, आज का युवा वर्ग जिसने देश के सामने बहुत से संकट पैदा किये हैं वह नहीं होता। छात्र संघ का संगठन अवश्य हो लेकिन उसका देश को लाभ मिले। आज की जो छात्रों का संगठन है उसमें बहुत सारी विकृतियां हैं। आज जो छात्रों का चुनाव हो रहे हैं मैं समझता हूं कई जगह, हमारे वहां कालेज में भी एक दफा चुनाव हुआ और उस चुनाव में छात्रों में आपस में झगड़े हुये, चाकू बाजी भी चली। उनका कहना है कि 18 साल में हमे मतदान का अधिकार मिलना चाहिये तो मैं समझता हूं उसके संगठन में चाकू चले यह उचित नहीं है। चुनाव कोई मामूली चीज नहीं है। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति हो, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति हो–यह अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिये। आज देश के चुनाव भी इसीलिये किये जाते हैं कि अच्छे व्यक्ति चुनकर आयें।

मैं समझता हूं शिक्षा मंत्री जी ने जो अभी बिल पेश किया है और जो अमेन्डमेंट ला रहे हैं यह बहुत पहले लाना चाहिये था। देश में गाड़ियों को रोकना अच्छी निशानी नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि छात्र वर्ग, देश का युवा वर्ग देश के कर्णधार होंगे, भावी पीढ़ी के निर्माता होंगे। मैंने आगे भी निवेदन किया है जिस देश का छात्र पुलिस या जो फौज है उसकी व्यवस्था को, उसके अनुशासन को खतम कर दे तो बहुत खराब चीज है। अगर आज देश का छात्र अनुशासन में रहता है तो देश का बहुत कुछ निर्माण हो सकता है। विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में जो छात्र आन्दोलन करते हैं मैं समझता हूं उसके लिये जो शिक्षा मन्त्री ने बिल पेश किया है वह बहुत ही अच्छा किया है। मै इस बिल का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं लेकिन छात्रों का संघ जरूर हो, संगठन जरूर हो और जिस प्रकार सरकार ने अपने 21 सूत्री कार्यक्रम में उनको सुविधा देने के लिए रखा है-सुविधा कापी और किताबों की जो चाहिये

Page No 12

(12)

(श्री शंकरसिंह रावत)

वे अपनायें लेकिन इस प्रकार का आतंक फैलाकर देश का जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा जय प्रकाश जी अगर इस चीज को लेते तो देश के उचित नेता होते लेकिन जो काम करना है वे नहीं कर रहे हैं। अगर छात्रों को भड़काते हैं तो मैं समझता हूं बन्दर के हाथ में तलवार देना है। 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में अच्छी चीज भरी जाय। शिक्षा जैसे क्षेत्र में छात्रों को देश के लिए इस प्रकार भड़काना और वह भी राजनैतिक दल में घुसकर भड़कायें तो मैं समझता हूं कतई उचित नहीं है, इससे देश का विकास रुकता है और देश के आने वाले जो नागरिक है—इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं उन पर कुठाराघात करके उनको पीछे लाये यह भी उचित नहीं है तो मैं अधिक न कहकर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो अमेन्डमेंट लाये हैं बहुत अच्छा है।

चुनाव की पद्धति बदल करके जैसा अभी माननीय सदस्या ने कहा जो फर्स्ट आये हैं उनको स्थान दें ताकि उनके ज्ञान का भी सदुपयोग होगा। मैं इतना ही कहकर जो विश्वविद्यालयों का बिल पेश किया है बहुत अच्छा है और समय पर किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा है?

(विराम)

अध्यक्ष महोदय आज जो बिल सदन के समक्ष रखा गया है, उसमें मुझे कुछ बुनियादी मुद्दे उठाने हैं। मैं यह नहीं मानता कि यह बिल परमानेन्टली और मुस्तकिल तौर पर एक सही चीज होगी और हमको इसके परिवर्तन की आवश्यकता नहीं आयेगी। अभी एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमने चुनाव की प्रथा को छोड़ा है लेकिन उसको अपनाने के लिये भी हमको तैयार रहना चाहिये। जम्हूरियत के नाम पर ऐसी चीजें करना जिससे जम्हूरियत का खातमा हो जैसा पिछले दिनों प्रतिगामी शक्तियों ने किया और मुल्क के हालात को ऐसा बना दिया कि जिसके सिवाय इसके कोई कोई चारा नहीं रहा कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जाय। यह सही है सिन्डीकेट डिजोल्व की गई वह उचित कदम है और इसलिये उचित कदम था कि प्रतिगामी शक्तियां इतनी बलवान हो गई थीं कि उनकी गतिविधि रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं रह गया था लेकिन उसके साथ साथ हमको यह दृष्टिकोण रखना होगा कि आज जो चीज सही है वह कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है जिसको हम यह मानकर चलें कि यह हमेशा के लिये कायम रहेगी और अध्यक्ष महोदय मेरी मान्यता यह भी है कि यह नजरिया भी बहुत गलत है। हम जो शिक्षित हैं, जो स्टूडेन्ट्स हैं उनको बन्दरों के समान कहें या उनको यह समझें और आम तौर से यह कहें कि वह ऐसी फौज है जो देश को तबाह करना चाहती है, मुल्क को बरबाद करना चाहती है, अनार्की पैदा करना चाहते हैं—मेरी मान्यता यह नहीं है, मैं इस हद तक मानने को तैयार हूं कि स्टूडेन्ट्स में ऐसा जहर प्रतिगामी शक्तियों की तरफ से फैलाया गया और ऐसे हालात पेश किये गये जिससे वे गुमराह हुये और उसमें भी यह नहीं कहा जा सकता है कि वे सबके सब गुमराह हो गये,

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
उनके वजूहात फासिस्ट की तरफ थे, साम्प्रदायिक तत्वों की तरफ थे जो हिन्दुस्तान के अन्दर समाजवाद को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अग्रेसिव हुए और उन्होंने ताकत हासिल की पर वह ताकत उनकी हासिल की हुई नहीं थी बल्कि उसमें राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं अनेक बार इसी सदन के प्रांगण में डाक्टर साम्बा का जिक्र आया है। मैं और दूसरे माननीय सदस्यों ने....

कई माननीय सदस्यों : वे तो उदयपुर के हैं...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह तो जनरल डिसकसन है। मेरा निवेदन है....

(पुनः व्यवधान)

यह नहीं है, तो मैं यह इसलिये अर्ज कर रहा था कि यहां पर वायदा किया गया था और यह कहा गया था कि इस चीज पर बहुत जल्दी एन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर होगी और उनके खिलाफ जो चार्जेज हैं उनकी एन्क्वायरी होगी मध्य प्रदेश में गबन किया और न मालूम क्या क्या किया, लाखों रुपयों का गबन और उनके खिलाफ मिसएप्रोप्रियेशन के चार्जेज लगे। उसके बाद हमने यहां रखा। इस प्रांगण में यह कहने के बावजूद राज्य सरकार के, एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। उन सब चीजों का दोष टीचर्स पर या और किसी का मान लेना या एक जनरल रिमार्क कर देना कि ये लोग ट्रेनों को बरबाद करते हैं और बिना टिकट सफर करते हैं। कुछ गुण्डे लोग अवश्य होते हैं जो यह सब कुछ करते हैं लेकिन आम लोग पीसफुल जिन्दगी बसर करना चाहते हैं जो समाजवाद के कायल है लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उनको समर्थन नहीं मिलता और उसके एवज में जो असामाजिक तत्व हैं वे छा जाते हैं। पूरा का पूरा तबका खराब है, इस नजरिये को मैं बहुत खतरनाक समझता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि यह नजरिया बनाकर नहीं चलना चाहिए। जो तालीम है उनको रिप्रजेन्टेशन नहीं मिले, जो टीचर्स हैं उनको रिप्रजेन्टेशन न मिले यह नजरिया गलत है। यह सही है कि ऐसे लोगों को रिप्रजेन्टेशन न मिले कि जो मुल्क की आजादी में विश्वास नहीं रखते हैं। यह बिल्कुल सही है कि जो लोग समाजवाद के दुश्मन हैं वह इस आईन के दुश्मन हैं। हमने अपना एक लक्ष्य बनाया वर्षों की मेहनत के बाद, और हमने इस लक्ष्य का उजागर किया कि हिन्दुस्तान के अन्दर कायम होना चाहिए। तो जो ऐसे लोग हैं कि जो समाजवाद की मुखालफत करते हैं वह आईन की मुखालफत करते हैं, वह हमारे विधान के दुश्मन हैं। इसलिए उनकी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए लेकिन यह कह देना कि यह एक मुस्तकिल इन्तजाम है इसका आधार मैं सही नहीं मानता। इसलिए सबसे पहला मुद्दा जो मैं अध्यक्ष महोदय, उठाना चाहूंगा वह यह है कि अब भी राज्य सरकार को यह सोचने की जरूरत है कि इस तरह से लड़कों का रिप्रजेन्टेशन, टीचर्स का रिप्रजेंटेशन इन

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

बाडाज के अन्दर किया जाये । चुनाव का तरीका आज गलत हो सकता है तो उसको आगे सोच लेंगे लेकिन कोई तरीका ऐसा निकालना चाहिए कि उन तालिबे इल्म को लेना जरूरी है । सच्ची रिक्वायरमेंट और सच्ची भावना आप तक पहुंचे और उसमें मैं अध्यक्ष महोदय यह निवेदन करूंगा एजुकेशन मिनिस्टर साहब से कि जो प्रगतिशील आर्गेनाइजेशन्स हैं उनकी आप कन्सल्टेशन कमेटी बनाइये चाहे वह स्टुडेन्ट्स फेडरेशन हो या एन. एस. यू. आई. हो या और कोई प्रगतिशील आर्गेनाइजेशन हो । उनको किसी न किसी तरीके का रिप्रजेन्टेशन मिलना चाहिए ।

इसी प्रकार से आपने टीचर्स को एक्सक्लूड किया तो टीचर्स की भावनाओं और टीचर्स के रिप्रेजेन्टेशन को किस तरह से किया जाये इसके बारे में मिलजुल कर आप बैठिये और तय कीजिए, इसलिए कि आज तक आपने संजीदगी से कभी इस चीज को तय नहीं किया कि तालीम इस किस्म की हो कि जिसमें आप यह समझें कि एक जमाना था आप को हजरात सोशलिज्म के नाम से एलर्जी थी, कम्युनिज्म के नाम से एलर्जी थी और अब आपने सोशलिज्म को अपना उद्देश्य कायम किया और अब आपके लिए सोचनीय विषय है कि समाजवाद के प्रति लोगों में श्रद्धा पैदा हो, पढ़नेवालों में श्रद्धा पैदा हो, पढ़ाने वालों में श्रद्धा पैदा हो । उसमें एक ऐसी चीज सोचनी पड़ेगी कि जिसको हम चलायें । हो सकता है कि प्रतिगामी लोग यह कहें कि आपने समाजवाद के ऊपर यह किताब कैसे लिख दी । लेकिन चीज असल यह है कि जब हमारा उद्देश्य यह है कि समाजवाद की स्थापना हिन्दुस्तान में करें तो फिर हमको यह सोचना होगा कि उसमें ऐसी जहरीली किताबें, ऐसा इतिहास कि जिसकी बुनियाद हिन्दु और मुसलमान के जज्बात को भड़काती हो उनको खतम करना होगा । उन इतिहास की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए खतम कर देना होगा । वह इतिहास को किताबें स्कालर्स के काम आ सकती हैं प्रोफेसर्स के काम आ सकती हैं । लेकिन हम तालीम के अन्दर इन्ट्रोड्यूज उनको करें ऐसा नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक विरोधी सम्मेलन हुआ और उन्होंने अपनी कान्फ्रेन्स में यह माना कि सिलेबस के अन्दर परिवर्तन होना चाहिए हिन्दुस्तान में ऐसी किताबें कि जो किताबें जज्बात को भड़का कर छोटी छोटी कौमों को एक दूसरे से अलग करती हैं उन किताबों के ऊपर पाबन्दी लगानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, क्या यहां के मन्त्रि-मण्डल ने कभी इस बात को सोचा ? क्या मन्त्रि-मण्डल ने कोई कदम उठाया उन लोगों के खिलाफ कि जो आज भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट में इन जमायतों के लोग मौजूद हैं ? मैं पढ़ता हूं अखबार में कि 125 आदमी मध्य प्रदेश में बड़े बड़े आफिसर्स असिस्टेन्ट कलेक्टर की रैंक के हटा दिये गये । मैं सुनता हूं यू. पी. में बड़े बड़े आफिसर्स हटा दिये गये । क्या राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है ? मुझे अफसोस है कि आज तक सरकार ने दिशा में कोई कदम नहीं उठाया । एजुकेशन

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं कि आपको मालुम होगा कि जिनका ताल्लुक आर. एस. एस. से रहा है। जिनका ताल्लुक आनन्द मार्ग से रहा है। ताल्लुक साम्प्रदायिक सम्मेलनों से रहा है-चाहे वह हिन्दु हो या मुसलमान हो, कोई भी हो और एक बार नहीं अनेक बार जब जिक्र आया है मैंने कहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का और जयपुर का दुर्भाग्य रहा है कि जो भी वहां वाइस चान्सलर आया उनमें अधिकतर इस किस्म के लोग आये कि जिनका संबंध इन संस्थाओं से रहा है और आज भी जो वाइस चान्सलर हैं वह अब परसा बन गये हों तो पता नहीं लेकिन दो वर्ष पहले वह आनन्द मार्ग से ताल्लुक रखते थे और आप जानते हैं कि दिमागों में परिवर्तन नहीं होता। आपने अभी जो वाइस चान्सलर मुकर्रर किया इससे पहले भी जो वाइस चान्सलर रखे हैं उनके बारे में मैं कुछ तफसील के साथ नहीं जाना चाहता हूं पर मैंने यह निवेदन किया है कि अक्सर उनका ताल्लुक जनसंघ और आर. एस. एस. से रहा है। जो आज आप कानून ला रहे हैं उसमें वाइस चान्सलर को पावर्स दे रहे हैं और जैसे वाइस चान्सलर हमारे पाण्डे साहब हैं, जैसे लाम्बा साहब हैं। उनको पावर्स देंगे और वह नामीनेट चार आदमी कर देंगे और एक वाइस चान्सलर खुद होगा। तो इस तरह से 9 आदमियों में उनकी अक्सरियत रहेगी। निवेदन करना यह है कि आप इस विषय के ऊपर बड़ी गम्भीरता से गौर फरमायें और यह तय करें कि वाइस चान्सलर को जो इतनी पावर्स दी जा रही हैं तो वह किस प्रकार के वाइस चान्सलर होंगे।

अभी माननीय गुमानमल जी ने कहा कि उदयपुर का सवाल आयेगा उस समय हमारे एक साथी लाम्बा साहब का प्रश्न जरूर उठायेंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें जो हमारे यहां हुई है वह नहीं होनी चाहिए।

इसी तरह से मैंने इसी प्रांगण पर जो हमारे आर्ट्स के डीन हैं उनके बारे में एक बार नहीं अनेक बार एजुकेशन डिपार्टमेंट का और एजुकेशन मिनिस्टर साहब का और इस सदन का ध्यान दिलाया है कि उनका ताल्लुक अमेरिकन लोगों से है और उनकी वाइफ अमेरिकन है जिस को मुस्तकिल तौर पर यहां रख दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस मुल्क में अमेरिकन को किस तरह से जगह दी जा सकती है और उनको आज तक भारत का सिटीजन नहीं बनाया गया और आज वह परमानेण्ट जगह होल्ड कर रही है और उनका ताल्लुक और उनकी गतिविधियां मैंने खुल्लमखुल्ला बतायी है कि अमेरिका की सी. आई. ए. से है आज भी उनको डीन आफ फेकल्टी आफ आर्ट्स बनाया हुआ है उन्होंने चार पांच बार इस्तीफा दिया और इसलिए दिया कि वह सिन्डीकेट का आर्डर केरी आउट नहीं करना चाहते थे, वह एजुकेशन डिपार्टमेंट के आर्डर्स केरी आउट नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्या वजह थी कि राज्य सरकार ने या उस सिन्डीकेट ने या उन अथोरिटीज ने कि जो उनका इस्तीफा मंजूर कर सकती थी उन्होंने इस्तीफा मन्जूर नहीं किया ? क्यों नहीं किया ? इसलिए कि उन्हें उनसे कुछ हमदर्दी है, उन्हें उनकी जासूसों की हरकतों से हमदर्दी है। मैंने यह कहा था कि अभी आप देखेंगे

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

"नतीजा दुश्मन की दोस्तो का अभी देखना, अभी देखा ही क्या है ।" आपने जो दोस्ती का हाथ बढाया इन एलीमेंट्स की तरफ उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि हमको आपातकालीन स्थिति लागू करनी पड़ी है। इस मुल्क के अन्दर । इसके अलावा आपके सामने यहां पर यह सवाल भी आया लालबहादुर शास्त्री कालेज का, मैंने और अपोजीशन के सभी लोगों ने इस तरफ आपकी तवज्जोह दिलाई कि यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वह बड़ा अन्याय हो रहा है । लोगों को बरखास्त किया जा रहा है, लोगों को नौकरियों से अलहदा किया जा रहा है और परमानेंटली एक शख्स को बना दिया जाता है वह हमेशा हमेशा के लिए सर्वेसर्वा बना रहेगा । आप इसकी इंक्वायरी के आदेश दें कि उन्होंने आपके आदेशों को केरी आउट क्यों नहीं किया और अब तो इमरजेंसी की आड़ में और भी लोगों को मनमाने ढंग से निकाला जाएगा जो अभी तक नहीं निकाले गए हैं। मैं शिक्षा मंत्री से पूछूंगा कि उनके पास इसका कोई जवाब है ? इसकी क्या प्रायोरिटी है। क्या आप इसका जवाब देने की स्थिति में हैं कि आपके आदेशों की क्यों नहीं पालना की गई ।

मैं आज के दिन एक बात और निवेदन किया चाहता हूं जिसका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया था क्योंकि इसका पूर्व में फ्रीडम फाईटर से ताल्लुक था और उनके दिल को इससे ठेस पहुंचती लेकिन अब वे इस संसार में नहीं हैं । आज हमारे बनस्थली विद्यापीठ के अन्दर जो कुछ भी हो रहा है उसको आप भी बखूबी जानते हैं । वहां पर खुल्लमखुल्ला इन्दिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाए गए और मैं शिक्षा मंत्री के समक्ष पेश हुआ और मैंने यह रिप्रजेन्टेशन किया था । वहां पर जो रशियन लैंग्वेज का टीचर था उसको रिप्लेस किया गया जब कि आज भी आप उसकी एड देते हैं । जो टीचर प्रगतिशील नारा बुलन्द करे उसको हटा कर फेंक दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है । तो आज ऐसी हालात में जब कि हमारा मुल्क गुजर रहा है खुल्लमखुल्ला वहां पर यह हालात हो रहे हैं । गोकुलभाई भट्ट वहां जाते हैं तो उनका बड़ा भारी, जबरदस्त इस्तकबाल किया जाता है और किसी ने यह कहा कि इन्द्रा गांधी जिन्दाबाद तो उसको कहते हैं कि तुमको पिटवायेंगे । आज विद्यापीठ का यह हाल है। आप उन को अस्सी नब्बे प्रतिशत एड देते हैं और फिर आप इण्टरफियरेंस नहीं कर सकते । मैं कहता हूं कि आप उसकी एड बन्द कर दें अगर आप इण्टरफियरेंस नहीं कर सकते । मेरा निवेदन करना है कि एक ही नहीं अनेक चीजें आपके समक्ष लाई गई और अब आप नोमीनेशन की प्रथा जारी करके वाईस चांसलर को अनलिमिटेड पावर्स दे रहे हैं ।

अग्रवाल कालेज के प्रिंसिपल अवधूत हैं और वहां पर आज भी जो प्रिंसिपल हैं जो उनका तरीका है उनके बावजूद उनको एप्रूव नहीं किया है । वह कुछ भी करें लेकिन वह अवधूत आजाद घूम रहा है और इंसानों की खोपड़ियों को जमा करके जादूगरी का करिश्मा दिखावें लेकिन

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
हमारी सरकार किसी तरह से इंटरफियरेंस नहीं करना चाहती है। तो मेरा निवेदन है कि आपको इन सब गम्भीर समस्याओं का हल निकालना चाहिए। आपको यह सोचना होगा कि इन टीचर्स की आवाज, इन स्टूडेंट्स की आवाज आप तक कैसे पहुंचे और कैसे वाइस चांसलर आप रखें। यह जो आपने सिण्डीकेट को खत्म किया है यह बहुत सही कदम है और अब आप इस चीज को ला रहे हैं इसको हमको परखना होगा लेकिन इस सिद्धान्त को किसी न किसी तरह से अपने मद्दे नजर रखना होगा कि स्टूडेण्ट्स का कुछ न कुछ रिप्रेजेण्टेशन किसी न किसी शक्ल में हम को करना होगा। टीचर्स का रिप्रेजेण्टेशन किसी न किसी शक्ल में करना होगा और फिर वाईस चांसलर की ताकत को किसी न किसी तरीके से करटेल करना होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह इस किस्म की जो चीजें हैं उनके बारे में हर तरह से गौर करें और आपको यह रवैय्या अपनाना चाहिए कि सिर्फ ऐसी किताबें तालीम के सिलेबस में रखी जाएंगी जो हिन्दुस्तान की सिक्योलरिज्म को प्रोटेक्ट करती हों, समाजवाद में विश्वास करती हों और जो हमारी बेसिक पोलिसीज हैं उनसे डिफर नहीं करती हों। हम यह समझते हैं कि यह आपातकालीन स्थिति जो लागू की गई है, अगर यह सही कदम वक्त पर नहीं उठाया गया होता तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क के कोने 2 में आग लग गई होती, इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते और मुल्क के अन्दर अमेरिकी साम्राज्यवाद का कुचक्र चल गया होता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपकी जिम्मेदारियों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। आपका 21 पाइन्ट प्रोग्राम कोरा लफ्जी नहीं है बल्कि प्राईम मिनिस्टर ने अपील की है कि इसको शक्ल की एक एक चीज को लागू करना होगा। स्टूडेंट्स को आप किताबें कम कीमत में दें, उनको एसेंशियल कमोडिटीज गवर्नमेंट होस्टल में जो रहते हैं या किसी अन्य होस्टल्स में रहते हैं उनको रीजनेबल प्राईज पर दें।

इसके अलावा एक निवेदन और करना चाहूंगा। वह प्राईवेट इंस्टीट्यूशन्स के बारे में है। इन प्राईवेट इंस्टीट्यूशन्स के बारे में कई बार मैंने यहां इस प्रांगण में, इस सदन के प्रांगण में यह मांग रखी है कि आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जिससे आप इन पर पूरा कन्ट्रोल कर सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो फालना का कालेज और दूसरा लक्ष्मणगढ़ का कालेज है। ये दोनों कालेज प्राईवेट इंस्टीट्यूशन्स द्वारा चलाए जाते हैं। वहां आए दिन अनियमितताएं होती हैं और यूनिलेटरली डिसिजन लेते हैं। फालना में उन्होंने तय किया है कि साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ायेंगे और इस तरह से उन बच्चों के रास्ते में, जो साइन्स में तालीम करना चाहते हैं, दिक्कत पैदा हो गई है। तो यह सब चीजें हैं। इन सब चीजों को सामने रखते हुए मेरा निवेदन है कि आप हर चीज के ऊपर बहुत गंभीरता से गौर फरमा कर और जो इस प्रकार से बैठे हैं उनको कम सम्भालें। आप यह देखने की कोशिश करें कि आज इन प्राईवेट इंस्टीट्यूशन्स में क्या हो रहा है। आप गहराई में जाने की कोशिश करें। वही इमारत जिसके ऊपर किसी का नाम पहले

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

लिख दिया जाता है कि यह फलां चैरिटेबल ट्रस्ट से बनाई गई, उसकी जगह दूसरी जगह से रुपया आया और उसका नाम मिटा कर दूसरे ट्रस्ट का नाम लिख दिया। यह आपको मालूम नहीं होता है। कितना रुपया आया और कहां गया, कितनी इमारतें बनीं और किसके पैसे से बनी। आपको इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर करना चाहिए कि विद्यापीठ में कितनी इमारतों के लिए पैसा आया और कितनी इमारतें मौजूद हैं। एक ही होस्टल पर पहले एक का नाम है और दूसरे का पैसा आया तो उसका नाम मिटा कर दूसरे का नाम लिख दिया, तीसरे ने पैसा दिया तो उसको मिटा कर उसका नाम लिख देते हैं और इस तरह इर्रेगुलरिटि करते हैं। या तो आप इनका राष्ट्रीयकरण करके इनको खत्म कीजिए, आप इनको अपने हाथ में लीजिए। कोई वजह नहीं, आप इनको अपने हाथ में क्यों नहीं लेते हैं? आज भी आप इनको 90 फीसदी और 80 फीसदी तक ग्राण्ट इन एड देते हैं और सिर्फ दस फीसदी के लिए स्टूडेंट्स का, टीचर्स का एक्सप्लायटेशन किस तरह से टालरेट करते हैं। जो इस तरह से गड़बड़ करते हैं उनके लिए आपको आपातकालीन स्थिति का उपयोग करना चाहिए और जो भी कदम आपको उठाने हैं उनको हिम्मत के साथ उठायें। उनको पक्षपात के बिना उठायें, यह नहीं समझें कि यह फलां का है यह फलां का है। यह इजारा फलां का है और यह इजारा फलां का है इस शख्सीयत को छोड़ कर हमको सख्ती से कदम उठाना है और कौम के उत्थान के लिए, कौम को आगे बढ़ाने के लिए, तालीम का स्टेंडर्ड ऊंचा करने के लिए यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि इन प्राईवेट इजारों पर आप या तो अंकुश लगायें या इनका राष्ट्रीयकरण करें। लेकिन अफसोस की बात है कि एजूकेशन डिपार्टमेंट जिसका इतना बड़ा बजट है, इतना ज्यादा खर्चा है उसके बावजूद जो हालत है, आज उनको आप सही करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कदम आपने उठाये हैं उनकी उपयोगिता को देखना होगा। फिर भी यह सही कदम था कि वह सिण्डीकेट आपने खत्म किए। लेकिन जो वाईस चांसलर हैं जो इस तरह के अवधूत लोगों से ताल्लुक रखते हैं वह क्या करेंगे यह देखना होगा। उनके साथ आपने प्राईवेटली क्या अरेंजमेंट किया है कि वे गवर्नमेंट को कंसल्ट करें या चांसलर साहब से पूछेंगे, क्या अरेंजमेंट आपने किया है यह मुझे मालूम नहीं लेकिन एक्ट में ऐसी चीज नहीं है कि उन पर कोई अंकुश लगाया गया हो।

इसलिए संक्षेप में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उन सुझावों पर आप पूरी तौर से गौर फरमायें और ऐसे लोग कि जो इन इजारों के अन्दर खतरनाक करेक्टर के लगे हुए हैं उनको हटायें और उनके खिलाफ मुस्तकिल स्ट्रगल करते रहें। हमको इन स्टूडेंट्स के खिलाफ प्रिज्यूडिस होकर नहीं चलना चाहिए। एक दस फीसदी या 15 फीसदी आनन्द मार्गी या आर.एस.एस. के लोग अगर आतंक पैदा करके छा जाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि 80/90 फीसदी स्टूडेन्ट्स जो कौमी खयालातों रखते हैं उनको प्रतिनिधि के रूप में क्यों

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
न रखा जावे ? यह मेरा निवेदन है कि आप आज हिम्मत के साथ कदम उठाइये और अगर आप यह समझते हैं कि आप ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं तो यह काम किसी मजबूत आदमी को सौंप दें। आपके यहां पर 145 आदमी हैं उनको यह काम किसी को भी आप सौंप सकते हैं और आप कोई समाज कल्याण विभाग या ऐसा ही कोई हलका डिपार्टमेन्ट लेकर बैठिये। कोई जरूरी नहीं है कि एजूकेशन डिपार्टमेन्ट आपके पास ही रहे। इसलिए यह निवेदन है कि यह बोझ आप उठाइये और सही तरह से उठाइये और अगर नहीं उठा सकते हैं तो और किसी के सुपुर्द करिये। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय....

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री माणकचंद सोगानी : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : श्री माणकचन्द सोगानी।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल पेश हुआ है, उसका मैं स्वागत करता हूं हमारे यहां, सरकार ने इस बैजट के अन्दर काफी परसेन्टेज का खर्चा रखा है और जब तालीम पा कर इन्जीनियर्स निकलते हैं, डाक्टर निकलते हैं तो उनके लिए सरकार ने काफी फेसिलिटीज भी दी हैं। विद्यार्थी काफी सेवा करते हैं इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस वक्त मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं सदन को यह बताने के लिए कि हमारे यहां अभी अजमेर में विद्यार्थियों ने बहुत सेवा की है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, अजमेर में अभी जबर्दस्त बाढ़ आई थी उसमें विद्यार्थियों ने जो सेवा की है, उसका एक दृष्टांत आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपके समक्ष रखना चाहता हूं। दो मिनिट लूंगा। 18 जुलाई को अनायास ही बहुत अधिक वर्षा अजमेर में हुई तमाम क्षेत्र अजमेर का पानी से लबालब भर गया और कुछ क्षेत्रों में नावें चलानी पड़ी। उस समय वहां पर हमारा विद्यार्थी वर्ग नहीं पहुंचता सहायता के लिये तो इस बाढ़ के कारण न मालूम कितनी जानें चली जातीं। अजमेर में करीबन 4000 फेमिलीज शिड्यूल्ड कास्ट की बेघर हो गई। उनके रहने के लिए कोई निवास स्थान नहीं रहा। इस बाढ़ से करीब बीस हजार आदमियों को क्षति पहुंची है। परन्तु इस विद्यार्थी समाज ने वहां पर रात दिन सेवा की। अतः उनके लिए यहां पर यह कहना जरूरी था।

अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे एजूकेशन मिनिस्टर साहब जो बिल ला रहे हैं वह तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए ला रहे हैं और यह आज के जमाने में जरूरी है। हम देखते हैं कई जगह विद्यार्थी पढ़ने नहीं जा सकते हैं। इसलिए आज के अवसर पर यह कदम उठाना जरूरी है। यह भी ठीक है सिन्डीकेट को हटाना और वाइस चांसलर को अधिक पावर देना-यह तमाम कदम इस वक्त उपयुक्त समझे गये हैं इसलिए यह बिल इस सदन में पेश किया गया है और हमारे माननीय सदस्यों

(श्री माणक चन्द सोगानी)

को इस बात का ध्यान रखना चाहिये और इसका स्वागत किया जाना चाहिये। गवर्नमेंट जो कदम उठा रही है, उसके अन्दर सोच समझ कर काम किया जायेगा और किया भी जा रहा है। गवर्नमेन्ट इसका जवाब देगी। इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें जो कुछ बुराई की बात आपके सामने स्टूडेन्ट्स के लिए हरदम सुनने को मिलती है, उनको हटाने के लिये यह बिल आना जरूरी था। इसलिए यह तमाम चीजें आपके सामने पेश की हैं।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय····

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय··

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने यह जो यूनिवर्सिटी अमेन्डमेन्ट एक्ट बिल जो प्रस्तुत किया है सदन के सामने उसके समर्थन में मैं बोल रही हूं। और इसके साथ ही मैं चंद शब्द कहना चाहती हूं। आशा है, मुझे इजाजत देंगे।

श्री अध्यक्ष : जी हां, फरमाईये।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : ऐसा है कि हमारी सरकार की आलोचना होती है, हो सकती है. मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जिन्होंने सरकार की आलोचना की है कि पहले से कदम क्यों नहीं उठाया गया लेकिन मैं यह समझती हूं कि इस समय यह जो कदम उठाया गया है वह बिलकुल ही समयानुकूल है, इसमें कोई संशय नहीं है बल्कि मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि स्टूडेन्ट्स ऐसा किया करते हैं, मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों के लिये जो गुंडागर्दी करते हैं स्टूडेण्टस् के नाम पर, उनके लिये जो एक्ट लाया गया है क्या वह स्वागत योग्य नहीं है? क्या यह सरकार का ठीक कदम नहीं है? इस बात की क्या आलोचना कर सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सिर्फ इस बात को कह देना कि सिन्डीकेट खतम कर दिया और वाइस चांसलर को पावर दे दिये गये और पब्लिक रिप्रिजेन्टेटिव नहीं है या छात्र इस तरह की कार्यवाहियां करते हैं, मैं यह पूछना चाहती हूं कि छात्र के पीछे कौनसी ताकत है? ये राजनैतिक दल जो उनका दुरुपयोग करते हैं, वे ही तो हैं ना? या यह सब छात्रों के अपने दिमाग की उपज है कि वे इस तरह की बात करते हैं। छात्रों के नाम पर कोई कुछ करे। आज इस जमाने में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका यही काम है और ऐसी बात ये ही लोग करते हैं। मेरी यह समझ में नहीं आता कि इस बात के बजाय, इसका स्वागत करने के बजाय इसको इस रूप में क्यों ले रहे हैं कि यह बहुत वैसा था। लोगों ने इसका स्वागत किया है।, इसके लिये धन्यवाद दें। इस रूप में क्यों लेते हैं कि सिर्फ छात्र ही ऐसा करते हैं और शिक्षा मंत्री कुछ नहीं करते या हमारी सरकार कुछ नहीं करती या हमारी भारत सरकार कुछ नहीं करती। इस बात को क्यों इस तरह से पेश किया जाता है। यहां आज सदन में जम्हूरियत की बात सुनने को मिली। कुछ ऐसी बात कही। जम्हूरियत–सब लोग जम्हूरियत में हैं, कौन नहीं है। हम सब जम्हूरियत के लोग हैं और इस हिन्दुस्तान के वासी हैं। इसमें सब जाति, वर्ग के लोग हैं। हमें हमारी सरकार

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

हाथ मजबूत करने चाहिये और हमारे शिक्षा मंत्री जो कानून मंत्री भी हैं उनके हाथ मजबूत करें बजाय इसके कि अधिकारियों को दोष देते रहें। हम स्वयं अपनी तरफ भी देखें कि हम लोग क्या करते हैं। हम खुद क्या करते हैं। क्या हमारा दायित्व कुछ नहीं है या सिर्फ जो दायित्व है वह अधिकारियों का है, या मंत्रीजी का है, या सरकार का है ? यह समझ में नहीं आता है। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ जो बिल पेश हुआ है, उसका मैं समर्थन करती हूं।

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय...

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने यूनिवर्सिटी अमेन्डमेन्ट बिल पेश किया गया है। अध्यक्ष महोदय इमरजेन्सी के टाइम के दौरान में ऐसे काफी संशोधन आये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों, हमने हर तरह से समाज के हर वर्ग को दबाने का सोच लिया है इमरजेन्सी की ओट में, तो आज हम यूनिवर्सिटीज को क्यों छोड़ें। यह अच्छा हथियार मिला है हमारी सरकार को जिधर भी चले हाथ, हाथ में इमरजेन्सी की नंगी तलवार है। बोल नहीं सकते हैं किसान, अपने अधिकारों के लिये, मजदूर लड़ नहीं सकते और उनके हकों पर कुठाराघात करने के लिये ईमरजेन्सी की तलवार है, इसलिए बोलेंगे नहीं। अगर बोलेंगे तो बोलने से पहले ही जेल में डाल देंगे। इसी तरह से आज विद्यार्थियों के लिये, यूनिवर्सिटीज में जो काम करते हैं उनके लिये भी हमारी सरकार इमरजेन्सी की नंगी तलवार लेकर उठ खड़ी हुई है।

पहले तो यह कहा जाता है कि विद्यार्थी उच्छृंखल हैं, विद्यार्थी चलती गाड़ियों को रोक देते हैं, अनुशासन नहीं मानते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ पर्सेन्टेज इस बात में सही हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं कि 90 पर्सेन्ट विद्यार्थी गलती करते हैं, अनुशासन तोड़ते हैं। कुछ पर्सेन्टेज गलती करता है और अनुशासन तोड़ता है तो क्या बाकी के विद्यार्थी वर्ग का भी इस तलवार को लेकर गला काटने को तैयार हो जायं। यूनिवर्सिटी की आटोनामी का ख्याल रखना चाहिए। इमरजेन्सी में आपको अधिकार है तो सन् 47 का टाइम भी हमें याद है तो उससे मैं इसकी तुलना करता हूं हालांकि बहुत से माननीय सदस्य इसमें मेरे से खिलाफत रखते होंगे। मैंने देखा कि सन् 47 के अन्दर देश के टुकड़े हुए उस वक्त में बिलकुल निर्दोष आदमी चाहे हिन्दू अल्पमत में हो, चाहे मुसलमान अल्पमत में हो तो जो गरीब आदमी अल्पमत में थे उनको खत्म किया गया था। आज इमर्जेन्सी के अन्दर आपका बहुमत है। आप इस जबरदस्त बहुमत को कानून के अन्दर परिवर्तित करके जगह जगह जो मजदूर अपने हकों के लिए शोर करते हैं, आवाज उठाते हैं वह शोर न करें, किसान कोई शोर न करें, कोई मीटिंग न करें, कोई प्रदर्शन न करें, कोई 4 आदमी इकट्ठे होकर आवाज न उठायें, उसके लिए नंगी तलवार लटका है...

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, यह किस बिल पर बोल रहे हैं ?

श्री मोहरसिंह : बिलकुल ठीक बोल रहा हूं। यह जो आपकी आटोक्रेसी की

(श्री मोहरसिंह)

नीति है और लोगों को हर क्षेत्र में दबाने की जो नीति है, उसके लिए मैं बोल रहा हूं। एक छोटा सा सवाल आने पर विनाश पैदा होता है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अन्य समाज के लोगों को दबाने के लिए आपने इमर्जेन्सी का हथियार ले लिया है तो इनको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और युनिवर्सिटीज की तरफ भी चल पड़े। पहले जो एमेण्डमेन्ट था इससे पूर्व उस वक्त भी मिनिस्टर महोदय से कहा था कि इस प्रकार की जो चीजें हैं कि हुकूमत अपने अधिकारों की यह चाहती है कि युनिवर्सिटीज के अन्दर पेनिट्रेट किया जाय वह ठीक नहीं है। इस तरह की कोशिश पूर्व में भी चालू हो गई थी अब तक तो बहती गंगा में मौका मिल गया। विद्यार्थी कुछ कहेंगे तो जेल में डालो, प्रोफेसर कुछ कहें तो जेल में डालो, और भी कुछ इन्टेलिजेन्शिया कुछ कहे तो जेल में डालो। बड़ा अच्छा हथियार आपको मिल गया युनिवर्सिटीज में मदाखलत करने के लिए। कोई गड़बड़ हो तो उसको दबाने के लिए इस प्रकार के अधिकारों को सौंपना यह कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में यह जो मान्यता है कि हर बात का हमने ठेका ले लिया है कि हमीं सही हैं, बाकी दूसरी पार्टीज जो हैं वह गलत कर रही हैं, इसके अनुरूप यह जो कदम उठाया है कि हमारी चीजों का युनिवर्सिटी में प्रवेश हो इसलिए पुरानी व्यवस्था को ठीक नहीं मानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो एमेन्डमेन्ट है वह डेमोक्रेसी के खिलाफ है, आटोनामी के खिलाफ है और आटोक्रेटिक है। इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों के कानूनों में संशोधन करने के कुछ कारण जो बताये गये हैं उनसे ज्ञात होता है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने दो बातें अनुभव कीं। एक बात तो यह है कि इन विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण नहीं है। जिसको उत्पन्न करने की दृष्टि से यह संशोधन किया जा रहा है, और दूसरा प्रशासनिक नियंत्रण समुचित करने की दृष्टि से इसका महत्व बताया गया है।

जहां तक दो विश्वविद्यालयों का प्रश्न है उनके सम्बन्ध में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक उदयपुर विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में मैं बहुत कुछ जानता हूं। माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा के इसी सदन में उदयपुर विश्वविद्यालय में होने वाली भयंकर गड़बड़ियां जिनमें प्रशासनिक भी और वित्तीय गड़बड़ियां भी सम्मिलित हैं बड़े विस्तार के साथ रखी गई हैं और माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने गत सत्र में विधान सभा में इस बात का आश्वासन दिया था कि हम उदयपुर विश्वविद्यालय में होने वाली प्रशासनिक एवं वित्तीय गड़बड़ियों के संबंध में सेक्शन (8) के अन्तर्गत एन्क्वायरी बैठायेंगे, और मुझे यह भी ज्ञात हुआ है सेक्शन (8) की एन्क्वायरी

(श्री मनोहर कोठारी)

के संबंध में टिप्पणियां बनी हैं, कई कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट तैयार हुए हैं, लेकिन यह विलम्ब क्यों हो रहा है? आज जब भारत सरकार और हमारे देश की अन्य प्रदेश सरकारें भी और हमारी राजस्थान सरकार भी यह चाहती हैं कि जहां पर अनियमितताएं हों, जहां पर भ्रष्टाचार हों, जहां पर इस तरह की कोई वित्तीय गड़बड़ियां हों, उनके सम्बन्ध से जांच की जानी चाहिए, और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाना चाहिए।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने साम्प्रदायिक संगठनों पर पाबन्दी लगाई है, आर. एस. एस. और जमाते-इस्लामी जैसी संस्थाओं पर पाबन्दी लगाई है, लेकिन आपने इस विश्वविद्यालय के अधिकारी, उच्चाधिकारी आपके चान्सलर, वाइस-चान्सलर क्या कर रहे हैं, उस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : चान्सलर नहीं वाइस चान्सलर।

श्री मनोहर कोठारी : वाइस चान्सलर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय में गतवर्ष कितने बाहर के व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया? उनमें वह कौन-कौन व्यक्ति थे इस संबंध में आप जांच करवायें। मैं कहना चाहता हूं कि भारत वर्ष के जितने प्रगतिशील राजनैतिक या बुद्धिजीवी व्यक्ति हो सकते थे उन्हें कभी आमन्त्रित नहीं किया गया। उदयपुर विश्वविद्यालय में अटलबिहारी वाजपेयी, पी. सुब्रामण्यम् स्वामी, एल. के. अडवानी, भानुकुमार शास्त्री, ललित किशोर चतुर्वेदी आये। आप इन लोगों को बुलायें और उनके बाद में इस तरह की आकांक्षा (आशा) रखें कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण बनेगा? मैं कहता हूं कि यह ख्वाब है, माननीय मंत्री महोदय। इस तरह के प्रशासन से आप अच्छे नागरिक पैदा करने का ख्वाब छोड़ दें। आप इन विश्वविद्यालयों में जिस तरह की चीजें चल रही हैं उसके मूल को देखें। आप निदान करना चाहते हैं बीमारी का। हो सकता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में बुखार हो लेकिन वह छोटा-मोटा बुखार हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। जोधपुर में कोई बुखार है तो वह भी छोटा-मोटा बुखार हो सकता है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय का बुखार कोई ऐसा वैसा बुखार नहीं है। वह लाल बुखार है। उसके लिए तो उसी तरह का निदान करना पड़ेगा, उसके लिए तो वैसी ही व्यवस्था करना पड़ेगी, वर्ना आपका वह विश्वविद्यालय मर जाएगा। मैं यह आपके सामने चुनौतीपूर्वक कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन किये हैं उन संशोधनों के अन्दर दो डीन और डाइरेक्टर्स को नोमीनेट करने का अधिकार वाइस चान्सलर को दिया गया है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में जिसमें दूसरी फेकल्टीज भी हैं यह किया गया है। लेकिन

(श्री मनोहर कोठारी)

में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उनके एक्ट को आप देख लीजिए वहां पर इस तरह से डीन और डाइरेक्टर को नोमीनेट करने की कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है। पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय को आप देख लीजिए जो कि हमारे यहां का एक विशिष्ट विद्यालय है, एक अनुकरणीय विश्व-विद्यालय माना जाता है एग्रीकलचर के क्षेत्र में। पंजाब के लुधियाने के विश्व विद्यालय को देख लीजिए वहां पर भी डीन और डाइरेक्टर को नोमीनेट करने का अधिकार नहीं है। इस तरह से और कोई सम्मिलित नहीं किया जाता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ये तीनों विश्वविद्यालयों के जो अमेण्डमेन्ट हैं, वह माननीय मन्त्री महोदय बाकी दोनों को भी एक साथ रख दें और एक साथ ही सेकेन्ड करा लें। अन्यथा जो विश्वविद्यालयों के बारे में आ रहा है, वही अलग अलग से कहा जायेगा।

श्री खेतसिंह : मेरा निवेदन है, मैं तीनों ही मूव कर दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : विषय एक है लेकिन तीन विधेयक हैं तीनों को अलग अलग लेना होगा। वोटिंग भी अलग अलग होगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वोटिंग अलग अलग करा लें।

श्री अध्यक्ष : अगर सदन यह चाहता है कि एक साथ ही ले लिया जाये तो वैसा कर लिया जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक साथ ही अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : सदन सबसे ऊपर है। वह चाहता है तो एक साथ ले लिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहला वाचन साथ में हो जाये। क्योंकि एक में अमेन्डमेन्ट है दूसरों में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पहला दूसरा तो आप कर रहे हैं। अमेण्डमेण्ड हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जैसा आप चाहते हों।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि राज्य सरकार दो अमेण्डमेण्ट कर रही है इसलिए मैं अपना अमेण्डमेण्ट विड्रा कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक ही बात है। स्थिति एक ही है। चाहे वह अमेण्डमेंट आपने भेजा हो या गवर्नमेंट से डिस्कशन कर लिया जाये या उसका बाद में कर लें। तीनों पर करना चाहें तो वह करलें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तीनों को साथ ही कर लिया जाये। वोटिंग अलग अलग करा लें।

श्री अध्यक्ष: मोशन मूव कर दें। जनरल डिबेट एक हो जाये। वोटिंग अलग अलग हो जाये।

(श्री अध्यक्ष)

(1) जोधपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975

(2) उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975

(3) विचारार्थ प्रस्ताव

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्व विद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तक जो दूसरी स्थिति है जो कहा गया है, उसको भी। रिलेवेण्ट मान लिया जाये।

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, देश के जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं, वहां पर इस प्रकार से डीन और डायरेक्टर वाले अधिकार नहीं हैं। 5-6 डीन या डायरेक्टर में नाम होगा। यह बात सही है कि एक माननीय सदस्य जो जयपुर के हैं। जौहरी बाजार से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इससे तो वाइस चांसलर को और ज्यादा मजबूत बनाने की सोच रहे हैं। यह बात सही है कि यह उस स्थिति में ठीक हो सकता है। लेकिन जब आप निदान करना चाहते हैं और ऊपर ऊपर देखकर ही फैसला करेंगे तो गड़बड़ हो जायेगा। जहां आपरेशन की आवश्यकता होगी वहां आपरेशन करना होगा। जहां दवाई से काम चले वहां दवाई करनी होगी। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि उन्होंने पिछली बार विधान सभा में आश्वासन दिया था कि उदयपुर विश्वविद्यालय में होने वाले घोटालों और गड़बड़ियों की वह सेक्शन 8 में जांच करायेंगे। वह जांच कब करवा रहे हैं। इसका वह निश्चित आश्वासन दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण कैसे ठीक हो सकता है। जहां वैज्ञानिकों के साथ में दुर्व्यवहार होता है। मैं एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उनका नाम है श्री बी. सी. चक्रवर्ती। उस विषय की कोई पुस्तक बिना चक्रवर्ती के शुरू नहीं होती है। अमेरिका उन्हें अपने यहां रखना चाहता था। लेकिन वह वहां नहीं रहे। क्योंकि वह बंगाली हैं। देशभक्ति का उनमें जजबा है। क्योंकि वह हिन्दुस्तान में तरक्की करना चाहते थे। उनमें देशभक्ति है। वह महाराणा प्रताप और प्रेम की मूर्ति मीरा के देश में रहना चाहते थे। उनके साथ में आज क्या हो रहा है। आप नजदीक से अनुभव कीजिये। शिक्षा जगत जानता है। किस प्रकार से वहां हो रहा है। उन्हें जोबनेर भेजा गया, जब कि स्कीम उदयपुर में है। सुमेरपुर भेजा गया जबकि स्कीम उदयपुर में है। इस प्रकार से उनका स्थानान्तरण कर के

(श्री मनोहर कोठारी)

द्वेशवश एक जगह से दूसरी जगह हटाया जा रहा है...सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है। मैं चाहता हूं, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आपके सामने रखूं। आपको विचार करने का अवसर होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां क्या हाल हो रहा है। फाइनेंसियल इर्रेग्युलरिटी होती है। उसका मैं ज्वलन्त उदाहरण पेश करूं। चित्तौड़ में कृषि ज्ञान मन्दिर की स्थापना की गई। भवन बनाया गया। 1 लाख 50 हजार की लागत लगी। उसके कंस्ट्रक्शन के लिए केवल तीन आदमियों से टेण्डर लिये गये। और किसी से इन्वाइट नहीं किये गये। मोतीलाल माली और शांतिलाल जैन और सहकारी समिति। जिन में दस्तखत करने वाले शांतिलाल हैं। एक में अंग्रेजी में दस्तखत किये हैं और एक में हिन्दी में दस्तखत किये हैं। मोतीलाल रजिस्टर्ड कण्ट्रैक्टर नहीं हैं। उसको 50.1% काम सौंपा गया है। आपके पी. डब्ल्यू. डी. से भी काम करवाया गया है। 30% काम करवाया। 20% गवर्नमेन्ट का पैसा था। क्योंकि सुपरवीजन चार्जेज भी थे। जिस प्रकार से वहां पर दुरुपयोग और आपाधापी चल रही है, उसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय आपको बात करने की आवश्यकता है। ज्ञान मन्दिर पर कण्ट्रोलर ने आब्जेक्शन किया है। यह रेट कैसे दी जा सकती है। इन एण्टीसिपेशन में स्टेट आफिसर ने काम शुरू करवा दिया। लेकिन उसके साथ में उस फाइल को गायब करवा दिया। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उस फाइल के गायब होने से कुछ नहीं है। मेरे पास उसकी फोटोस्टेट कापी है। पूरी की पूरी फाइल की फोटोस्टेट कापी है। मैंने एजुकेशन कमिश्नर साहब को कागज दिखाये हैं। मैंने और भी कागज दिखाये हैं लेकिन हमारे एजुकेशन कमिश्नर साहब के दिमाग में एक बात है और वह यह कहते हैं कि एक ही प्रश्न है और वह कि यूनिवर्सिटीज की आटोनामी का प्रश्न हमारे सामने आता है। मैं भी इस बात का पक्षपाती हूं कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं में आटोनोमी होनी चाहिये, आटोनोमी बाडी होनी चाहिये लेकिन आटोनामी के नाम पर आटोक्रेसी को तो हम बरदाश्त नहीं कर सकते, आटोक्रेसी तो नहीं होनी चाहिए। यदि कानून में, आपके एक्ट में या रूल्स में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है और वाइस चांसलर या और किसी व्यक्ति ने किसी कागज पर केवल सील या मोहर लगा दी तो इससे क्या होने वाला है। यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव को भी आखिर किसी कानून और व्यवस्था के अन्तर्गत काम करना चाहिए, परन्तु हम देखते हैं कि वह किसी कानून के अन्दर नहीं है। उनको भी किसी कानून के अन्दर काम करना पड़ेगा, यह देखने की बात है। यूनिवर्सिटीज की एग्जीक्यूटिव को भी चाहिए कि वह कानून का पालन करे और उसको वायलेट नहीं कर सकती। परन्तु हम देखते हैं कि जितने भी काम यूनिवर्सिटीज में हुए हैं, अगर उन्होंने कानून के फैसले किये हैं तो मैं समझता हूं कि उनमें एन्क्वायरी की आवश्यकता है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिये विद्यार्थियों की यूनियन्स को भी, जहां पर कि इलेक्शन्स होते हैं, उदयपुर विश्वविद्यालय का ही एक नमूना आपके सामने पेश कर करता हूं जिसे देखते ही बनता है। एक प्रगतिशील विचारों का नौजवान सी. पी. जोशी चुनाव जीतकर के

(श्री मनोहर कोठारी)

आया 250 वोटों से। उसको जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, इलेक्शन का नतीजा निकाल दिया गया, सी.पी. जोशी का नाम भी अखबारों में आ गया लेकिन दूसरे ही दिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर के मीरा गर्ल्स कालेज के 250 वोट एन्ब्लाक इसलिए खारिज कर दिये गये कि वाइस चांसलर द्वारा अपनी मर्जी से और वह इसलिए कि उन पर प्रिन्सिपल की मोहर लगाने से रह गई थी, इसलिए सी.पी. जोशी का चुनाव खारिज हो गया और जनसंघ के एक उम्मीदवार को जो कि हारा हुआ था उसको चुनाव में डिक्लेयर कर दिया गया इलेक्टेड। जब दूसरी तरफ इस बात की आपत्ति की गई कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कर तो दिया है लेकिन इसको हम राजस्थान के इलेक्शन आफिसर को भेज रहे हैं, वह यह निर्णय करेगा कि हमने जो कुछ भी किया वह सही किया है या गलत किया है इधर तो यह विश्वास दिलाया गया सी. पी. जोशी को और दूसरी तरफ एक बन्द कमरे में एक दूसरे लड़के को—यशवन्तसिंह को शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष महोदय, जहां पर इस तरह गड़बड़ियां होती हैं, यह सब क्या है आखिर। आपके एक्ट में व्यवस्था है, यूनिवर्सिटीज एक्ट के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार जो है वह उसका कस्टोडियन होगा, परन्तु उसके अधिकार भी छीन लिये गये। अब वह चैक पर दस्तखत भी नहीं कर सकता और वह एग्जामिनेशन्स भी कन्डक्ट नहीं करवा सकता। वह तो अब केवल तन्ख्वाह ही लेता है और बरान्डा में बैठा रहता है और वहां के एक डिप्टी रजिस्ट्रार को सारे काम काज सौंप दिये गये हैं जो कि कानून के खिलाफ हैं और कानून की मन्शा के बिल्कुल खिलाफ है। इसको आप आटोनोमस फन्क्शन्स कहेंगे या आटोक्रेटिक फन्क्शन्स कहेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज तो आपने इस तीनों विश्वविद्यालयों के लिए सिन्डीकेट बनाने के बारे में सोचा है और आपका ख्याल है कि सभी विश्वविद्यालय एक ही रोग से पीड़ित हैं और उन सबको आप एक सी ही दवा देना चाहते हैं, उनको एक ही मिक्चर देना चाहते हैं लेकिन यह भी देखना है कि कहीं नीम हकीम खतरे जान जैसी बात न हो जाय। जिससे दवा भी नहीं लगे और मरीज भी मर जाय, कहीं ऐसी बात नहीं हो जाय। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी आज स्पष्ट तौर पर घोषणा कीजिये कि ऐसी आटोनोमी को आप चेन्ज करने में लगे हुए हैं। मैं आपको कोई स्पेसिफिक बात नहीं कहना चाहता हूं, उदयपुर विश्वविद्यालय की बात नहीं है। डाक्टर लांबा के खिलाफ भी कोई बात नहीं कहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय एज सच उसकी एन्क्वायरी करने में क्या दिक्कत है, कौन जिम्मेदार है गलत फैसलों के लिए और कौन जिम्मेदार हैं इन सारी गड़बड़ियों के लिए। मैं समझता हूं कि कम से कम इसमें तो किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इस बारे में काफी मैटीरीयल मौजूद है। हर वर्ष इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और विश्व-

(श्री मनोहर कोठारी)
विद्यालयों को इस प्रकार के फैसले नहीं करने चाहिए. इन सब बातों की इन्क्वायरी कराई जाय तो मैं मानूंगा कि आप वास्तव में विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण में और प्रशासनिक ढांचे में उसको ठीक करने की बात आप सोच रहे हैं। केवल आपने सबको एक ही तरह का मिक्चर देने की बात सोची है, एक ही प्रकार की व्यवस्था होगी, लेकिन आपकी यह बात तो ठीक है कि सिन्डीकेट का स्वरूप छोटा हो, मैं भी इस बात को मानता हूं कि अगर सिन्डीकेट का बड़ा स्वरूप होता है तो भी कुछ लोग ही उसमें फैसले किया करते हैं। सिन्डीकेट या एग्जीक्यूटिव छोटी होनी चाहिए इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है और न किसी को आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप केवल सिन्डीकेट का छोटा फार्मेशन करके ही यह नहीं समझ लें कि हमने शैक्षणिक वातावरण में या प्रशासनिक ढांचे में कोई सुधार ला दिया है, आप केवल इसी से यह न सोचें कि हमने परिवर्तन कर दिये हैं क्योंकि अब ऐसा होने वाला है। इसके लिए और भी कुछ सोचने की आवश्यकता है और मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए तो बधाई देना चाहता हूं कि दो संशोधन तो उन्होंने स्वीकार किये हैं वे वास्तव में उपयुक्त भी है और इसी भावना के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गहलोत !

(12.46 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार जोधपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 तक ही सीमित रखूंगा। यह विधेयक जैसा कि इसके उद्देश्यों और कारणों में उल्लेख किया गया है, कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आदेश जारी किये गये हैं। मैं इसके उद्देश्यों और कारणों को देखते हुए इस विधेयक का स्वागत करूंगा परन्तु क्योंकि मैं काफी अर्से से जोधपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित रहा हूं, इसलिए मुझे शक है कि यह विधेयक अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पायेगा। पहले वाले अधिनियम में जोधपुर विश्वविद्यालय के सिन्डीकेट के सदस्यों की संख्या 16 थी और अब इस विधेयक के मुताबिक यह संख्या घटाकर 9 कर दी गई है। जाने वाले सदस्य कौन हैं और आने वाले सदस्य कौन हैं, पहले मैं इसका विश्लेषण करना चाहता हूं। उपकुलपति (वाइस चान्सलर) इसके अध्यक्ष रहेंगे जो पहले भी थे। जाने वाले दूसरे सदस्य चीफ जस्टिस आफ राजस्थान वहां पर थे परन्तु अब नहीं रहेंगे, मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि कई केसेज कोर्ट में भी रहते थे विश्वविद्यालय से सम्बंधित और वे कुछ बोल भी नहीं सकते थे, वे केवल नाम मात्र के सदस्य थे और न वे किसी कन्ट्रोवर्सीयल इश्यू में पड़ना ही चाहते थे, इसलिए यह सदस्य के नाते क्या विचार व्यक्त करते। इसके अतिरिक्त दो सदस्य टीचर्स की तरफ से सीनेट से सिन्डीकेट के सदस्य थे। दो विधायक थे। इस प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 6 के 6 कम कर दिये गये। एक विद्यार्थी संघ का था वह भी कम कर दिया गया अर्थात् सात और एक आठ

(श्री अमृतलाल गहलोत)

सदस्य कम कर दिये गये। बढ़ाया गया सरकार की तरफ से एक मनोनीत। तो 16 में से 8 तो गये और एक बढ़ाया गया अर्थात् 9 सदस्य हो गये। पहले जो थे उसमें से कम से कम वाइस चान्सलर पर अंकुश तो था वह इस तरह कि अगर दो काल में रहते थे तो अगेन ले लिये जायं परन्तु अब इस विधेयक में वाइस चान्सलर को अनफेटर्ड पावर्स दे दी गई है। कुल 9 सदस्यों में से वाइस चान्सलर के अलावा दो प्रोफेसर, दो डीन, चाहे किसी को मनोनीत कर सकते हैं उस पर कोई अंकुश नहीं है अर्थात यदि 9 के 9 एकत्रित हो जायं, पूरी सिण्डीकेट मीट हो जाय तो 9 में से 5 व्यक्ति वाइस चान्सलर की मर्जी के होंगे, वे चाहेंगे वैसा करेंगे। दरअसल में नौ मैन सिण्डीकेट इसे न कह कर प्रेक्टिकली वन मैन सिण्डीकेट कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। परन्तु आपने उद्देश्य अच्छे बताये हैं, उसमें मुझे बिल्कुल सन्देह नहीं है किन्तु उनकी पूर्ति में मैं शक करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो वाइस चान्सलर काम कर रहा है वह यदि कुछ सीमा में उस क्षमता, उस अधिकार का उपयोग न करे तो विश्वविद्यालय के हित में है फिर बताइये लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा? वाइस चान्सलर का नेक नियत होना, अपने काम के प्रति कटिबद्ध होना—यह सब कुछ इस विधेयक के बाद निर्भर है वरना आपके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। हमारे यहां वातावरण न पूर्णतया दूषित है, और न पूर्णतया शुद्ध कह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले माइनिंग डिपार्टमेंट का इंजिनियर अरेस्ट किया गया है। वहां होस्टल का वार्डन अभी तक अण्डर ग्राउण्ड चल रहा है। उन लोगों पर आरोप हैं वास्तव में वह सत्य हैं। मुझे मालूम है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है जोधपुर नगर में। वहां आर. एस. एस. की शाखायें जो यूनिवर्सिटी में चलती हैं उनका वह संचालन करते थे और उनका काम वहां चल रहा था। अब बदली हुई परिस्थितियों में अंकुश लगाया गया है, पहले उन पर अंकुश नहीं था। उन्होंने अपना काम किया। मैं उसका विरोध या वैधानिक आपत्ति खड़ी नहीं करना चाहता। परन्तु अब बदली हुई परिस्थितियां हैं। उन बदली हुई परिस्थितियों में वाइस चान्सलर को बहुत सतर्कता से काम करना पड़ेगा। यदि सतर्कता से काम नहीं करेंगे, तो आपने जो अनफेटर्ड पावर दे दी हैं। लार्ड क्लीब का कथन है, "पावर करेप्ट्स एण्ड एब्सोल्यूट पावर करेप्ट्स अब्सोल्यूटली। मैं तो यह कहूंगा कि पावर टेस्ट्स करप्शन, क्योंकि इन्सान भ्रष्ट है या नहीं—वह सत्ता पर बैठेगा तब मालूम पड़ेगा। यह जरूरी नहीं है कि सत्ता में बैठता है वह भ्रष्ट हो जाता है, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। इसलिए मैं लार्ड क्लीव से सहमत नहीं हूं। अतः यह अनफेटर्ड पावर दी है, वाइस चान्सलर के हाथ में, वह क्या कर पायेंगे क्या नहीं कर पायेंगे—यह भविष्य पर निर्भर करेगा। मैं दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन अभी जोधपुर विश्वविद्यालय का वातावरण ठीक नहीं है उसको सुधारने की आवश्यकता है। अभी जरा सा मैं इशारा कर देता हूं। आल इज नाट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है, उसको सुधारने की गुंजाइश है। उसको सुधारा नहीं और नई अनफेटर्ड पावर सुधारने के बजाय और कहीं चली गई, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा संकेत कर देना चाहता हूं कि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। डेढ करोड़

(श्री अमृतलाल गहलोत)

समाज का लगता है, विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करना है तो प्राडक्टिविटी से मूल्यांकन कर सकते हैं वह प्राड्यूस करते इसकी क्वाल्टी और नम्बर, किस कोटि के विद्यार्थी और किस संख्या में विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय में से वह निकालते हैं। अच्छे विद्यार्थी और ज्यादा संख्या में विद्यार्थी विश्वविद्यालय नहीं निकालेगा तो मैं समझता हूं, उस विश्वविद्यालय की प्राडक्टिविटी गिर जायेगी। सही मूल्यांकन यह है कि किस संख्या के और किस कोटि के विद्यार्थी निकालता है। उसमें मूल्यांकन किया जाय। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक को लाने की जो नेक नियत है, यह उसके अनुरूप नहीं है। इसमें टीचर्स का प्रतिनिधि नहीं है। वाइस चान्सलर टीचर्स के हितों की रक्षा करेगा, जनता के हितों की रक्षा करेगा। वह जनता की बात सुनेगा, उससे परामर्श करेगा और जो अपनी बात कहने आयेगा, उसको कन्सीडर करेगा। यह उसकी व्यक्तिगत नेक नियति पर, सूझ बूझ पर, सोच समझ पर निर्भर करता है। दूसरों के विचारों की वह कितनी रेस्पेक्ट करता है उसको जो परामर्श दिया जाय उसके ऊपर वह विचार करता है या नहीं। अब यह विधेयक लाये हैं। इससे वाइस चान्सलर के ऊपर ज्यादा भार बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, घड़ी का पेन्डुलम दूसरी दिशा में गया और इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो मुझे बताइये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप क्या कदम उठायेंगे ? इसमें डेढ़ करोड़ रुपये का सवाल है, दस हजार विद्यार्थियों के जीवन का सवाल है—इस पर आपको सोचना होगा। हम उद्देश्य का तो स्वागत करते हैं, लेकिन मैं अपनी शंका प्रगट करते हुए निवेदन करूंगा कि उद्देश्य की प्राप्ति सतर्कता से हो कर सकते हैं। सतर्कता से चलेंगे तो मुझे शक नहीं है कि उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में लाया गया है, मैं अपना भाषण उस तक ही महदूद रखूंगा। वैसे राजस्थान विश्वविद्यालय और उसका आइडेंटिकल केस है। इसमें सेक्सन 16 हैं उसमें 21। मेरा इस विषय में अर्ज करना है, जैसी कि कल इस सदन के अन्दर काफी चर्चा रही। इस देश का सारा वातावरण इस प्रकार का हो गया था, इन फासिस्ट ताकतों ने इन विद्या के मन्दिरों को अपना अड्डा बना लिया था और उनके अन्दर घुसने की कोशिश की थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सदन के अन्दर माननीय सदस्य गुमानमलजी ने जो जोधपुर विश्वविद्यालय के सिन्डीकेट के अन्दर एक कमेटी बनी थी जिसकी प्रोसीडिंग्स सिण्डीकेट के अन्दर पेश नहीं हुई थी और वह अण्डर एनक्वायरी मेटर था, उसकी जानकारी माननीय गुमानमल जी को थी और उन्होंने उसको इस सदन के बीच में रखा। जहां कोई सीक्रेसी नहीं रह सकती वहां यह लोग इस तरह पेनीट्रेट हो गये हैं फासिस्ट आर्गेनाईजेशन। ऐसी परिस्थिति के अन्दर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है, शिक्षा मंत्री इस तरह का अमेंडमेंट हमारे सामने लायें। यही नहीं, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, शक्तियां होती थीं बहुत तरीके की,

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

जोधपुर विश्वविद्यालय से मेरा सम्बन्ध रहा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन शक्तियों की वजह से सीनेट की दो बार मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग के अन्दर विश्वविद्यालय का बजट पास नहीं हो सका। आप देखिये, कितना खर्चा होता है सीनेट की मीटिंग में। विश्वविद्यालय के अन्दर सीनेट उसी प्रकार से है जिस प्रकार विधान सभा राजस्थान के लिए है और सिण्डीकेट मिनिस्ट्री की तरह है। तो दो मीटिंग के बाद भी बजट पास नहीं हो सका। इस प्रकार अनर्गल प्रचार, अनर्गल भाषण इन विद्या के मंदिरों में इन फासिस्ट आर्गेनाइजेशन के लोग करते हैं, इनका कोई सिद्धान्त नहीं है, इनके विरोध में कोई सिद्धांत नहीं है। इन लोगों ने इन वाडीज को इस तरह से पैरेलाइज कर दिया है यह नहीं चाहते कि यह वाडीज काम करें। जैसा कल हमारे माननीय नेता महोदय ने कहा, नेता महोदय ने यह कहा कि इन्हें रिजल्ट्स में कोई विश्वास नहीं है। जैसा गहलोत साहब ने कहा, डेढ़ करोड़ रुपया साल का जिस चीज पर खर्च होता है, नेशन के एक्स चेकर के टैक्स का मनी, उससे प्रॉडक्शन कितना निकलता है; कैसे विद्यार्थी निकलते हैं। इन लोगों का इस बात से ताल्लुक नहीं है, यह देश रसातल में जाता है, कर्जदार होता है, दिवालिया होता है। सताईस साल तक बराबर इन लोगों ने इसे इस तरह का बनाया है। यह मानते हैं कि किसी तरह देश को पैरेलाइज किया जाय, देश को दिवालिया किया जाय। इसलिए इन लोगों ने इस तरह के कदम उठाये। मुझे बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है, उस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर स्वयं सिंह को गिरफ्तार किया गया, आर.एस.एस. के संचालक वार्डन वहां पर हैं। इस तरह के लोगों को किस एलीगेशन पर वहां से निकाल सकेंगे। आप नजर अन्दाज कर सकते हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं.. इन परिस्थितियों में सरकार जो यह संशोधन लाई है, जरूरी था। इलेक्शन्स के नाम पर क्या क्या होता था। वहां के पेशेवर लेक्चरार्स, प्रोफेसर्स पेशेवर राजनीतिज्ञ बनाए गए थे वे जनसंघ और आर. एस. एस. के लीडर्स से कन्सल्ट करते थे, हिन्दुस्तान के जनसंघ और आर.एस.एस. के लीडर्स से अच्छे अच्छे मुख्य पदों पर लोग उनके इशारे से काम करते थे, इसलिए यह संशोधन विधेयक लाना बहुत जरूरी था।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रिन्सीपल्स इसमें रखे गए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं किन्तु वाइस चांसलर को जो इसमें पावर्स दी हैं उनके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले वाले एक्ट में जिस तरह था, वह प्रोवीजन्स ठीक हैं आपने 9 आदमियों की सिंडीकेट बना दी, कोई एतराज नहीं कि संख्या कम कर दी लेकिन हर डेमोक्रेटिक एक्ट के अन्दर अगर 5 आदमी 9 में से वाइस चांसलर के द्वारा नामीनेटेड हों और मेजोरिटी के साथ वन मैन एक्ट आपने बनाकर दिया। इसमें और जो पुराने एक्ट में प्रोवीजो लगाकर रखा था उसको भी आपने इसमें नहीं रखा। डीन्स रोटेशन से होने चाहिये। इसलिए मैंने संशोधन पेश किया है :

In clause (ii) and (iv) of Section 16 of the Amendment Act, the words "two persons" be subs-

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

tituted by "one person" and that too in rotation, and in addition to the above, this proviso may be added :—

प्रोविजो यह है कि No Deen or Professor shall be nominated for two consecutive terms.

इसको रखने में क्या एतराज था? क्या आप हमेशा के लिए उनको सर्वाधिकार के रूप में जो उनके 3-4 मनचाहे लोग है, दरबारी लोग हैं, उन्हें हमेशा के लिए पावर्स देना चाहते है? रोटेशन का प्रोवीजन लगाने में क्या एतराज था?

दूसरा संशोधन है : In clauses (ii) and (iii) of Section 16 of the Act, the words, "Nominated by the Vice Chancellor" be substituted by the words "elected from amongst themselves."

मैंने अनफेटर्ड पावर्स की जो बात कही उसके बजाय प्रोफेसर्स जो काफी लर्नेड होते हैं उनको आपस में इस तरह चुन कर अपने में से आदमियों को चुने।

तीसरा संशोधन है In clause (vi) of section 16 of the Amendment Act, the words "one person nominated by the State Government" be substituted by the words "one member of the State Legislature nominated by the Speaker."

इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि पहले सरकार ने एक्ट बनाया था पहले जो राजस्थान विधान सभा के दो सदस्यों को रखा गया था वे भी सरकार के ही प्रतिनिधि हैं वे भी सरकार के वेलफेयर को लुक आफ्टर करते हैं। ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि इमर्जेंसी के गार्ब में इस चीज को रखकर और जो पावर्स इलेक्टेड मेम्बर्स आफ दी एसेम्बली जिन फंक्शन्स को परफार्म कर सकते थे उनके बजाय आपने सरकार का प्रतिनिधि रखा। इससे आप जरूर काशस रहें। ऐसा ना हो कि हमारी जैसी हिस्टरी है हाईएस्ट पर्सन आफ दी स्टेट और हाइएस्ट पर्सन आफ दी यूनिवर्सिटी के कन्फलिक्ट्स हुए हैं और समय समय पर आपने इस एक्ट को पास कर दिया और ऐसी बात हो गई कि कोई आदमी अपनी पावर्स का इस तरह से इस्तेमाल करता चला गया और जैसे मेरे पूर्ववक्ता कोठारी जी कह रहे थे, अगर उन्होंने पावर्स का मिसयूज किया, वह एडवोकेट हैं वह जानते हैं इस बात को ज्यादा जैसे शिक्षा आयुक्त का रैफरेन्स दिया, इस तरह का क्लाज नहीं है, एक्ट नहीं है कि उन पर आप किसी तरह से चेक्स एण्ड बैलेन्सेज रखें। आपने यदि इस तरह का एक्ट पास कर दिया, आप वाइस चांसलर को 11 करोड़ रुपए इस्तेमाल करने का डेमोक्रेसी में हक देते हैं, तो हो सकता है कि इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलें। आपको इसमें फंडामेंटल चेंजेज करनी चाहिए। ठीक है, आप ज्यादा संख्या न रखें, इसका तो हम स्वागत करते हैं किन्तु चेक्स एण्ड बैलेन्सेज जरूरी हैं। सिंडीकेट का काम क्या है? उनका काम है वाइस चांसेलर की एक्टिविटीज पर चेक्स एण्ड बैलेन्सेज रखना। जो वह कार्य करते हैं वह सिंडीकेट के आगे रखते हैं लेकिन आपने उनको 9 में से 5 को नामी-

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
नेट करने का मौका दिया तो जो उनकी मर्जी होगी वह काम करेंगे।

तो मैं इन सुझावों के साथ में इस संशोधन बिल का समर्थन करता हूं और यह कहना कि शिक्षा मंत्री यह कर सकते हैं वह कर सकते हैं, सही नहीं है। यूनिवर्सिटीज वैसे ही आटोनोमस बोडीज हैं, डाइरैक्ट इन्टरफीयरेंस शिक्षा मंत्री का नहीं हो सकता, वह एन्क्वायरी नहीं कर सकता, दखल नहीं दे सकता और जिन बीमारियों का मेरे पूर्ववक्ताओं ने उल्लेख किया कि प्रशासन के अन्दर हैं, सब जगह वही बीमारियां हैं, ये तीनों विश्वविद्यालयों में मिलेंगी मैं कह सकता हूं कि आपके तीनों विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पोलिटिकली एफेक्टेड हैं और आज जो सरकार की नीति चल रही है उसके अनुसार वे काम नहीं करती, नन आफ देम इज प्रोग्रेसिव जो कि सरकार चाहती है। सरकार जानती है कि वे लोग रीएक्शनरीज पार्टीज से संबंध रखते हैं, उनके हाथों में खेल रहे हैं, उनको अनफेटर्ड पावर्स देकर क्या भविष्य होगा इमरजेन्सी के नाम पर, वह पावर्स लेना चाहते हैं लेकिन आपको चेक्स व बैलेन्सेज रखने पड़ेंगे। कोई खरा नहीं उतरता उस टेस्ट में।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझनूं) : पूनमचन्द जी बोल लें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्षजी, जो उदयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालयों के एक्टस में उनके सिंडीकेट्स को पुनर्गठित करने के लिए हमारे समक्ष तीन विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में आपस में, अध्यापकों में गुटबन्दियां थी, बिखराव की स्थिति थी, अनुशासनहीनता की स्थिति थी; उनको ठीक करना आवश्यक था। देश में जब इमर्जेन्सी है और देश की गाड़ी के पहिए पटरी के नीचे उतर गये थे इसी तरह विश्वविद्यालयों की रेलगाड़ी पटरी के नीचे उतर गई थी और उनको दुबारा पटरी पर चढ़ाना आवश्यक था। यह विधेयक जो प्रस्तुत हुआ है इसके तत्व तो ठीक है लेकिन इस व्यवस्था को आप उत्तम व्यवस्था मानें हमेशा के लिये जो कि एक्ट में दी है यह तो मैं कहने की स्थिति में अभी हूं भी नहीं और अभी कुछ उसके बारे में कहूंगा भी नहीं। क्योंकि इसमें जो व्यवस्था की गयी है उसको देखने से हमें पता लगता है कि कुल मिलाकर इसका परिणाम यह होगा कि वाईस चान्सलर जो कि यूनिवर्सिटी का चीफ एक्जीक्यूटिव है जो कि पहले से ही शक्तिशाली है उसे आप और अधिक शक्तियां देकर ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं। वह और शक्तिशाली होगा, ज्यादा सक्षम होगा। जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा और कुल मिलाकर यदि हम उसको देखें तो वाईस चान्सलर तो यों भी शक्तिशाली है क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोग नोमीनेट होते थे, कुछ उसके नीचे काम करने वाले होते थे तो कुल मिलाकर सिन्डीकेट में उसका पहले से ही बहुमत बना हुआ रहता था। इसमें चाहे आप विद्यार्थियों के प्रतिनिधि को ले लो, चाहे रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स को ले लो चाहे चुने हुए प्रतिनिधियों को चाहे और दूसरे मेम्बर्स को लें, जिसमें जैसे कि हमारे जोधपुर में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चीफ जस्टिस एक्स आफिशियो मेम्बर सिन्डीकेट का होता है। अब वह इस संशोधन के होने से सभी हटा दिये जायेंगे और अब केवल राज्य सरकार के द्वारा, चान्सलर के द्वारा और वाईस चान्सलर के द्वारा ही लोगों को नोमिनेट सिन्डीकेट में किया जायेगा। यह बात आज की परिस्थिति को देखते हुए तो चाहे अपन ठीक मानते हैं लेकिन हमेशा के लिये यह व्यवस्था ठीक हो यह बात सही नहीं है। आज स्थिति में चूंकि सुधार हमे लाना जरूरी था और लाना भी चाहिये। आज की स्थिति को देखते यह एक अच्छी व्यवस्था है। आज राज्य सरकार के पास अधिक अधिकार होने चाहिए। लेकिन वाईस चान्सलर को बहुत अधिक शक्ति देना एक खतरा पैदा कर सकता है लेकिन इसमें मैं यहां पर कहूंगा कि जब आप और अधिक शक्ति वाईस चान्सलर को प्रदान करने जा रहे हैं वैसे तो एक वाईस चान्सलर लेवल का आदमी काफी जिम्मेदार होता है लेकिन इस संशोधन से और अधिक शक्तिशाली हो जायेगा तो उसे काफी जिम्मेदारी से काम करने की आवश्यकता है। आज हमारा अनुभव यह बताता है कि आम तौर से वाईस चान्सलर लोग गुट बन्दी के शिकार हो जाते हैं। आप अगर यह देखें कि इस संशोधन के आने से वाईस चान्सलर गुट बन्दी से ऊपर हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब विधान सभा के प्रतिनिधि और चीफ जस्टिस और रीजनल ग्रेजुएट्स वगैरा को हटा दिया जायेगा। तो मैं समझता हूं कि वाईस चान्सलर पर जो एक अंकुश होता था वह समाप्त हो जायेगा। अगर आप कुछ चेन्जेज करना ही चाहते हैं तो आपको वाईस चान्सलर को कोर्डीनेशन कमेटी के द्वारा, जिसके कि शिक्षा मन्त्रीजी भी सदस्य होते हैं वह अपनी राय दे सकते हैं। राज्य सरकार जो अपनी बात कराना चाहती है वह करा सकती है शिक्षा मन्त्रीजी के माध्यम से चाहे आप यह कह दें कि कानून सक्षम नहीं है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रशासन में बाधा डाल सके यह कहना मैं उचित नहीं मानता क्योंकि राज्य सरकार चाहे जैसा हस्तक्षेप कर सकती है अगर हस्तक्षेप करना चाहे तो, लेकिन आमतौर पर हस्तक्षेप करते नहीं है। होना तो यह चाहिये कि जो कुछ भी राज्य सरकार कहना चाहती हो वह वाईस चान्सलर के माध्यम से उसका पालन कराये ऐसी व्यवस्था हो तो थोडा अच्छा रहे। आप कहने को विश्वविद्यालय को नाम से चाहे ओटोनोमस कह दो लेकिन सही मायने में मैं उसको ओटोनोमस मानने को तैयार नहीं हूं। आप कह दें कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते ? हम हस्तक्षेप कर सकते हैं क्योंकि राज्य सरकार ही विश्वविद्यालय को शत प्रतिशत ऐड देती है। सारा का सारा राज्य सरकार ही खर्चा यूनिवर्सिटी का वहन करती है। इसलिये यह कहना कि यूनिवर्सिटी सेपरेट एन्टीटी है यह कहना उचित नहीं है।

तो ओटोनोमी चाहे कहो वह तो ऐसी होनी चाहिये कि जिससे राज्य सरकार अपना नाम नहीं लेकर जो भी काम कराना चाहे जो भी नीति राज्य सरकार की हो, उसकी पालना समय समय पर वाइस चान्सलर के माध्यम से करवाले और कोर्डीनेशन कमेटी द्वारा सभी मामले तय किये जा सकते हैं। उसके बारे में यूनिवर्सिटी की

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

आटोनोमी डिस्टर्ब होने की कोई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ओटोनोमी के लिये वह अपने आन्तरिक एडमिनिस्ट्रेशन में ओटोनामस रहे और राज्य सरकार जो भी अपनी नीतियों का अमल करवाना चाहे उसके लिये बार-बार विधान सभा में बिल लाकर संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पर वाईस चान्सलर के बारे में बार-बार तरह 2 की बातें की जाती हैं। इसके लिये तो मेरा सुझाव यह है कि राज्य सरकार को चाहिये कि कोर्डिनेशन कमेटी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाये और राज्य सरकार को जो कुछ भी कहना हो या राज्य सरकार जो कुछ भी करना चाहती हो वह पर्दे में कहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। काम भी हो जाये और ज्यादा दिक्कत भी नहीं हो। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार जब विधान सभा में कोई कानून बनाती है तो यहां काफी संघर्ष रहता है। वैसे भी संघर्ष होने की बात नहीं है क्योंकि राज्य सरकार तो पूर्णतया सक्षम है कि वह जो तबदीली चाहे वह युनिवर्सिटी में ले आये। मेरा तो यह सुझाव है कि एक अंकुश राज्य सरकार का बना रहे जैसा कि ब्रिटेन के कान्स्टीट्यूशन में हम देखते हैं कि कई बातें लिखी हुई नहीं है लेकिन कुछ मान्यतायें ऐसी हैं जो कि कानून की तरह ही काम करती हैं। और अगर कुछ चेन्जेज वहां होते हैं तो ज्यों ज्यों समय बदलता है त्यों त्यों वहां पर चेन्जेज हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार वहां पर चेन्जेज होते हैं। तो राज्य सरकार को चाहिये कि ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे राज्य सरकार की नीतियों का पालन भी होता रहे और जो सुधार हम लाना चाहते हैं उसकी तामील भी वाईस चान्सलर से करा लेवें। लेकिन इमरजेन्सी के नाम पर सभी पावर्स आप वाइस चान्सलर को दे यह तो उचित नहीं है। यह अभी जो आप कर रहे हैं यह तो ठीक है लेकिन हमेशा ही इस तरह करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा मन्त्री जी से मेरा नम्रता से निवेदन है कि अगर कोई खास संशोधन करने की जरुरत हो तो करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कोर्डीनेशन कमेटी से राज्य सरकार को अपनी नीतियों की पालना करानी चाहिए। इस तरह अपने आपको सीमित नहीं करना चाहिये। कई मामले युनिवर्सिटीज में पैदा हो जाते हैं। उनको कानून से बदलने की आवश्यकता नहीं है उन मामलों को हम बैठकर निपटा सकते हैं। राज्य सरकार को चाहिये कि अगर किसी वाईस चान्सलर की शिकायत हो तो उन समस्याओं को बैठकर निपटाना चाहिये। उदयपुर युनिवर्सिटी के वाईस चान्सलर लाम्बा साहब के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनके खिलाफ काफी गड़बड़ियां करने के चार्जेज थे। यहां पर पहले भी उनके खिलाफ में काफी लोगों ने कहा। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनके खिलाफ में दफा आठ के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये। इन्क्वायरी करनी चाहिये। तो मैं समझता हूं कि कानून का सहारा बहुत ही कम मामलों में होना चाहिये यहां पर आप सदन में कोई कानून लाते हैं उस समय यहां पर बहस होती है आखिर वाईस चान्सलर भी कोई जिम्मेदार आदमी होता है बड़ी जिम्मेदारी का है उसकी इमेज होती है। यहां पर इस तरह की बातें अगर आप करते हैं तो उसकी भी इमेज खराब होती है। क्या पता किन परिस्थितियों में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उसने क्या काम किया यह देखने की बात है। आप तो आकर यहां कह देते हैं लेकिन वह आदमी तो यहां आकर जवाब दे नहीं सकता तो इस तरह से वाईस चान्सलर जैसे आदमी की इमेज खराब नहीं करना चाहिये। अगर आप इस तरह के चार्जेज लगाते हैं तो इस विषय में आपको गवाह और सबूत लाना पड़ेगा।

श्री **मनोहर कोठारी** : सवाल वाईस चान्सलर का नहीं है मैं तो विश्वविद्यालय के बारे में कह रहा था विश्वविद्यालय का सवाल है।

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** : विश्व विद्यालय क्या, राज्य सरकार भी आप और हम में से है। अगर अच्छी तरह से काम हो राज्य सरकार की नीतियों की पालना होती रहे वरना आप संशोधन लाते हो फिर वही कि वाईस चान्सलर ने यह यह गड़बड़ियां की और मन्त्री महोदय फिर उनको खेचते हैं। वह ठीक नहीं लगती। मैं समझता हूं कि अगर वाकई में कोई गड़बड़ी कहीं हुई हैं तो कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अब जैसे वाईस चान्सलर और रजिस्ट्रार के बीच में कोई गड़बड़ है तो मैं समझता हूं कि दोनों के अलग अलग अधिकार हैं। अगर कोई फाईनेन्शियल गड़बड़ी है तो वास्तव में कोई गड़बड़ है कि नहीं देखने की बात है। दफा आठ के अन्तर्गत कार्यवाही करने की या सस्पेन्ड करने की बात का सवाल उसके लिए वाईस चान्सलर जैसे लेवल के अधिकारी के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए उसकी भी मर्यादा होती है अगर इस तरह की बातें लड़कों में पता लगती हैं कि हमारे वाईस चान्सलर के खिलाफ में ऐसी बातें हुई है तो यह उचित नहीं, इसका लड़कों पर गलत असर पड़ता है। अब समय काफी बदल गया है। आज किसी भी देश में वाइस चान्सलर के बारे में आप ऐसी बातें नहीं सुनेंगे क्योंकि उसके आफिस की एक गरिमा होती है। अगर इस तरह का प्रचार हो तो ठीक नहीं रहता। सरकार को चाहिए कि वह अपनी बात पर्दे में रह कर कहे। लेकिन विद्यार्थियों के सुनने में अगर यह आये कि वाईस चान्सलर के खिलाफ में दफा आठ और 409 के केसेज की बात है तो वह उचित नहीं है। इसके लिए शिक्षा मन्त्री जी को बुलाकर स्थिति का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिये। और ओटोनोमी की बात करना फिजूल है क्योंकि अगर वास्तव में कोई गड़बड़ हो तो राज्य सरकार चाहें तो ग्रान्ट इन एड उसकी बन्द कर सकती है। इसलिये मेरा तो सुझाव यही है कि इस तरह से दफा आठ वगैरह की बात करना उचित नहीं है और इसके लिए शिक्षा मंत्रीजी को चाहिये कि इसके लिये अगर कोई गड़बड़ी कहीं हो तो उन्हें चाहिये कि वाइस चांसलर को बुलाकर जो कुछ भी बात हो उनसे बात करलें।

एक मैं और अर्ज करना चाहूं। मजबूत बनाने के पक्ष में हूं। यह जो व्यवस्था है वह हमेशा के लिए नहीं हैं। क्योंकि चुने हुए विद्यार्थी सब हटा दिये गये। जोधपुर वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दूसरे राज्यों में प्रतिनिधित्व दिया तो हमारे यहां भी दिया गया। अब यह अधिकार छीन लिया गया। विद्यार्थियों को सिन्डीकेट और सीनेट में प्रतिनिधित्व देने के लिये गजेन्द्र

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
गड़कर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने उसको मंजूर किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की है और सब पहलुओं पर गहराई से विचार किया है। सिन्डीकेट में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व हो वे उसके पक्ष में नहीं थे। किन्तु सीनेट में उनका प्रतिनिधित्व हो इसके पक्ष में थे। राजस्थान हर काम में पहल रखने में आगे रहता है। दो तीन साल पहले अनाउन्समेंट कर दिया कि विद्यार्थियों को सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व देंगे। इसको वाइस चान्सलर और अन्य लोगों ने अपोज किया। कई कान्फिडेन्शल मामले सिन्डीकेट में डिस्कस होते है। पचासों तरह के मामले डिस्कस होते हैं और इसलिये गजेन्द्र गड़कर कमेटी ने यह सब देखकर अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि सीनेट में ही इनको प्रतिनिधित्व दिया जाय न कि सिन्डीकेट में। अभी इसको प्रतिनिधित्व नहीं दिया है तो आखिर मैं तो विद्यार्थियों को किसी न किसी रूप में एशोशियेट करना पड़ेगा। यह कोई उत्तम व्यवस्था नही है आज के समय में यह ठीक है। लेकिन आगे के लिये विचार किया जा सकता है।

फिर आपने नोमिनेशन का अधिकार दिया है। डीन नोमिनेट होते थे तो उनके लिये कहा था कि बाई नोमीनेशन एण्ड रोटेशन होंगे। एक तो नोमीनेटेड। लेकिन आपने यह नहीं रखा है कि मियाद क्या है। 9 साल तक रह सकता है या 15 साल तक रह सकता है। रोटेशन रा रखा नहीं। वे ही दुबारा नोमीनेट किये जा सकते हैं। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। वे ही व्यक्ति आवें तो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाली बात हो जाती है। मैं समझता हूं कि इसको बदलना चाहिये।

एक बात चित्तौड़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कही। छात्र संघों के बारे में हमने भी अखबार में पढ़ा। छात्र संघों के चुनाव नहीं होंगे। शिक्षण संस्थाओं को चलाने में उनका हाथ न हो यह अच्छी बात नहीं है। कालेज और किसी शिक्षा संस्थान के लिये सर्वोत्तम बात यह होगी कि विद्यार्थी और प्रधानाध्यापक मिल कर कार्य करें। एक्स्ट्रा केरीकुलर एक्टीविटीज और अन्य कौन कौन से कार्य हाथ में लिये जा सकते हैं और किन किन में छात्रों को किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। लेकिन छात्रों का प्रतिनिधित्व किसी न किसी रूप में होना जरूरी है। आप उस जमाने की कल्पना करें कि गुरुजी ने कह दिया सो सब ठीक हो गया, पहले गुरुजी परम आदरणीय होते थे, लेकिन आज तीन तीन हजार की संख्या होती है विद्यार्थियों की वहां पर आप उनको किस प्रकार से नियन्त्रित करेंगे ? कैसे करेंगे, किससे बात करेंगे ? आपको ही इससे ज्यादा कठिनाई आवेगी। विद्यार्थी कहेंगे कि हमें कान्फिडेन्स में लो। लम्बे लम्बे चुनावों में पोस्टर छपवाना, कैन्वेसिंग करना और खर्चा करना यह सब रोका जा सकता है। और उसकी जगह कोई सर्वोत्तम व्यवस्था की जा सकती है जैसा कि चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने सुझाव रखा कि उनके शैक्षणिक स्तर को देखा जाय, एक्स्ट्रा केरीकुलर एक्टीविटीज को देखा जाय, गेम्स-स्पोर्ट्स को देखा जाय, ये सब उपलब्ध हैं, वहां जो प्रतिभावान् हैं प्रतिनिधित्व

Page No 38

(38)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

दिया जा सकता है। कुछ न कुछ तो रखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिये। अन्तिम भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप यह जो लाये हैं वह अन्तिम है और उसमें फेर बदल होने वाला नहीं है तो फिर यह उचित नहीं समझते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह टेम्परेरी अमेन्डमेन्ट किया है। खास तौर से इसलिये कि सारे भारतवर्ष में शिक्षा पर नयी पद्धति आ रही है। यू. सी. जी. से नये डाइरेक्शन्स भी मिल रहे हैं। रिपोर्ट भी गवर्नमेन्ट को सबमिट की है। आमतौर पर माननीय सदस्यों की यह राय थी कि जो चुनाव की पद्धति थी और जिस प्रकार से चुनावों पर पैसा खर्च किया जाता था और जब हमने उनको सिन्डीकेट का मेम्बर बनाया और तीनों युनिवर्सिटीज में गत वर्ष उनके कार्यकलापों को देखा उन सब कारणों से यह लाना पड़ा। पिछले पूरे साल में जोधपुर युनिवर्सिटी का बजट पास नहीं हो सका। राजस्थान यूनिवर्सिटीज में लगातार 7 दिन तक डिस्कसन चलता रहा और बजट पास न हो सका। और तो और आपने देखा होगा कि कितनी भयंकर स्थिति हुई। दुकानें जला दी गयीं। ये सारी शुरुआत युनिवर्सिटीज से हुई। राजस्थान के युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर को धक्का दिया गया। दफ्तर का सामान जला दिया गया। राजस्थान युनिवर्सिटी में लड़के अन्दर घुस गये दफ्तर में और वाइस चान्सलर की कुर्सी पर बैठ गये और वहां से आदेश जारी करना शुरू कर दिया। ये सारी स्थितियां हुई तो आप सबने यह महसूस किया होगा कि इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन देना तो खतरनाक होगा। युनिवर्सिटी में लॉ-लेसनेस पैदा कर दी। बार बार पुलिस के द्वारा उनको खदेड़ना पड़ा। वे ही लड़के इसमें आगे आये हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई काम नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। गुण्डाई करने में आगे आना। युनिवर्सिटी के दादा लोग चुनावों में आगे आ गये और सही लोग पीछे रह गये। आपने नोमिनेटेड माननीय सदस्यों की भावनाओं को सुना। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य उदयपुर युनिवर्सिटी की सिन्डीकेट के मेम्बर हैं चित्तौड़ से आने वाली माननीय सदस्या भी जोधपुर युनिवर्सिटी की सिन्डीकेट की मेम्बर हैं।

इन सब चीजों को देखने के बाद यह महसूस किया और वाइस चान्सलर ने साफ साफ कह दिया कि इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्रकार से चल नहीं सकता। आम तौर पर जब भी युनिवर्सिटी के मामले पेश होते थे तो उस पर तो डिस्कशन नहीं करते थे किन्तु वे लोग इस प्रकार के मसले लाकर रख देते थे कि उस पर घण्टों बहस होती थी। राजस्थान युनिवर्सिटी का उदाहरण देता हूं। उनकी शिकायतें थीं कि कैपिटेशन फीस वगैरा लेते हैं, बहुत गड़बड़ियां होती हैं। जांच कमेटी बिठाई गयी। उसने निर्णय दिया

(शिक्षा मंत्री)

ग्रौर रिपोर्ट दी कि इतने कालेजेज में तो ठीक है ग्रौर इतने में गड़बड़ियां पायी गयीं। केपिटेशन फी लेते हैं ग्रौर स्टेन्डर्ड ला है। कालेजेज को बन्द कर देना चाहिये। ज्यों ही बन्द किया गया त्यों ही उन कालेजों के लोगों ने इनको पकड़ लिया ग्रौर जो ऐसे रिप्रजनटेटिव थे उन्होंने इस मसले को ग्रपना प्रेस्टिज इश्यू बना लिया ग्रौर कालेजों को वापिस शुरू करवाया। इस प्रकार की बातें होना शुरू हो जाय तो ग्राप सोचिये युनिवर्सिटी का काम किस प्रकार चल सकता है। वाइस चान्सलर किस प्रकार काम चला सकता है।

इलेक्शन पद्धति में जो ग्रध्यापक चुने जाते हैं वे स्वयं ग्रपना मैनीफेस्टों तैयार करते है ग्रौर वे यह कहते हैं कि तुम हमको वोट दोगे तो हम तुम्हारे इस इस प्रकार के इन्टरैस्ट को वाच करेंगे ग्रौर जब चुनाव जीतकर सिन्डीकेट में बैठते हैं तो हर मीटिंग में उस बात पर ग्रामादा रहते है कि हमारी ये ये चीजें पूरी करो। ऐसी बातें होने के कारण जहां युनिवर्सिटीज का काम बिलकुल ठप्प हो गया था ग्रौर हम यह मानते हैं कि राजस्थान ने बहुत प्रगतिशील कदम उठाया था—इस बात को मानते हैं। ग्रापने ग्रौर हमने सब ने मिलकर इस सदन में लड़कों को रिप्रजेनटेशन दिया। यह बहुत प्रगतिशील कदम था••

(व्यवधान, ग्रश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पूनम चन्द जी कह रहे हैं कि यह भी तो पहला प्रगतिशील कदम है•••

श्री खेतसिंह : ये सारी परिस्थितियां मैंने जिक्र की। इनके फलस्वरूप यह वापिस करना पड़ा। जो दूसरा भय है ग्रौर कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि वाइस चान्सलर्स इसमें बहुत ही पावरफुल हो जायेंगे ग्रौर यदि वाइस चान्सलर्स पावरफुल बन गये तो विश्वविद्यालयों में एकतन्त्री हुकूमत हो जायगी। कोशिश तो हमने यह की है कि ये जो 9 या 10 मेम्बरर्स युनिवर्सिटि की सिन्डीकेट में रहेंगे उसमें यह ख्याल रखा है कि पूर्ण बहुमत वाइस चान्सलर का नहीं होना चाहिये ग्रौर कोशिश यह होनी चाहिये कि जो भी व्यक्ति नोमीनेट हो वह बहुत ग्रसरदार व्यक्ति हो। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं उदयपुर युनिवर्सिटी में भीनमाल से ग्राने वाले माननीय सदस्य हैं ग्रौर उस मीटिंग में श्री कपूर साहब चेयरमेन है जब वे रिप्रजेन्ट करते थे तो बहुत एज्यूकेशनिस्ट होने के कारण उनके सुझाव बहुत उपयुक्त हुग्रा करते हैं ग्रौर वे सुझाव सबको मानने पड़ते हैं तो यह ज्यादा डिपेन्ड करता है व्यक्तित्व पर। यदि एक ही व्यक्ति नोमीनेट करते है जैसे भाई कुम्प चन्द जी जिस युनिवर्सिटी में है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उनके सुझाव बहुत ग्रच्छे ग्रौर बहुत ही उपयुक्त सुझाव हुग्रा करते हैं ग्रौर सारी सिन्डीकेट मान लिया करती है ग्रौर दूसरे महानुभाव जो ग्रपने लेजिसलेशन से गये हैं उनकी प्रेस्टिज भी ग्रच्छी रही है। हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रजेन्ट करेंगे वे ग्रच्छे एज्यूकेशनिस्ट हो ग्रौर वहां जाकर ग्रपना इम्पेक्ट सिन्डीकेट पर डाल सकेंगे। इस प्रकार के व्यक्ति को नोमीनेट करने का प्रयास किया

(श्री खेतसिंह)
जायगा और युनिवर्सिटि में भी किसी प्रकार का वायसन हो और न किसी दूसरी सिण्डिकेट में मेम्बर होना चाहिये, जो कि दूसरे आर्गेनाइजेशन से अफेक्टेड हो। अभी जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये और कहा कि आपके यहां कई ऐसे प्रोफेसर्स है जो आर. एस. एस. से या आनन्द मार्ग से ताल्लुक रखते हैं, उन व्यक्तियों को अगर आप सिन्डीकेट में आने देते हैं तो उनसे क्या आप राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र प्रेम की उम्मीद करते है ?

हम इस बात की उम्मीद करेंगे कि जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, उन शिकायतों की होम डिपार्टमेंट से एन्क्वायरी कराई जाय और यदि शिकायत में कुछ तथ्य पाये जाय तो उनका नोमीनेशन न हो और अच्छे व्यक्ति हों जिनके खिलाफ कोई शिकायतें न हो सिन्डीकेट में आये। जो सच्चे मायने में एज्यूकेशनिस्ट हो और उनके अन्दर किसी प्रकार की शिकवे शिकायत न हो, इन सब बातों का प्रयास किया जायगा और मैं समझता हूं इतना करने के बाद कुल मिलाकर जो आज व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसमें सुधार आयेगा।

कुछ मुद्दे खास तौर से जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे। बाकी माननीय सदस्यों ने तो कुल मिला कर इन तीनों बिल्स के बारे में समर्थन किया है और अच्छा बतलाया है। जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही एक प्रोफेसर है राजस्थान युनिवर्सिटी में उनके अमेरिकन वाईफ है–दया किशन...

श्री रामानन्द अग्रवाल : दया किशन नहीं दया कृष्ण।

श्री खेतसिंह : अमेरिकन वाईफ तो हो सकती है। इसमें क्या दिक्कत की बात है अगर नेशनेलिटि में....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनकी पत्नी के बारे में कोई शिकायत नहीं है लेकिन उनका खुद का चरित्र सन्देहास्पद है। वे स्वयं सी. आई. ए. की एक्टिविटि से प्रभावित है–यह सन्देह उन्होंने व्यक्त किया है।

श्री खेतसिंह : मैं स्वयं यह कहने जा रहा था कि अमेरिकन वाइफ हो सकती है उनके स्वयं के खिलाफ या उनकी पत्नी के खिलाफ सी. आई. ए. की गतिविधि की शिकायत है तो निश्चित तौर से जांच आवश्यक है चाहे वे कितने ही बड़े आदमी हो। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। हम होम डिपार्टमेंट से इसकी जांच करवायेंगे और अगर कोई इस प्रकार की चीज पाई गई तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जायगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं रसियन लैंग्वेज टीचर जो वनस्थली में था, हटा दिया है तो वह इसलिए हटाया गया है कि वहां कोई स्टूडेन्ट्स ही पढ़ने वाला नहीं है इसलिए बन्द करना पड़ा है। अगर स्टूडेन्ट्स मिलते तो हम बन्द करने का प्रयास नहीं करते...

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह फेक्ट नहीं है स्टूडेन्ट्स जाने को तैयार थे लेकिन उन्होंने हड़ताल की है इसलिए...

श्री खेतसिंह : स्टूडेन्ट्स की लिस्ट दे दें। अगर चार स्टूडेन्ट्स भी रसियन लैंग्वेज पढ़ने को तैयार है तो हम शुरू करवा देंगे। हमने तो इसीलिये ऐड भी दी थी कि कोई

(श्री खेतसिंह)
रशियन लैंग्वेज पढ़े। आज कोई भी यह नहीं कह सकता है कि वह हमारा मित्र देश नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में रशियन लैंग्वेज पढ़ सकें ताकि मित्र देश में ज्यादा आना जाना हो सके। इस पर फिर से विचार कर लिया जायगा और हम रशियन टीचर लगा देंगे। तीसरी बात जो बताई गई है कि इन्दिरा के नाम पर नारे लगाने पर भी सन्देह किया गया है। मेरे पास शिकायत नहीं आई है। इस बात की भी मैं जांच करा लूंगा। कोई इन्स्टीट्यूशन हो चाहे वह वनस्थली में हो या कहीं और हो, अगर इस प्रकार की हरकत है तो उसको किसी प्रकार बर्दाश्त नहीं किया जायगा। आपने देखा है कुछ इन्स्टीट्यूशन्स जो इस प्रकार के थे और जिन्हें सरकार ने समझा कि इनकी राष्ट्र विरोधी कार्यवाही होती है उनको टेक-ओवर किया है और शिक्षा विभाग के अधीन किया है। इस प्रकार के जो और भी इन्स्टीट्यूशन्स होंगे और जिनकी इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होंगी सरकार उनको भी टेक-ओवर करने की स्थिति में है। उसके बारे में हम हर वक्त यह कहेंगे कि जब भी इस प्रकार के फैक्ट्स आप लोगों के सामने आये सरकार को तुरन्त बतायें ताकि जांच कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

अग्रवाल कॉलेज के बारे में कहा गया है कि वहां के प्रिन्सिपल आनन्दमार्गी हैं। मुझे मालूम नहीं है मगर आपने यह बात कही है मैं इसकी जांच कराऊंगा। शिक्षा विभाग में कई एम्पलॉईज स्वयं सेवी संस्थाओं के आ सकते हैं इसलिए हो सकता है कुछ इस प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। कुछ राजकीय टीचर्स भी आर.एस.एस. और इस प्रकार के और अन्य आर्गेनाईजेशन के मेम्बर्स हैं। उनकी जांच कर रहे हैं और डायरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन को भी इन्स्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो एक्टिव मेम्बर्स हैं बेन्ड आर्गेनाइजेशन के, उनके खिलाफ निश्चित तौर से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अग्रवाल कॉलेज के जो प्रिन्सिपल हैं ये तो डिक्लेयर्ड रूप से आनन्दमार्गी हैं और राजस्थान स्टेट के आर्गेनाइजर हैं। यह ओपन फेक्ट है। मैं समझता हूं आपके डिपार्टमेंट को यह जानकारी होनी चाहिए इसलिये और किसी बात को दिमागी तौर से एग्री करने की बात नहीं है। वे ओपनली इसके आर्गेनाइजर रहे हैं और जिस प्रकार एक आर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिये, काम कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह : मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया है कि ऐसे मामलों के अन्दर हमें होम डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन लेनी पड़ती है और होम डिपार्टमेन्ट ही जांच करने के बाद में यह बताता है कि इनकी क्या गतिविधियां रही हैं और किस तरह की एक्टीविटीज रही हैं। जैसा कि आपने इन प्रिन्सिपल के बारे में कहा है मैं इसकी भी पूर्ण जांच करवा लूंगा और ऐसा पाया गया जो कि आपने एलीगेशन्स लगाये हैं तो उसके अनुसार उनके खिलाफ में अवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

एक बात फाबना और दूसरी कॉलेज के अन्दर साइन्स क्लासेज को बन्द करने के बारे में जौहरी बाजार से आने वाले

(श्री खेतसिंह)

माननीय सदस्य ने कही। फालना के अन्दर वास्तविक स्थिति यह थी कि इस साल स्टूडेन्ट्स नहीं थे और उसके आसपास जितने भी स्कूल हैं वहां पर साइन्स सबजेक्ट नहीं होने से लड़कों की हमेशा कमी रही है। यहां पर पाली से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं वह फालना कॉलेज की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बर भी हैं और वह स्वयं चाहते थे कि वहां पर साइन्स की क्लॉसेस चलें। लेकिन जब वहां पर लड़के ही नहीं हैं तो क्या किया जा सकता है? वहां पर लड़के नहीं होने से खर्चा बहुत पड़ता था और कुल मिलाकर 10 हजार रुपया गत वर्ष खर्च करना पड़ा और टोटल लड़के वहां पर केवल 8 ही थे और इस प्रकार से खर्चा ज्यादा होने से इस बार खुद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम किसी भी हालत में साइन्स क्लॉसेस नहीं चला सकते हैं। फिर भी लड़कों का रिप्रेजेन्टेशन आया था तो उनसे कहा था कि 8 या 10 लड़के भी यदि आप वहां पर कर देते हैं तो हम साइन्स क्लॉसेस चला सकते हैं। लेकिन वहां इतने लड़के नहीं हो सकते हैं इसलिए हमें साइन्स फेकल्टी बन्द करनी पड़ी और इस प्रकार के आदेश जारी करने पड़े।

इसी तरह से बूंदी कॉलेज के बारे में हमने हिदायत दी है कि वहां पर साइन्स क्लॉसेज चलानी पड़ेगी और वहां पर लड़के भी हैं और इस वर्ष भी वहां पर हम यह साइन्स क्लॉसेस चालू रखेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय मेरी जानकारी के अनुसार लड़कों की एक लिस्ट आपके एजूकेशन डिपार्टमेन्ट में शायद डाइरेक्टर साहब को दी गयी लेकिन यह कह कर कि यह दरख्वास्तें लड़कों की तरफ से हैं और उनके गारजियन्स की तरफ से नहीं हैं, गारजियन्स की तरफ से दरख्वास्तें आनी चाहिए तब ही इस पर आर्डर्स कर देंगे। यह तो बिल्कुल टेक्नीकल और फिजिकल ग्राउन्ड्स हैं। इस तरह से मेरी जानकारी के अनुसार लड़के मौजूद हैं। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि हटाने का कारण यह नहीं है कि लड़के नहीं हैं। हटाने का कारण यह है कि वहां का मैनेजमेन्ट खुद टीचर्स को हटाना चाहता है और उन टीचर्स को हटाने के लिए यह उन्होंने तरीका अपनाया है और मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और सरकार के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने मुझ से कहा है कि वह उन टीचर्स को हटाना चाहते हैं। आज वह उनसे मिले भी थे। आप उनसे नहीं मिले लेकिन वह उनसे मिले थे और उन्होंने कहा है कि टीचर्स से वह छुट्टी पाना चाहते हैं इसलिए हटाना चाहते हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस तरह की बात नहीं होने दी जाये। उन्होंने यह भी बताया कि मैनेजमेन्ट के अधिकारी तो कलकत्ता में रहते हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बात पर पुनर्विचार करें और टीचर्स की वजह से स्टूडेन्ट्स को साइन्स फेकल्टी में दाखिला नहीं मिले यह ठीक नहीं है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुझे मालूम हुआ है कि 5 लड़कों ने एक रिप्रेजेन्टेशन पेश किया है और एजुकेशन कमिश्नर का यह कहना है कि वह फाइल मुझको री-सबमिट कर रहे हैं और मैं उसको देख लूंगा और सम्भव हुआ तो हम फेकल्टी को चलाने का प्रयत्न करेंगे।

(श्री खेतसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने उदयपुर युनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने खास तौर से उदयपुर युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री लाम्बा साहब के खिलाफ में मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है उसके बारे में आज कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने कहा कि अलग से कार्यवाही चल रही है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश की कार्यवाही अभी मुकम्मिल नहीं हुई है और अभी उस पर कुछ कहना सम्भव नहीं रहेगा। जहां तक सैक्शन 8 के तहत इन्क्वायरी का प्रश्न है मैंने उनसे भी निवेदन किया था और उन्हें दावत भी दी थी और वह आयें और बतायें। वह हमारे कमिश्नर से मिलें और मुझ से भी मिलें। उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिये हैं कुछ और फैक्ट्स भी हमने युनिवर्सिटी से मंगाये हैं। उसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि आखिर किसी युनिवर्सिटी के खिलाफ इन्क्वायरी कराना इतना आसान नहीं है क्योंकि जब तक हमारे पास मुकम्मिल तौर पर सबूत नहीं हों तब तक वह इन्क्वायरी कोई माने नहीं रखती। इसलिए इस प्रयास में हम हैं कि हमारे पास में उनके खिलाफ में चार्जेज साबित हो जाते हैं जिससे कि सेक्शन 8 के तहत इन्क्वायरी आवश्यक है तो पूर्व में भी निवेदन किया था और आज फिर कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर हम उनके खिलाफ इन्क्वायरी करवायेंगे लेकिन यह तभी हो सकता है कि जब हमारे पास में इस प्रकार के फैक्ट्स पूरे आ जायें। आज मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह कह दूं कि मैं सेक्शन 8 के नीचे इन्क्वायरी तुरन्त चालू करवा दूंगा। क्योंकि आपने जितने भी चार्जेज लगाये उनमें दो तीन तो इन्डीविजुअल केसेज बतायें हैं कोठारी या श्रीवास्तव को निकाल दिया। यह केसेज ऐसे हैं कि जो उनकी एग्जीक्यूटिव कौंसिल है वह सुप्रीम है और उसके अन्दर 25-26 मेम्बर्स बैठते हैं। उसके अन्दर आपकी विधान सभा के दो सदस्य भी हैं। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के हैं, इन्स्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट के मेम्बर्स भी बैठते हैं। इन्डियन कौंसिल ऑफ रिसर्च के मेम्बर्स भी बैठते हैं और डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कमिश्नर और कई लोग बैठते हैं। सब लोगों के बैठने के बाद एक एक इन्डीविजुअल केस में इन्क्वायरी के बाद फैसला लेते हैं। अब इसके बाद में गवर्नमेन्ट की तरफ से इन्क्वायरी कराना मुश्किल होगा। लेकिन आपने कहा कि आपके पास में टेन्डर्स के बारे में, युनीवर्सिटी के अन्दर घोटालों के बारे में और कई आपके पास सबूत हैं। आपने यह भी कहा कि उस फाइल को उन्होंने मिसप्लेस कर दिया या जला दिया लेकिन आपके पास में फोटे स्टेट कॉपी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूरे केस को सबमिट कर दें और हम पूरे केस को जांच करके और उससे सबूत बनता है तो इन्क्वायरी कराने में हमको और सहूलियत होगी और मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि पूरे फैक्ट्स आने से पूर्व इन्क्वायरी कराना उचित नहीं होगा और जैसा भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे मामलों में हाई आफिस में एक व्यक्ति बैठा है और जब तक हमारे पास पूरे सबूत नहीं हों और ऐसी बातें कहते रहें तो उससे उस आफिस

Page No 44

(श्री खेतसिंह)

की डिगनिटी भी घटती है और उसको स्वयं को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बड़ी आफत आती है। इसलिए मेरा निवेदन करना यही है कि आपके पास जो भी फैक्ट्स हैं वह आप लायें। पहले भी आपको कहा था और अब फिर दावत देता हूं कि आप आयें और बैठे और हम विचार कर सकते हैं। हमारा विभाग इस मामले में बिल्कुल खुला है और यदि आपके पास फैक्ट्स हैं और हमारे पास इस प्रकार के सबूत आ जाते हैं कि जिससे सेक्शन 8 की इन्क्वायरी की जा सकती है तो हम निश्चित तौर पर इन्क्वायरी करवायेंगे। यही मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात तो यह है।

श्री उपाध्यक्ष : 'पुट-अप क्वेश्चन। नो डिबेट।'

श्री मनोहर कोठारी : डिबेट नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने आपको एक लम्बा चौड़ा पुलन्दा दिया है जिसमें सारे के सारे रेज्योल्यूशन मैंने रखे हैं। मैंने काफी मैटेरियल दिया है और उसमें मैंने एजुकेशन कमिश्नर से बैठकर बात की है और उनको मैंने सेटिस्फाई किया है। सवाल यह है कि आप किस तरह से सेटिस्फाई होना चाहते हैं? आप किसी जुडीशियल आफिसर को इन्टरनली बैठा दें और वह स्क्रूटिनी कर दे और वह यह अनुभव करे कि इसमें कोई ग्राउन्ड्स हैं कि इसमें इन्क्वायरी होनी चाहिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून के खिलाफ रजिस्ट्रार को हटा दिया गया। रजिस्ट्रार न दस्तखत कर सकता है और न एग्जामिनेशन कन्डक्ट कर सकता है। इससे भयानक और क्या स्थिति हो सकती है? तो मैं समझता हूं कि आप इसके बारे में अगर इस चीज को साइड-ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए तो मैं कुछ निवेदन नहीं करना चाहता हूं और अगर आप कुछ करने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं भी तैयार हूं। आप मुझे बुला लें और मैं आपको सेटिस्फाई कर सकता हूं। मेरे पास इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं और इसके अतिरिक्त जितने प्रमाण ला सकता हूं वह आपको दूंगा। आप यदि इन्क्वायरी करेंगे तो हजारों तरह के प्रमाण आ जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपके पास यह आफिशियल इन्फार्मेशन आई है कि डा. लाम्बा के खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल रही है। उन पर कोई पनिशमेंट दी गई जिसके खिलाफ अपील की गई और उसकी अब डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल रही है। उन पर पांच हजार का जुर्माना हुआ है, यह इन्फोर्मेशन आपके पास है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि उनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है, इतना हमारे नोटिस में जानकारी आई है। हमारे साथ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपके सर्विस नियमों के तहत किसी स्टेट में किसी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
चांसलर के खिलाफ इन्क्वायरी चल रही हो, उसका खुद का करेक्टर अन्डर सस्पीशन हो, उसको यहां पर एम्प्लायमेंट देना क्या यह गवर्नमेंट की पालिसी है ।

श्री खेतसिंह : इन्क्वायरी चलना एक बात है और पनिशमेंट होना अलग बात है। इन्क्वायरी तो किसी भी मुद्दे पर, चाहे वह गलत ही हो, यदि कोई चार्जेज लगता है तो इन्क्वायरी तो हुआ ही करती है । लेकिन इन्क्वायरी होने के बाद में यदि पनिशमेंट हो जाता है और पनिशमेंट होने के बाद भी उसको रखा जाता है तो वह उपयुक्त बात नहीं होगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांच हजार का जुर्माना क्या आप पनिशमेंट नहीं मानते हैं ? उन्होंने अपील की उसकी वह अपील चल रही है ।

श्री खेतसिंह : मेरे नोटिस में यह बात नहीं है कि उनके खिलाफ में पांच हजार रुपये का जुर्माना हो गया है और फिर उन्होंने जुर्माना होने के बाद अपील की है । यही हमारे नोटिस में है कि इन्क्वायरी चल रही है····

श्री मनोहर कोठारी : आपके वाइस चांसलर के खिलाफ मध्य प्रदेश में इन्क्वायरी चले उसमें रेपुटेशन खराब नहीं होगी । राजस्थान में एक युनिवर्सिटी का वाईस चांसलर और उसके खिलाफ दूसरे स्टेट में तो इन्क्वायरी चले और अगर राजस्थान सरकार उनके खिलाफ इन्क्वायरी बैठा दे तो प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, यह कौन सा तर्क, यह कौन सी दलील दे रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें कोई परेशानी नहीं है लेकिन कुछ फेक्ट्स तो रखिए । आपने अभी यहां पर एक बात बताई कि रजिस्ट्रार को बरामदे में बिठा दिया और उसकी पावर्स छीन ली लेकिन यह तो कोई इन्क्वायरी का ग्राउण्ड नहीं बन सकता है यह उनका इण्टरनल मामला है कि रजिस्ट्रार को क्या पावर दें और क्या नहीं दें । इस पोइन्ट पर इन्क्वायरी कैसे हो जायेगी ? इसके लिए तो जैसा कि भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि उसके खिलाफ कोर्डीनेशन कमेटी बिठा कर वाइस चांसलर को समझा सकते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इसके अलावा किसी प्रकार का इण्टरनल मामले में इण्टरफियरेंस नहीं करेंगे । अगर कोई निश्चित ग्राउण्ड हों तो इन्क्वायरी की जा सकती है लेकिन जब तक कोई निश्चित ग्राउण्ड नहीं बनते हैं इन्क्वायरी कराना सम्भव नहीं हो सकता है । आपने जिस सैक्शन (8) की बात कहीं है मैं आपको पढ़कर सुना दूं जिसमें लिखा है कि यह मेटर हो तभी जाकर इन्क्वायरी हो सकती है ।

"......and to cause an enquiry to be made in like manner in respect of any other matter connected with the administration and finances of the University."

(श्री खेतसिंह)
अब आप कोई ऐसा गलत उदाहरण दें....

श्री मनोहर कोठारी : आप शुरू में पढ़ लीजिए, फाइनेन्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव इर्रेगुलरिटिज के लिए यह प्रोविजन है। इर्रेगुलरिटिज तो आपके सामने ग्लेरिंग हैं। पांच हजार का पनिशमेंट हो जाय, आपके एक्ट के खिलाफ, रूल्स के खिलाफ आपके रजिस्ट्रार के पावर्स छीन लेना इससे ज्यादा बड़ी इर्रेगुलरिटीज क्या हो सकती है। और ग्राउण्ड आप क्या चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : शिक्षा मन्त्रीजी, क्या यह आपकी स्टेट की प्रतिष्ठा के लिए, आपके प्रशासन की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा होगा ? कल मध्य प्रदेश की असेम्बली में मध्य-प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने मिस्टर लाम्बा के बारे में कहा है। एक क्वेश्चन होता है वहां पर होमीदाजी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ने क्वेश्चन किया और उन्होंने यह कहा कि उनके खिलाफ चार्जेज हैं और हम एक्शन ले रहे हैं। हम उनको री-काल कर रहे हैं और इस अफसर के खिलाफ जो भी एक्शन हो सकता है वह एक्शन गवर्नमेंट ले रही है। वहां की गवर्नमेंट उनके बारे में एक्शन ले और इस तरीके का रूख अख्तियार करें और आप उल्टे इन्क्वायरी भी नहीं करके तमाम मामले कण्टीन्यू करते चले जायं उसमें क्या मसला हो सकता है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अभी इमरजेन्सी के वातावरण में...

श्री उपाध्यक्ष : आप केवल प्रश्न कर सकते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्रश्न ही कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या प्रश्न रखना चाहते हैं ?

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा प्रश्न पूर्व में भी यही था कि एक आदमी भी हो सकती है कि गल्ती हो...

श्री उपाध्यक्ष : आप डिबेट नहीं कर सकते है, आप पहले कह चुके हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप गलत तरीके से सदन के सामने तथ्य ला रहे हैं...

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आप कौनसा पाइन्ट रखना चाहते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हाईकोर्ट के एक्स जज ने जिस पोइन्ट पर अपनी बात कह दी है वही पोइन्ट आप यहां उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कल क्या क्वेश्चन किया गया, कोई खबर छपे नहीं और आपके पास उसकी सूचना भी आ गई, आखिर कितना पीछा किया जा रहा है एक आदमी का ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई भी खराबी की बात हो तो उसका पीछा किया जाना चाहिए। बुराई तो यह है कि बुराई

Page No 47

(५१)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
के समर्थक यहां खड़े हो जाते हैं, शराबी तो यह है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप देखिए···

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : जिस पर पांच हजार का जुर्माना हो जाय····

श्री रामानन्द अग्रवाल : हर हाउस में आप इसकी वकालत करते हैं, इसकी क्या वजह है, क्या पर्सनल इन्टरेस्ट है आपका।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—अश्रव्य)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं किसी की वकालत नहीं करता और न किसी के कहने से करता हूं···

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं, किसी के कहने से करते हो।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अजी साहब जिस पर पांच हजार का जुर्माना हो उसको आप क्या मानते हैं? आप उसको प्रोटेक्ट करते हो···

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपके कहने से क्या कोई परसन गुनहगार हो जाएगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप बुराई को सप्रेस कर रहे हैं इसलिए यह हालत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विद्यार्थियों के ऊपर जुल्म हो और आप वाईस चांसलर को वहां पर रखना चाहते हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक मिनिट मुझे क्षमा कीजिएगा। पहले भी कोठारी जी ने जो मुद्दे रखे उनमें श्रीवास्तव के बारे में कहा और श्रीवास्तव के बारे में चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट दी है····

श्री मनोहर कोठारी : क्या रिपोर्ट है? आप गलतफहमी में हैं। रिपोर्ट में केवल··यही तो कहा गया है ना कि गवर्नमेंट से जो लैंड ली गई है वह गलत ली गई है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : श्रीवास्तव ही बुनियाद में है और श्रीवास्तव ने क्या किया है उसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

श्री मनोहर कोठारी : आप गलत कह रहे हैं। वल्लभनगर फार्म की जो जमीन ली गई···

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जो पहले मिनिस्टर के मुंह लगे हुए थे वही कह रहे हैं। वहां पर कल क्या जवाब दिया गया, उसकी कोई खबर छपे नहीं और इनके पास खबर आ गई···

(शोरगुल-अश्रव्य)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)
थोथी बातों से बड़प्पन नहीं लगता· पहले भी जो यहां पर कह रहे थे उसके बारे में एक्स चीफ जस्टिस की रिपोर्ट देख लीजिए।

श्री मनोहर कोठारी : आप चीफ जस्टिस की रिपोर्ट देख लीजिए उन्होंने यह तो कहा है न कि वल्लभनगर का फार्म गलत लिया है और आप····

(व्यवधान-प्रश्रव्य)

····वहां पर पानी भर जाएगा। नाव में बैठकर एक्सपेरीमेंट करने जायेंगे···

(शोरगुल-प्रश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज···आर्डर प्लीज···आर्डर प्लीज।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जो इविल करते हैं उसको सर्व्स करना चाहिए। जिन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना होता है उनकी आप वकालत कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आर्डर प्लीज····आर्डर प्लीज। माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री गुमानमल लोढा : एक बात जानना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री गुमानमल लोढा : जो प्रसंग चल रहा है और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से···

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तिगत मामलों के अन्दर तो कानून और नियमों के अन्तर्गत मुझे मलाऊ ही नहीं करना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढा : उनके खिलाफ जो इन्क्वायरी चल रही है और मार्केटिंग, परचेजिंग, फण्ड्स का मामला है क्या उसमें कांग्रेस के बहुत बड़े नेता शंकरदयाल शर्मा का भी उल्लेख है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो जो अभी इन्फार्मेशन दी गई है उसके आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वाईस चांसलर साम्बा के खिलाफ में इन्क्वायरी चल रही थी और जिसका हवाला देते हुए अभी अखबार से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया है कि उनके खिलाफ पांच हजार का जुर्माना किया गया है, उसके बारे में मुझे यह बताया गया है कि वह इन्क्वायरी चल रही थी वह नोटिस वगैरह बिगड़ा कर लिए गए हैं, और फिर से वापस पांच अधिकारियों के खिलाफ में इन्क्वायरी वापस शुरू की गई है। अब जो स्टेज है वह यही है कि इन्क्वायरी चल रही है इससे आगे कुछ नहीं है।

(व्यवधान-प्रश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह : दूसरा निवेदन मैं फिर यह करना चाहता था कि जो सेक्शन (8) के नीचे आप इन्क्वायरी चाहते हैं जैसा निवेदन किया है कि अभी फाईनल स्टेज पर पहुंची नहीं है अभी कमिश्नर साहब के टेबल पर वह कागज है और आपने जैसा

(श्री खेतसिंह)
कि कहा है कि आपने कुछ फैक्ट्स दिए हैं लेकिन फिर भी उससे किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए उतने पोइन्ट बन नहीं पाये हैं····

जैसा कि आपने अभी यहां पर यह नयी बात कही····

श्री मनोहर कोठारी : यह मैं पहले भी बता चुका हूं। कमिश्नर को फोटो स्टेट कोपी दे दी है। आपने कहा इन्क्वायरी के वक्त पेश कर देना।

श्री खेतसिंह : उस वक्त आपने यह फैक्ट्स नहीं दिये थे। जब आप यह दे देंगे तो कार्यवाही करेंगे। जुबानी कहने से काम नहीं चलेगा।

श्री मनोहर कोठारी : लिखित में दिया है।

श्री खेतसिंह : इसको देख लेंगे और जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह निश्चित तौर से की जायेगी।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस साल एडमिशन के वक्त एक आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी प्रकार से लड़कों को रैगिंग न हो। इसके लिए इन्स्ट्रक्शन इशू कर दी है। एडमिशन के बारे में कोई गड़बड़ न हो यह इन्स्ट्रक्शन भी दे दी है। वहां साथ में यह भी कहा है कि इस बार के चुनाव स्थगित रहेंगे और चुनाव के जो इस प्रकार के मुद्दे हैं और जो दूसरे मुद्दे इससे ताल्लुक रखते हैं उनके चुनाव भी स्थगित कर दिये गये हैं। इसके पश्चात इस सम्बन्ध में, मैं विस्तार से सारी जानकारी सदन को दे चुका हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयक जो मैंने प्रस्तुत किये हैं, उनको विचारार्थ लिया जाये।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक सर्व सम्मति से विचारार्थ लिया गया।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। सिन्डीकेट को खत्म किया गया है इसको तो हमने सपोर्ट किया है परन्तु जिस तरीके से इसका गठन किया गया है उसके बारे में हमने गवनमेन्ट को सजेशन दिये हैं। इसलिए हम इसके समर्थन में वोट नहीं देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

श्री रामानन्द अग्रवाल : Our position is neutral.

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पारित किया गया।

जोधपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 का पारण

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को सर्व सम्मति से विचारार्थ लिया गया।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अमेन्डमेन्ट्स हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : नो अमेन्डमेन्ट्स।

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी पोजीशन वही है।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह की पोजीशन को बिजनेस रूल्स में एनविसेज नहीं किया गया है। यह मेरी मजबूरी है इसके लिए मैं यही कह सकता हू कि हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता। विधेयक पारित किया गया।

उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 पर खण्डश: विचार

प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

क्लाज सेकिन्ड, सेक्शन 2 में जो अमेन्डमेन्ट है वह मूव करेंगे ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, खंड 2 के अन्दर मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार से है।

"खण्ड 2 द्वारा मूल अधिनियम को धारा 19 की उप-धारा (ii) में यह संशोधन में—

उप-खण्ड (VI) के स्थान पर निम्न उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये:—

(vi) Director of Agriculture, Rajasthan;

उप-खण्ड (VII) के पश्चात् निम्न उप-खण्ड जोड़ा जाए:—

(viii) Director of College Education, Rajasthan."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 के खंड 2 के उपखंड (VI) में एवं (VII) के पश्चात् जो संशोधन माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, उनको स्वीकार किया जाये ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 2 मय संशोधन के स्वीकृत किया जाये ?

(स्वीकृत)

खंड 2 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 3 व 4 तथा खंड 1 अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खंड 3 व 4 तथा 1 प्रस्तावना, नाम आदि को स्वीकृत किया गया।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, जो यह तीन बिल, जिनमें कि यह आखिरी बिल उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जिन परिस्थितियों में और जिस उद्देश्य से ये बिल लाये गये हैं उनसे मुझे और हमारे दल को पूर्ण सहमति है और हम यह महसूस करते हैं कि यह जो हमारे विद्या के प्रांगण हैं, ये विद्या के प्रांगण दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों के अड्डे बन गये थे और देश में प्रतिक्रांति को एक सहारा देने, उसके लिए सैनिक तैयार करने, उसको इस दिशा के अन्दर, प्रतिक्रांति को सफल बनाने की दिशा में और विश्वविद्यालयों को एक अखाड़ा इन तत्वों द्वारा बनाया जा रहा था और मैं समझता हूं कि इस मकसद से ऐसा कहा गया है इन बिल्स को इन्ट्रोड्यूज करते समय कि इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिये इन बिलों को लाया गया है। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि जिस स्वरूप में, जो दृष्टिकोण, जो राजनीति दिशा इन कानूनों की रखी गयी है हमारे ख्याल से न केवल यह उस मकसद को पूरा करने में सफल रहेगा, बल्कि यह किसी न किसी रूप में उस मकसद को असफल करने की दिशा में ले जावेंगे। क्या भावना है इन कानूनों के पीछे, इन विधेयकों के पीछे कि इन विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की स्थितियां हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका कारण मुख्य तौर से विद्यार्थी हैं, इसका कारण दूसरी तरह से वहां के प्राध्यापक हैं, और अगर कोई दुरुस्ती कर सकता है, ठीक कर सकता है तो वहां पर जो सबसे बड़ी एक्जीक्यूटिव ऑथोरिटी है, वाइस चांसलर है, वह उसको दुरुस्त कर सकते हैं, और इसलिए इसकी दिशा यह है कि उसको पूर्ण अधिकार दें, उनको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पूर्ण जिम्मेदारी दें ताकि वह इन सब चीजों को यहां से हटा सके। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज विश्वविद्यालयों में बीमारी है वह एक राजनीति की बीमारी है, जो यह प्रतिक्रांति के अखाड़े बने हुए है, जो देश को समाजवाद के मुकाबले फासिज्मवाद की ओर ले जाना चाहते हैं, उन राजनीति के अखाड़ों को राजनीति से उखाड़ा जा सकता है। फासिस्टवाद को वाइस चांसलर नहीं हटा सकता, फासिस्टवाद को वाइस चांसलर नहीं मार सकता है, लेकिन इतिहास जानता है कि वाइस चांसलर इन्स्ट्रूमेन्टल रहा है फासिस्टवाद को पनपाने का, शह देने में। अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे उदयपुर युनिवर्सिटी के बारे में कि पिछले साल वहां पर किन किन लोगों को बुलाया गया, किन किन लोगों के भाषण दिलाये गये हैं। क्या आप यह समझते हैं कि इस प्रकार के वाइस चांसलर के हाथ से इन चीजों को इरेडिकेट करा सकेंगे या ऐसे लोग जो अगर राजनीतिक हैं या आप कहें उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा, मगर एक पार्टी की राजनीति है उस बात को मैं समझ सकता हूं कि वाइस चांसलर को कांग्रेस की राजनीति से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का राजनीति से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए, लेकिन एक वाइस चांसलर को इस देश में सोशियलिज्म लाना है, इस देश में सेक्यूलर सोसाइटी कायम करना है, इस देश के अन्दर डेमोक्रेसी कायम करना है, इस देश का नान-अलाइनमेंट पर बेस्ड फॉरेन पालिसी की बुनियाद को यहां के विद्यार्थियों का मानस तैयार करना है। अगर कोई वाइस चांसलर इन विचारधाराओं से ओतप्रोत नहीं है तो वह विद्यार्थियों को देश के लिए तैयार नहीं कर सकता है। वह वाइस चांसलर काबिल नहीं वाइस-चांसलरशिप के लिए, वह वाइस-चांसलर आज की स्थिति में सक्षम इन स्थितियों का मुकाबला करने के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह जो एप्रोच है कि वहां पर पोलिटिकल आदमी को न रखें और ऐसे आदमी रखें जो स्ट्रांग हो। आप डंडे को रखना चाहते हैं। किसके खिलाफ आप डंडा चलवाना चाहते हैं? आप फासिज्म के खिलाफ डंडा चलवायें, आप दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ डंडा चलवायें तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन किन को प्रतिनिधित्व देने से इन्कार कर रहे हैं? स्टूडेन्ट्स को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, अध्यापकों को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं तो आपकी फासिज्म से लड़ाई की तैयारी माइनस स्टूडेन्ट्स, माइनस टीचर्स, वाइस चान्सलर और शिक्षा मंत्री मिलकर ही है? क्या यह दोनों फासिज्म से लड़ाई लड़ेंगे और युनिवर्सिटी से इन फासिस्ट प्रवृत्तियों को खत्म कर देंगे? क्या कांग्रेस यह समझता है कि उनकी यूथ कांग्रेस और विद्यार्थी फेडरेशन इस बात को स्वीकार कर लेंगे? क्या आप यह समझते हैं कि छात्र-संघ और स्टूडेन्ट्स फेडरेशन के लोग इस विचारधारा को लेकर अपनी क्लासेज में, अपने होस्टल्स में अपने प्रांगणों में जाकर स्टडी सर्किल नहीं लगायेंगे? वहां पर क्या स्टूडेन्ट्स बहस नहीं करेंगे? अगर इस बात को नहीं करेंगे तो क्या इस फासिज्म के जहर को इरेडिकेशन किया जा सकता है? कुछ लोग यह कहना चाहते हैं कि विद्यार्थियों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। आपकी इसी विचारधारा ने विद्यार्थियों में फासिज्म को पैदा किया। आप अगर उनको अलग रखते है तो फासिज्म से लड़ने में वह आपकी मदद कैसे करेंगे, जब तक कि आप उनको यह समझा नहीं देंगे कि आज फासिज्म कितनी खतरनाक चीज है। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज इमर्जेंसी इसीलिए है कि फासिज्म से लड़ना है। आज इस प्रकार का सिलेबस बनायें। वह सब के सब एक्टिव होने चाहिए। इस दिशा में वह फासिज्म से लड़ने की दिशा में सक्षम होने चाहिए। मुझे अफसोस है कि आपका यह एप्रोच फासिज्म से लड़ने का एप्रोच नहीं है, फासिज्म के साथ समझौता करने का एप्रोच है, फासिज्म को कन्सेशन देने का एप्रोच है। आप यह समझते हैं कि वाइस चान्सलर को आल पावरफुल बना दिया, जिले में कलेक्टर को आल पावरफुल बना दिया, आपने तहसील में तहसीलदार को आल पावरफुल बना दिया तो सब काम कर दिया। सब डेमोक्रेटिक आर्गेनाईजेशन्स को खत्म कर देने से वह चुपचाप इस बात को मान लेंगे? आप लोगों को इन्वाल्व्ड किये बिना प्रधान मंत्री इन्दिराजी के 21 सूत्रीय कार्यक्रम को बगैर जनता के इन्वाल्व्ड किये पूरा नहीं कर सकते हैं, वह पूरा नहीं हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य जो यहां पर आये वह इस बात को जानते हैं कि बगैर उनके सहयोग के, आम जनता के सहयोग के, इतना बड़ा काम हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या विश्वविद्यालय के अन्दर, कालेजेज के अन्दर इस प्रकार से स्टूडेन्ट्स के सहयोग के बगैर, टीचर्स के सहयोग के बगैर हम इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं, इस 21 सूत्रीय कार्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं? क्या ऐसे ही लोगों को समझा कर सोशियेलिज्म और डेमोक्रेसी की तरफ लाना चाहते हैं, फासिज्म से दूर हटाना चाहते हैं? मैं यह समझता हूं कि केवल कुछ नौकरशाही के ऊपर निर्भर रहकर आम जनता में अविश्वास रखकर इसको करना चाहते हैं, यह आपकी भूल है। क्या आप यह भूल गये हैं कि यह लोग फासिज्म से लड़ने के लायक नहीं हैं? यह आपका फासिज्म से लड़ने का एलान नहीं है, यह आपका फासिज्म के सामने घुटने टेकने का एलान है। इसको हम रिजेक्ट करना चाहते हैं। पहले भी यह बात करते थे चन्द्रशेखर जैसे कि समझौता कर लो जयप्रकाश नारायण से, इनसे हमारी क्या लड़ाई है। जो यह कहते थे कि मैं कम्युनिस्टों को अपना बास मानता हूं और जनसंघ को भी अपना बास मानता हूं, यह दोनों जबरदस्ती लड़ते हैं, मैं दोनों को एक जैसा मानता हूं। ऐसे भी भाषण हमने सुने हैं. लेकिन आज यह फर्क समझ में आ गया है। जो इस तरह से कह रहे थे कि यह भी मेरा और वह भी मेरा है, यह भी मेरा प्रेमी है और वह भी मेरा प्रेमी है, वह फासिज्म से नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस बिल के द्वारा जो व्यवस्था नई आज युनिवर्सिटी की बना रहे हैं, वह नई व्यवस्था नई आवश्यता के अनुकूल नहीं है। वह नई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा, और यह उनकी व्यवस्था छिपे रूप से उन्हीं तत्वों को उल्टा मदद करेगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस वाइस चान्सलर के बारे में न केवल फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरिटीज करने की बात कही, बल्कि जिसकी पोलिटिक्स के

(52)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बारे में साफ तौर से यह कहा कि वह एन्टीनेशनल फोर्सेज से, फासिस्ट फोर्सेज जो हैं जिनसे आज लड़ा जा रहा है, जिसके लिए प्रधान मंत्री केवल उन्हीं तक सीमित न रही बल्कि अपनी कार्यकारिणी के सदस्य हिन्दुस्तान में पहली बार कांग्रेस की कार्यकारिणी के मेम्बर चन्द्र शेखर और कांग्रेस पालियामेंट्री पार्टी की एक्जीक्यूटिव के सेक्रेटरी रामधन जो उनके पोलिटिकल व्यूज के खिलाफ थे और जो फासिस्टों के साथ जा रहे थे, उनको पकड़कर पीछे रख दिया, किस प्रकार से उनसे लड़ेगा ? एक तो यह दृष्टिकोण है कि जहां तक देश का सवाल है तो जिन लोगों का चरित्र इस प्रकार से संदिग्ध है, जो इस प्रकार को आर्गेनाइजेशन से बन्धे हुए हैं उनके बारे में रियायत बरतने का प्रयत्न करें, उनकी वकालात करें, किसी तरीके से प्रश्रय दें, तो आज देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय करना होगा और मैं यह कहना चाहूंगा, अपने कांग्रेस के मित्रों से कि आप अपने नेता प्रधान मन्त्री इन्दिरा गान्धी को देखें जिन्होंने चन्द्रशेखर और रामधन जैसे अपने दल के लोगों को जेल के सींखचों में भेज दिया। इस प्रकार का कड़ा दिल करना होगा। कितना ही प्यारे से प्यारा आदमी आपका हो अगर देश हित में वह विरोधी है तो उसके खिलाफ सख्ती से कदम उठाना होगा। उनको डिसमिस करना ही नहीं, जेल के सींखचों में रखना होगा। मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, जो इस देश में हमें प्राति की आशा थी, विश्वविद्यालयों में जो कानून की व्यवस्था थी, जिससे कि नयी व्यवस्था और नया विचार पनपे, ऐसा दिखाई नहीं देता है। इसलिए उसमें चेंज चाहते हैं अपने उसको खत्म किया है डिजोल्व किया है जो हमें नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने उसका स्वागत किया है लेकिन अन्य ढांचा हमने पसन्द नहीं किया है। इसीलिए इसको पारित करने का हम समर्थन नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्रीजी।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो अमेण्डमेंट माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने रखा है। मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालयों के ऊपर और विद्यार्थियों के ऊपर, प्राध्यापकों के ऊपर और सारे एजुकेशनल वर्ल्ड पर उनका जो अधिकार है, उस पर कुठाराघात है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इन अमेण्डमेण्ट्स का सम्बन्ध है, इनसे कोई राजनीतिक उथल पुथल का प्रश्न है, मैं यह नहीं मानता हूं। इन संशोधनों के द्वारा किसी विशिष्ट विचारधारा या विशिष्ट दल या फिलासाफी को लाने का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन और एफीशिएन्सी, टीचर्स और स्टूडेन्ट्स का इन्वाल्वमेंट का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर गत वर्ष एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया है, भाषण देने के लिए, जिनका कि सम्बन्ध कतिपय राजनीतिकों से था। श्री अटलबिहारी बाजपेई का उसमें नाम लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ सकता कि इस अमेण्डमेण्ट बिल से क्या सम्बन्ध था। उदयपुर विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों में वहां

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

की यूनियन के चुने हुये प्रतिनिधि और व्यक्ति अगर देश की विभूतियों को बुलायें तो बुलायें, तो उन्हें इस बात पर खेद हो सकता है। विश्वविद्यालय के चुनाव में कोई व्यक्ति जीते कोई व्यक्ति नहीं जीते लेकिन विश्वविद्यालय की यूनियन यह तय करे कि वह अटलबिहारी वाजपेई को या ए.के. गोपालन को बुलाये, या प्रधान मन्त्री को बुलाये। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी यादव को बुलाये, तो चुनाव हमारा जनतान्त्रिक है। सारी रिकोग्नाइज पार्टियां हैं। जिन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है। वे ऐसी पार्टियां है जिन्हें विभिन्न अवसरों पर देश के प्रधान मन्त्री ने कन्सल्ट किया है। विभिन्न अवसरों पर उनसे कन्सल्ट करते रहे हैं। जिस समय देश पर हमला हुआ है, पाकिस्तान के द्वारा या चीन के द्वारा यही नहीं अटलबिहारी वाजपेई ने इन्दिरा गांधी को पत्र में लिखा है। पाकिस्तान या बंगला देश के सम्बन्ध में कहा था। सिन्ध में जब विजय प्राप्त की थी तब कहा था। उन्हें दुर्गा के शब्द से सम्बोधित किया है। हालांकि श्री वाजपेई ने जनसंघ दल से ऊपर उठकर, राष्ट्रीय और सार्वभौमिक भाव और देश की अखण्डता की दृष्टि से प्रधानमन्त्री से कन्धे से कन्धा मिलाकर जो देश की सीमाओं पर लड़ते हैं। जिस समय लालबहादुर शास्त्री प्रधान मन्त्री थे इस देश में, मुझे याद है, प्रधान मंत्री को स्वयं यह आवश्यकता अनुभव हुई। यहां ऐसे भी तत्व हैं जो विदेशी तत्वों के अन्तर्गत विद्रोह पैदा कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे संगठनों को साथ लिया जो कि राष्ट्रभक्त थे। जिन्हें वह राष्ट्रभक्त समझते थे। इसी प्रकार से चीन के युद्ध के समय में, जिस संस्था पर अब पाबन्दी लगा दी है। मैं उसके वादविवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। रिपब्लिक डे परेड में उनको सबसे आगे रखकर शामिल किया गया है। सरकारी तौर से उनको शामिल किया गया था। उन्हीं को अब जेल में डाल दिया गया है। मीसा के कारण बोल नहीं सकते हैं। चारों ओर आतंक छाया हुआ है। इसका अर्थ यह समझा जाये कि अटलबिहारी वाजपेई को उदयपुर यूनिवर्सिटी में बुला लिया या सुब्रह्मण्यम् शास्त्री को बुला लिया तो वाइस चांसलर और विश्व विद्यालय के लोगों का अपराध हो गया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के लोगों को नहीं जानता हूं न उनसे मेरा किसी प्रकार का सम्बन्ध है। अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं। अगर उनके खिलाफ कोई आरोप है तो उनको हटाया जाये। लेकिन इसे राजनीति के अन्दर लाकर फासिस्ट विरोधी बात की जाये। फासिस्ट कौन है, कौन नहीं है। यह फासिस्ट रेलेटिव शब्द है। कहा जाता था कि मैं जनतन्त्र का सबसे बड़ा हामी हूं हम चुनाव में गरीबों की भलाई करने के लिए खड़े हुये हैं। जिस समय अमेरिका एटमबम काम में लेता है तो वह कहता है कि यह दुनियां में शान्ति कायम रखने के लिए है वह जो कुछ भी करता है तो कहता है कि दुनियां में शान्ति कायम रखने के लिये कर रहे हैं अब यह कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वह साइंटिफिक डेवलपमेन्ट हो रहा है लेकिन दुनियां पर क्या असर होने वाला है। इसी तरह से यह फासिस्टवाद है। यह फासिस्टवाद कौन ला रहा है। यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का पार्टिसिपेशन बन्द कर रहे हैं। टीचर्स का पार्टिसिपेशन

(५४)

(श्री गुमानमल लोढा)
बन्द कर रहे हैं। आपने अपनी सारी रूप-रेखा को चेंज कर दिया। आपने इसमें कोई नामोनिशान तक नहीं रखा है। क्या यह फासिस्टवाद नहीं है? मैं जानना चाहता हूं, वाइस चांसलर और चांसलर द्वारा ही प्रशासन नहीं चलाया जाता है। उसके अन्दर स्टूडेण्ट्स का इन्वोल्वमेन्ट होना चाहिए। हमारे चरण आगे बढ़ रहे हैं। यह शिक्षा का विषय है। इसके बारे में क्या आप उनकी वाणी को बन्द नहीं कर रहे हैं? तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेण्डमेण्ट का इसीलिए विरोध करता हूं कि इसमें स्टूडेण्ट्स और टीचर्स के इन्वोल्वमेन्ट को समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने यह कहा है, शिक्षा मंत्री ने यह उत्तर दिया है पुराने शिक्षा मंत्री श्री विश्नोई जी के बारे में। क्या यह प्रावधान एमरजेंसी पीरियड के बाद में वापिस ले लिया जाएगा?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कोई सेशन ऐसा नहीं गया है जिसमें शिक्षा मंत्रीजी शिक्षा के सम्बन्ध में कोई नया कानून नहीं लाये हों, इसलिए यह तो कोई खास बात नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस कारण से शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर समस्त राजनीतिक दल और उनकी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति आज के इस जनतन्त्रीय युग के अन्दर अपने-अपने विचार विद्यार्थियों के माध्यम से भी रख सकते हैं, चाहे स्टूडेन्ट्स यूनियन हो, चाहे कोई फेडरेशन हो कम्युनिस्ट पार्टी की, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का कोई और संगठन हो, वह यूनियन इस क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में काम करती है, अपनी विचारधाराएं फैलाती है तो इसमें कोई विरोध करने वाली या आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए। आजादी के युग में भी बहुत बड़ा संघर्ष लड़ा गया था और इस कारण से आज गरीबी को हटाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा कुछ काम किया जाता है या विद्यार्थियों को कुछ स्थान यूनिवर्सिटी सिंडीकेट में दिया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए। आपके विचारों से उनका मतभेद हो सकता है, यह भी हो सकता है कि विद्यार्थियों का शोषण किया जाता है इस नाम पर। यह इसका दूसरा पहलू है। इसके अलावा भी दूसरी विचारधारा है। इसलिए आप विद्यार्थियों पर छोड़ दीजिये वह इस बात को स्वयं तय कर लें। आपने उनके चुनाव को बन्द कर दिया जैसे पंचायतों के चुनाव को बन्द कर दिया। आप कहते हैं कि इसमें बहुत खर्चा होता है। तो क्या विधायकों के चुनावों में नहीं होता? विधायक भी तो अपने चुनाव में खर्चा करते हैं। कोई भी विधायक अपने दिल पर हाथ धर कर नहीं कह सकता कि कानून में लिखा हुआ है उससे अधिक खर्च नहीं हुआ। क्या लोक सभा के चुनाव में खर्च नहीं होता या विधान सभा के चुनाव में खर्च नहीं होता? फिर केवल विद्यार्थियों को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? यह अनार्किज्म क्यों हो रहा है? क्या उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लाने से अनर्थ हो जायगा? क्या आप इस बात को भूल जाते हैं कि मंत्रियों तक सैंकड़ों विद्यार्थियों की पहुंच है? विद्यार्थियों में कई पार्टियां चलती हैं, यूनिवर्सिटी एडमिनि-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

स्ट्रेशन में भी चलती हैं और इसी कारण से डेडलॉक होता है वहां पर। इसलिए मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मत है कि यह कोई फासिज्म नहीं है। आज हुआ जो है वह यह है कि जो व्यक्ति प्रधान मंत्री का विरोध कर रहा है वह फासिस्ट-वादी है और प्रधान मंत्री ने आपत्‌कालीन स्थिति की घोषणा की। इसके बाद जो हो रहा है-आपत्‌कालीन के नाम पर, वह फासि-स्टवाद नहीं है? इस शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में उपयोग या दुरुपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से क्या समस्या का हल हो सकता है? यह जो यूनिवर्सिटी के कानून में अमेन्डमेण्ट लाया गया है, क्या यह भी कोई अमेन्डमेन्ट है? स्टूडेन्ट्स और टीचर्स के इन्वाल्वमेन्ट को रोकने की दिशा में यह एक प्रतिक्रियावादी कदम है। यह एक ऐसा कदम है जिसके द्वारा पहले जो आगे कदम बढ़ाया था वह कदम वापिस पीछे की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि स्टूडेन्ट्स और टीचर्स का यूनिवर्सिटी में जो पार्टीसिपेशन है उसमें और एजूकेशन के विकास की गति बढ़ रही थी वह अवरुद्ध हो जाएगी। शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि गत वर्ष कई प्रकार की दुर्घटनाएं विश्वविद्यालयों के अन्दर हुई हैं; वाइस चान्सलर की रेस्पेक्ट में कमी आई है, वाइस चान्सलर पर हमले हुए हैं, मैं भी इन बातों में आपके साथ हूं इस समस्या के सम्बन्ध में। वाइस चांसलर की डिसरैस्पेक्ट होती है, वाइस चांसलर पर हमले होते हैं, यदि विद्यार्थियों की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में रुकावट आती है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। इसमें कोई हमारा मतभेद नहीं है, परन्तु क्या यह सही है कि सिन्डीकेट की मेम्बरशिप के अन्दर एक व्यक्ति को लेने और नहीं लेने के कारण यह सब दुर्घटनाएं हुई? जोधपुर में यह दुर्घटनाएं हुई उस समय तो विश्व-विद्यालयों में विद्यार्थी मेम्बर भी नहीं बने थे लेकिन फिर भी यह घटनाएं घटी। तो यह दुर्घटनाएं तो बहुत पहले से घटती जा रही हैं, जोधपुर में भी घटी है, जयपुर में भी घटी है और हिन्दुस्थान के इतिहास को देख लीजिये, अलीगढ़ में, लखनऊ में और कलकत्ता में सभी स्थानों पर यह घटनाएं घटी हैं। इसलिए यदि कोई किसी प्रकार से विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासनहीनता आती है तो उसका कारण यह है कि शैक्षणिक मन्दिर के अन्दर उनके बढ़ते हुए चरणों को रोकते हैं, इससे समस्या का कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से हम सबको एक होकर सोचना चाहिए। क्या सिन्डीकेट के गठन के प्रावधान में आपने अमेन्डमेण्ट कर दिया है इससे समस्या का हल हो जायगा? यह प्रश्न-वाचक है। शिक्षा मन्त्री सोचते होंगे इससे हो जायगा परन्तु हमारी मान्यता है इससे हल होने वाला नहीं है। विद्यार्थी पढ़ लिख कर निकलते हैं, मेडिकल कालेज से या इन्जिनिय-रिंग कालेज से तो उनके सामने समस्या आती है एम्प्लायमेंट की, रोजगार की। आजकल पढ़ने का जिस प्रकार का खर्चा है, पढ़ने के जो एक्सपेन्सेज हैं, इसके कारण उनके सामने समस्या आती है कि पढ़ाई कैसे करें? क्या यह समस्या केवल वाइस चांसलर के दो व्यक्ति या डाइरेक्टर के एक व्यक्ति को सिन्डीकेट में लेने या नहीं लेने से हल होने वाली है? इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज यह

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
आवश्यक है कि इस सारी समस्या पर विचार किया जाय कि किस प्रकार से उनको एम्प्लायमेन्ट मिल सकता है और गरीब स्टूडेन्ट्स को किस प्रकार से रिलीफ दिया जा सकता है। आज आवश्यकता है व्याव-सायिक एज्यूकेशन की और सोशल इन्वाल्वमेंट को। यह इसमें अमेन्डमेंट किया जाय लेकिन यह नहीं किया जाकर फासिज्म के वातावरण का नारा लाया जा रहा है, कभी यह कहा जा रहा है कि जनसंघ के दो व्यक्ति वहां बन गये या दूसरी पार्टी के लोग वहां बन गये। क्या उनके लिए वहां पर र बिस रेग्यू-लेशन्स में मना है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के भी प्रोफेसर हो सकते हैं, जनसंघ के भी हो सकते हैं या दूसरी पार्टियों की विचार-धाराओं के व्यक्ति भी हो सकते हैं। आज जनसंघ भी एक रिकग्नाइज्ड लीगल पोलीटिकल पार्टी है, इसकी विचारधारा के लोग भी यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं। अब रहा सवाल दूसरी संस्थाओं का या आर. एस.एस. का या आनन्द मार्ग का, अब इन पर प्रतिबन्ध लग गया है। यह प्रतिबन्ध सही लगाया गया है या गलत है यह दूसरा प्रश्न है। इसके सम्बन्ध में भी कई कहते हैं इसको बिलोंग करता हूं या इस पार्टी का हूं····

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आर. एस. एस. के साथ आपका कोई सम्बन्ध नहीं है, यह आप स्वीकार करते हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आर.एस. एस. के लोग किसी भी पार्टी के मेम्बर हो सकते हैं, आर. एस. एस. के लोग दूसरी पार्टियों में भी थे, आर. एस. एस. के लोगों के ऊपर कोई रुकावट नहीं थी। जब प्रतिबन्ध लग गया, आर.एस.एस. डिस्बेन्ड कर दिया गया तो···

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मैंने तो आपसे सम्बन्ध पूछा है, सीधी बात कहिए जनसंघ से आर. एस. एस. का क्या संबंध है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : जनसंघ से आर एस. एस. का कोई सम्बन्ध नहीं था। आर.एस.एस. के लोग जनसंघ के लोगों को भी सपोर्ट कर सकते थे। जनसंघ और आर.एस.एस. दो डिफरेन्ट इन्स्टीटयूशन्स हैं, एक एक कल्चरल आर्गेनाइजेशन थी, जनसंघ पालिटिकल आर्गेनाइजेशन है। यह कोई बात नहीं है कांग्रेस के भी बड़े-बड़े नेता आर. एस.एस. की रैली में गये थे।

जिन्होंने रिपब्लिक डे को परेड में 1964 में चीन की वार के बाद आर. एस. एस. के लोगों को सबसे आगे कांटिजेंट में रखा। इसी प्रकार से लालबहादुर शास्त्री का उदाहरण दूं, पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय उन्होंने होम गार्ड का काम आर. एस. एस. के लोगों को दिया। जब पाकिस्तान की एक्टिविटी चल रही थी, और तेईस साल पच्चीस साल तक यह संस्थायें काम करती रही थी, तब देश के अन्दर बाढ़ आयी, युद्ध आये, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध का समय आया तब कन्धा से कन्धा मिलाकर इन्होंने आपका साथ दिया है। हो सकता है कि आपात काल ने, एमर्जेन्सी ने तलवार उनके सिर पर लटका कर उनकी वाणी को अवरुद्ध कर दिया हो लेकिन आप इतिहास को मत भूलिये, हमेशा जब भी आपत्ति आयी है त

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
जिन्होंने आपका साथ दिया है, आपके कदम से कदम मिलाकर कुर्बानियां दी हैं, आप स्थिति का दुरुपयोग करके···

श्री केसरीमल : जिन्होंने देश में झगड़े और दंगे कराये हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप गन्दा प्रचार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपका बहुमत है क्योंकि आज आपको जवाब देने वाला व्यक्ति नहीं हैं । लेकिन इतिहासकार जब इतिहास लिखने बैठेगा तो वह यह अवश्य कहेगा । आपात् काल की स्थिति उस समय भी थी जब पाकिस्तान और चीन ने हम पर हमला किया था । जब काश्मीर के श्रीनगर पर पाकिस्तान का हमला हुआ था तो आर. एस. एस. के लोगों ने एग्नर प्लेन की पट्टी बनाई थी और वहां हिन्दुस्तान के एरोप्लेन उतरवा कर पाकिस्तान का मुकाबला किया था···

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : श्रीनगर में कितने आर. एस. एस. के लोग थे ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह ऐतिहासिक तथ्य है इसको झुठलाया नहीं जा सकता । हिन्दुस्तान के कन्सेन्टेशन कैम्प में भेज कर या जेल में डाल कर इन लोगों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता । मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके विचारों और हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है । मतभेद रखिये । जनतांत्रिक तरीके से, कम से कम इतिहास को मत भूलिये । यह कोशिश मत करिये कि लकड़ी की तलवार मिल गई तो आप कहें कि तलवार मिल गई । भाले मिल गये । मैं कहना चाहता हूं आप किसी अखाड़े में चले जाइये, आर्यसभा के अखाड़े में चले जाइये ·

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : On a point of order. Sir, This is not the subject matter of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आप महदूद रखिये पालिटिकल स्थिति को । He should confine himself to the Bill.

श्री गुमानमल लोढ़ा : तलवार और भाले लेकर सैंकड़ों और हजारों की संख्या में लोग पटना की सड़कों पर निकले तो वह तलवार नहीं थी भाले नहीं थे और बीपन नहीं थे ? किसी मकान में लकड़ी की तलवार निकल गई तो आप हल्ला करते हैं कि तलवार निकल गई । मैं निवेदन करना चाहता हूं···

श्री श्रीराम गोटेवाला : हथियार बरामद हुए हैं और सैंकड़ों की संख्या में बरामद हुए हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : हथियार निकले, भाले निकले, अमेरिकन कारतूस निकले ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सैंसर लगाया हुआ है । आप कह सकते हैं कि अमेरिकन कारतूस निकले । आप कह लीजिये । सैंसर बोर्ड आपका है, आकाशवाणी से कान्ट्राडिक्शन नहीं निकल सकता कोई बोल नहीं सकता । आपने वाणी को अवरुद्ध कर रखा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : झूंठ कैसे बोलते हैं ?

श्री गुमान मल लोढ़ा : विधानसभा में क्या कह रहे हैं वह सुन नहीं सकता। आपने जबान पर ताला लगा रखा है। फासिस्ट-वाद बना रखा है। हिन्दुस्तान की वाणी अवरुद्ध करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विषय तक सीमित रखिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, विषय तक सीमित रहना क्या मेरा ही कर्तव्य है। जिस समय कम्युनिस्ट साथी बोल रहे थे तब आप भूल गये थे। उन्होंने कहा फासिस्टवाद विश्वविद्यालय में कैसे है··

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कभी कभी रास्ता छोड़ते हैं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आप इसलिए कह रहे हैं कि शब्द वापिस न लेने पड़ें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय विधेयक में राजनैतिक मोटिव से अमेंडमेंट जो लाया गया है वह स्टूडेन्ट और टीचर्स के पार्टीसिपेशन को रोकने के लिए है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी। (श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय के खड़े होने पर) आप पहले बोल चुके हैं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : सैकिंड अमेंडमेंट पर।

श्री उपाध्यक्ष : कोई आवश्यक नहीं है। शिक्षा मंत्रीजी बोलेंगे।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : This is another motion. It was not moved at that time.

श्री उपाध्यक्ष : अमेंडमेंट जिसके बारे में हैं, जो जवाब देंगे वह माननीय मंत्री देंगे।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : जवाब देंगे। मैं अपने विचार रख सकता हूं, कौनसी बात है I have every right.

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : you can't speak as a matter of right.

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : यह दूसरा अमेंडमेंट रखा है हमारे शिक्षा मंत्री जी ने··

श्री उपाध्यक्ष : अमेंडमेंट पारित हो चुका है। यह मैं अर्ज कर रहा हूं। मेरा निवेदन सुनिये। ऐसा है, संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, क्लाज अमेंड हो चुका है। थर्ड रीडिंग की स्टेज है। उसके बारे में जवाब देना है, वह मंत्री महोदय को देना है यह मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : वह सो रहे थे, इसलिए मालूम नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : बिल के प्रिन्सिपल्स पर माननीय सदस्य बोलना चाहें तो राइट है बोलने का। बिल के प्रिन्सिपल

(श्री परसराम मदेरणा)
को अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने में ज्यादा कहने की क्या आवश्यकता है क्योंकि काफी कुछ प्रकाश डाला जा चुका है और आपका विद्वतापूर्ण भाषण सुना। सपोर्ट के बारे में कोई नई बात कहनी हो तो मर्जी की बात है। शिक्षा मंत्री जी प्रिन्सिपल्स के बारे में रोशनी डाल रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कुछ न कुछ कहना है चाहे अमेंडमेंट हो कुछ हो।

श्री उपाध्यक्ष : उपनेता का सुझाव उपयुक्त ही प्रतीत होता है। आपको मानना चाहिए।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : दो मिनिट में मैं पोजीशन क्लीयर कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लीजिये, बोलना चाहें तो।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मेरे से पूर्व वक्ता कल भी गुमानमल जी थे, अब भी हैं। इन्होंने बड़े भोलेपन से इस बात को कहा, यह विद्या के मंदिर में पालिटिक्स नहीं आनी चाहिए। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि उस समय जिस समय चीन युद्ध हुआ तो आर. एस. एस. की टुकड़ी को नेहरू जी द्वारा परेड में आगे खड़ा करने की बात कहते हैं, उस समय चीन के और इनके क्या सम्बन्ध थे और आज इनके और मार्क्सवादी पार्टी के क्या सम्बन्ध हैं? आज विश्व का वातावरण बदल चुका है, आज उनकी बगल में बैठ कर चल रहे हैं। जिस समय पाक युद्ध हुआ ...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये। तशरीफ रखिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : उस समय दोस्ती नहीं थी। आज सूरज से रखते हैं, चांद से रखते हैं और वहां की आवाज से रखते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : क्या यह कहने को तैयार हैं यह दोनों दल फासिस्टवाद में विश्वास नहीं करते हैं, क्या चीन फासिस्टवाद में विश्वास नहीं करता है? क्या आपकी चीन से दोस्ती नहीं है? ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : कोई दोस्ती नहीं है?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : क्या गांधी के हत्याकाण्ड में आर. एस. एस. का नाम नहीं आया? क्या समस्तीपुर काण्ड में ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री गुमानमल लोढ़ा : समस्तीपुर काण्ड में सी. पी. आई. के लोग पकड़े गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, विधेयक पर तृतीय वाचन के समय किसी राजनैतिक विवाद के लिए पहले स्वीकृति नहीं दे रहा था, उसके बाद आप स्वीकृति लेना चाहें ...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : Sir, I am coming to the subject.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आप तशरीफ रखिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : Let me finish.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : सब्जेक्ट पर तो...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैं समझ गया। माननीय शिक्षा मन्त्री।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : सब्जेक्ट पर तो कहने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री।

श्री गुमानमल लोढ़ा : घर पर बैठ कर बात कर लेंगे, ऊपर नीचे रहते हैं।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी अपने भाषण मे जो बात कही हैं उनका उदयपुर यूनिवर्सिटी....

श्री गुमानमल लोढ़ा : इर्रेलेवेन्ट।

श्री खेतसिंह : अमेंडमेंट बिल से कोई ताल्लुक नहीं हैं, पूरी की पूरी स्पीच पोलिटिकल स्पीच थी। एक दूसरे को फासिस्टस बता रहे थे, एक दूसरे पर चार्ज लगा रहे थे। मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है कि उन्होंने खास बात कही वह यह कही, स्टूडेंट्स का राइट है उनको छीनना है, उनको रिप्रेजेन्टेशन सिण्डीकेट में दिया हुआ था वह वापिस ले रहे हैं, एक कदम आप पीछे हटे हैं। मैंने सारे विस्तार में व्याख्या आपके सामने पहले की थी। दोहराने से खास परपज हल नहीं होगा। आपने सबने इस बात को माना है, हमने यह जो प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है, यह बहुत जल्दबाजी की थी उसका यहां नतीजा हुआ, साल भर में तीनों यूनिवर्सिटी के अन्दर सिण्डीकेट की जो बैठक नियंत्रित रूप से होनी चाहिए थी और जो एक बिजनेस समय पर पास होना चाहिए था, वह हो नहीं सका। मैंने आपसे पहले निवेदन किया, कई बार ऐसे स्टेप्स लिये जाते हैं, लेकिन उनका परिणाम अच्छा रहे यह जरूरी नहीं है। चूंकि हमने एक कदम आगे रख दिया, इसलिए पीछे कैसे हटें। मैं पीछे हटना नहीं मानता, मैं आगे बढ़ना मानता हूं इस दृष्टि से कि जो लड़कों को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने जिस शाइस्तगी से बैठ कर काम करना चाहिए था वह नहीं किया, इसका परिणाम यह हुआ कि तीनों यूनिवर्सिटी के अन्दर न उनका बजट समय पर पास हो सका, न और जितने काम होने थे वह हो सके। यहां तक कि सात-सात दिन तक मीटिंग की गई लेकिन बिना किसी परिणाम के एडजोर्न की गई। ये सारी परिस्थितियां जो आई तो मजबूरन कदम उठाने पड़ते हैं। मैं समझता हूं कि अभी संकटकालीन स्थिति को देखते हुए जब कि विश्वविद्यालय खुल रहे हैं उस समय आपका और हमारा सबका लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी ठीक तरीके से अनुशासन का पालन करें, दाखिला लें और पढ़ाई की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह

Page No 63

(61)

(श्री खेतसिंह)

सब कुछ किया गया। गत वर्ष आपने देखा था कि महीनों तक चुनाव का प्रचार होता रहा। जैसे पार्लियामेंट का चुनाव होता है उसी प्रकार से उनके पोस्टर छपे, जीपें चली, खर्चे हुए और एक दूसरे झगड़े हुए वे केस रजिस्टर हुए। क्या इस प्रकार के चुनाव को आप उपयुक्त समझते हैं? इसके लिए और कोई प्रणाली सोचनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों को बिल्कुल अलग नहीं रख सकते, उनकी राय किसी न किसी स्टेज पर लेनी होगी लेकिन उसके लिए उपाय सोचने पड़ेंगे। आने वाले महीनों में सोचेंगे कि इन्डाइरैक्ट इलैक्शन्स का तरीका हो और कोई तरीका हो जिससे खर्चा न हो और उनका रिप्रेजन्टेशन आ जाए। जैसे चित्तौड़गढ से आने वाली माननीय सदस्या ने और भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिए, उस प्रकार हम सब बैठकर सोचेंगे जिससे लड़कों का रिप्रेजन्टेशन हो जाए, उनका प्रॉपर रिप्रेजन्टेशन हो ताकि सही माइने में उनकी गतिविधियां चल सकें और विश्वविद्यालय सक्षम बन सकें। मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाए।

घोषणा

श्री केशव देव, सदस्य विधान सभा का भारतीय लोक दल से त्याग-पत्र

श्री उपाध्यक्ष : घोषणा। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री केशवदेव, सदस्य विधान सभा ने भारतीय लोक दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और वे सदन में निर्दलीय सदस्य के रूप में बैठेंगे।

उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 का पारण

प्रश्न यह है कि उदयपुर यूनिवर्सिटी (सैकेण्ड अमेंडमेंट) बिल, 1975 को मय संशोधन के पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 2.52 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

62

शुद्धि-पत्र

दिनांक 29 जुलाई, 1975

क्रम सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	1	नीचे से 8, 7, 5	(1) (2) (3)	—
2.	18	ऊपर से 16	करने	करने के
3.	34	नीचे से 6	कम	—
4.	37	ऊपर से 10	डिपार्टनेन्ट	डिपार्टमेन्ट
5.	40	नीचे से 1	—	के
6.	43	नीचे से 8	पाटज	पार्टीज
7.	44	ऊपर से 15	को	के
8.	49	ऊपर से 2, 4, 6	(1) (2) (3)	—
9.	98	नीचे से 8	गवनमेन्ट	गवर्नमेन्ट
10.	113	ऊपर से 1	स्ट्रेशन	स्टेशन
11.	,,	नीचे से 14	यूनीसिटी	यूनिवर्सिटी
12.	114	ऊपर से 9	हिन्दुस्थान	हिन्दुस्तान